खण्ड-150, अंक-5
शुक्रवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(4 मार्च, 1955 ई0)

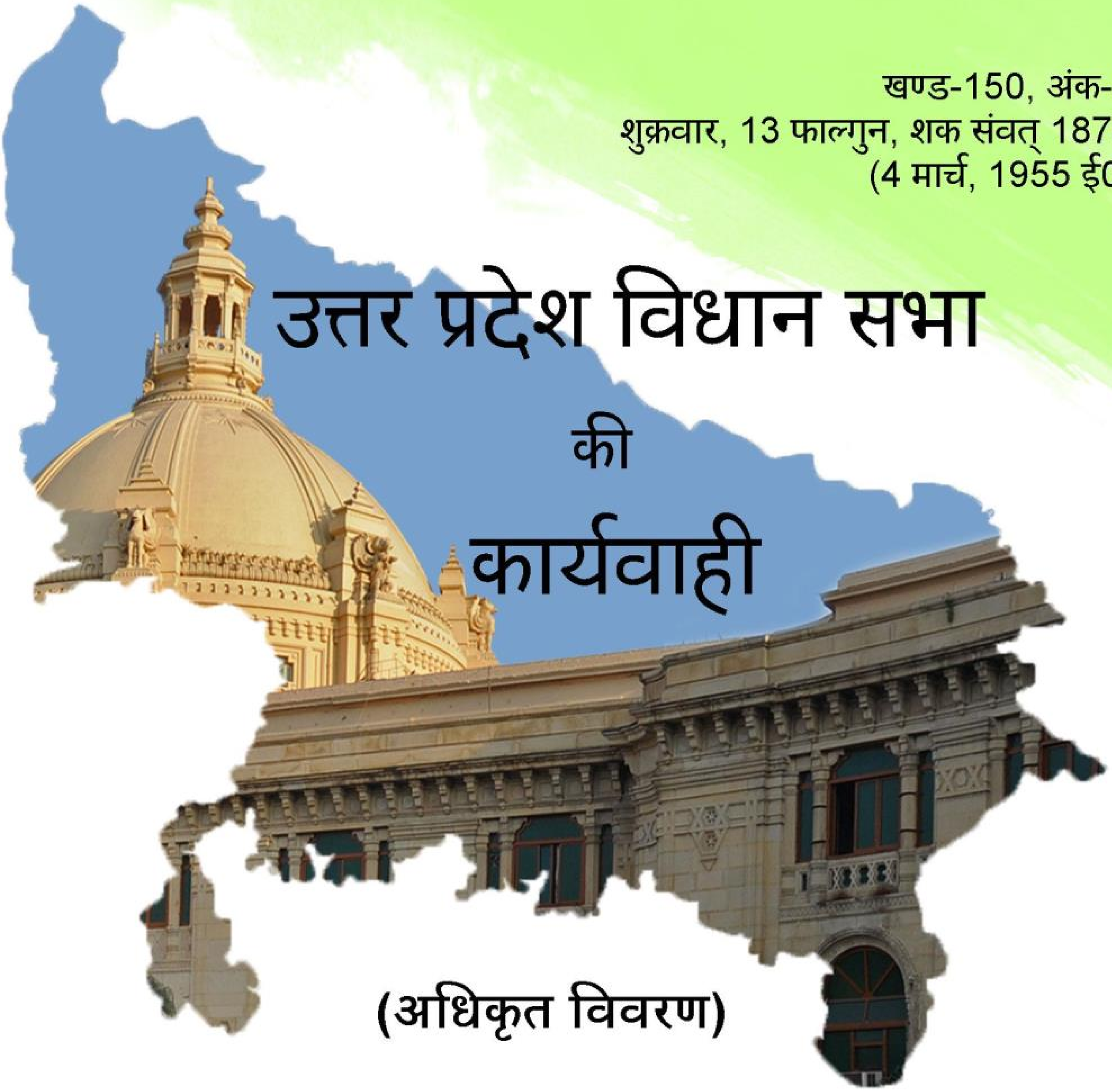

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 150 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७४)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराजशुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती

सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सूरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र याजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

श्री ताराचन्द माहेश्वरी ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले के महादेवा मेले में गोली काण्ड

**१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि २० फरवरी, ५५ को बाराबंकी में मेला महादेवा में पुलिस की गोली से २ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है और अनेक लोग घायल हो गये हैं?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—पुलिस की गोली से एक व्यक्ति तत्काल मर गया और दूसरा घायल हो गया, जिसकी भी थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गयी। इन दो के अलावा और किसी के चोट नहीं आयी।

**२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार गोली चलाने के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—महादेवा के शिव मंदिर के चढ़ावे के कुछ पैसे एक यात्री ने चुरा लिये, परन्तु वह पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पर अन्य यात्रियों ने बहुत हंगामा मचाया और मंदिर को लगभग १,००० की भीड़ ने घेर लिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गयी और उसने भीड़ को हटाने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु सब निष्फल रहा। भीड़ बढ़ती ही गयी और पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने लगी, जिससे कुछ लोगों के चोटें आ गयीं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

**३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार इस विषय में Judicial जांच कराने का विचार रखती है?

श्री जगनप्रसाद रावत--मैजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच हो रही है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दो व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गये हैं, वे कौन थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उनमें से एक का नाम पूरन वल्द पोती नाऊ, गांव गोगमऊ, पुलिस स्टेशन जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर और दूसरा जो तत्काल ही मर गया था, उसकी शिनाख्त नहीं हो पायी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो पुलिस की गोली लगी है, यह इन लोगों के किस स्थान पर लगी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अब चूंकि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी चल रही है, इस लिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि गोली चलाने के पहले भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने पुलिस पर हमला किया था। यदि हां, तो पुलिस के कितने व्यक्ति घायल हुए ?

श्री जगनप्रसाद रावत--गोली चलने से पहले, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है वहां जो भीड़ थी, उसने ईंट पत्थर फेंके, पुलिस पर हमला भी किया, जिसके फलस्वरूप एक ए० पी० हेड कांस्टेबिल, चार ए० पी० कांस्टेबिल्स, चार सी० पी० कांस्टेबिल्स और एक वी० सी० के साधारण चोटें आयी थीं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या यह सही है कि जिनके गोली लगी, उनकी पीठ में गोली लगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मैंने कहा इस सम्बन्ध में, चूंकि यह बातें इन्क्वायरी से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए मैं प्रकाश डालना मुनासिब नहीं समझता।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो गोली चली जिससे दो आदमी मर गये, उसके पहले कोई हवाई फायरिंग भी हुई थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जो साधारण प्रकाश इस सम्बन्ध में डाला जा सकता था, वह डाला गया, बाकी जितनी तफसील की बातें हैं, चूंकि मैजिस्ट्रेट के सामने भिन्न-भिन्न प्रकार के बयान आयेंगे और उसके बाद वह अपना फैसला करेंगे, मैं भवन में इस सम्बन्ध में कोई बात कह कर उस इन्क्वायरी को प्रीजुडिस नहीं करना चाहता।

उर्दू भाषा में प्रार्थनापत्र देने का अधिकार

**४--राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौन सी तारीख में इस सदन में माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त साबिक मुख्य मन्त्री और माननीय डा० सम्पूर्णानन्द जी, चीफ मिनिस्टर ने यह बयान दिये कि सरकारी दफ्तरों में दरख्वास्तें उर्दू में भी दी जा सकती हैं, जैसा कि वित्त मन्त्री ने बजट भाषण में अपने कथन में कहा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--सितम्बर २६, १९५१।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त जी के भाषण को सुनाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--क्या आप पूरा भाषण सुनना चाहते हैं ?

राजा वीरेन्द्रशाह--जी नहीं। सिर्फ उतना जितने का सम्बन्ध इस प्रश्न से है।

श्री अध्यक्ष--तो आप फिर से प्रश्न पूछें।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या कृपा करके माननीय मन्त्री जी जहां पर ऐसा भाषण दिया है उन्होंने, कि उर्दू में दरख्वास्त दे सकते हैं, उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--केवल सम्बन्धित अंश से मतलब है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिस समय कि उत्तर प्रदेश राजभाषा विधेयक पेश हुआ था, उस समय के सारे भाषणों को प्रोसीडिंग्स में से पढ़ा जा सकता है। मैं केवल उसका सम्बन्धित अंश पढ़ता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था--"अगर कोई साहब अर्जीदावा उर्दू में देना चाहे, तो वह दे सकते हैं और कोई अपनी अर्जी उर्दू में देना चाहता है, तो उसको देने की पूरी आजादी है और अगर किसी सरकारी काम में वह उर्दू इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको पूरी आजादी इस बात की है और वह इसको कर सकता है" यह प्रोसीडिंग्स में पेज १३२ पर मिलेगा।

मैंने इसके मुताल्लिक जो कहा था वह पेज १४९ पर मिलेगा। "गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का यकीन दिलाया जा चुका है और मैं सिर्फ यकीन दिलाता हूं कि जो कोई आदमी उर्दू में दरख्वास्त देना चाहेगा, या कोई किसी तरह से रजिस्टरी वगैरह कराना चाहेगा तो उसके लिए जहां तक उर्दू का सवाल है उसको पूरी आजादी रहेगी कि वह ऐसा करे। हमारा इरादा किसी तरह से इसको रोकने का नहीं है। इस बात की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से होगी कि वह बराबर उनके कामों में इस्तेमाल होती रहे। कोई किसी तरह का इरादा उसको रोकने का नहीं है। हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि अगर किसी सदस्य ने हमारे नोटिस में यह बात लायी कि यह बेइन्साफी हो रही है तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो।"

तारांकित प्रश्न

परीक्षा में नकल करने के कारण सरकारी सहायता से वंचित शिक्षा संस्थाएं

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे हायर सेकेन्डरी स्कूल, इन्टर एवं डिग्री कालेज हैं, जिनकी सरकारी सहायता छात्रों द्वारा नकल करने के कारण रोक दी गयी है ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)--१२ हायर सेकेन्डरी स्कूल।

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ एवं बलिया जिले के अन्तर्गत कौन-कौन स्कूल हैं, जिनकी सहायता इसी कारण से बन्द कर दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम--आजमगढ़ में मुस्लिम हायर सेकेन्डरी स्कूल, मऊनाथ भंजन। बलिया जिले में एक भी नहीं।

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम हायर सेकेन्डरी स्कूल, बिल्थरा रोड, जिला बलिया के विरुद्ध कोई शिकायत इस प्रकार की है और क्या वहां के कुछ छात्रों का परीक्षा फल रोका गया था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। १९५३ की परीक्षा से सम्बन्धित शिकायत थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह बारह हायर सेकेन्डरी स्कूल कौन कौन से हैं ?

डाक्टर सीताराम---(१) हरनारायन इन्टर कालेज, गंज डुंडवारा, एटा (२) भगवत राष्ट्रीय महाविद्यालय, पतियाली, (३) पी० बी० इन्टर कालेज, प्रतापगढ़, ए० एस०, हायर सेकेन्डरी स्कूल, प्रतापगढ़, (४) एम० एस० बी० इन्टर कालेज, कालपी, (५) एस० एन० एस० एम० इन्टर कालेज, निहतौर, बिजनौर, (६) एच० ए० वी० इन्टर कालेज, देवबन्द, सहारनपुर, (७) मुस्लिम हायर सेकेन्डरी स्कूल, मऊनाथभंजन, आजमगढ़, (८) डी० बी० इन्टर कालेज, गोरखपुर, (९) पब्लिक इन्टर कालेज, साहगंज, जौनपुर, (१०) हायर सेकेन्डरी स्कूल, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर (११) नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, पिंडरा, बनारस, (१२) महेन्द्र टेकनिकल हायर सेकेन्डरी स्कूल, चन्दौली, बनारस।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इनकी सहायता कब तक बन्द रहेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---इनकी सहायता रिलीज कर दी गयी है, लेकिन इनकी जो ग्रान्ट थी, उसमें कुछ कमी भी कर दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नकल करते हुए पाये गये जो विद्यार्थी थे, उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट स्कूल के अध्यापकों की ओर से की गयी थी या निरीक्षकों की ओर से की गयी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो मास कापीइंग के केसेज थे। बहुत से विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे थे, उनके सबके उत्तर एक ही प्रकार के थे। लिहाजा जो एग्जामिनर थे, उन्होंने यह प्वाइन्ट आउट किया कि इतने लड़कों के जो उत्तर हैं, वह एक ही प्रकार के हैं और इससे मालूम होता है कि मास कापीइंग इन सेन्टरों पर हुई है। इसलिए उनकी सहायता बन्द थी। अब उसमें कुछ कटौती करके उनकी सहायता खोल दी गयी है और उनको कड़ी चेतावनी दे दी गयी है कि अब यदि उनके यहां नकल होगी, तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि विद्यार्थीगण इम्तहान में बैठकर नकल करते हैं और परीक्षकों के मना करने पर उनको मारने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए नकल हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह हो सकता है। बहुत से स्कूलों से ऐसी खबरें मिलती हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि जिनकी ग्रान्ट में कमी कर दी गयी है, वह कब पूरी कर दी जावेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, वह उनके ग्रान्ट में जो कमी कर दी गयी है वह पूरी नहीं की जावेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष निरीक्षकों और परीक्षकों की सहायता के लिये इन केन्द्रों पर पुलिस की टुकड़ी भी रखी जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो असम्भव सी बात भी है और यह सुपरिन्टेन्डेंट का काम है कि ऐसे इनविजिलेटर्स रखे और यदि कोई इस बात की आशंका हो तो वह अधिकारियों को इस बात की सूचना दे।

गंगा ग्लास वर्क्स, बालावाली, जिला बिजनौर के मजदूरों का शिकायती पत्र

*४---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने और कहां-कहां पर शीशे के कारखाने हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—इस प्रदेश में शीशे के कुल १६३ कारखाने हैं। यह कारखाने आगरा, अलीगढ़,, इलाहाबाद, बनारस, बिजनौर, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ तथा मुरादाबाद जिलों में स्थित है।

*५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को गंगा ग्लास वर्क्स, बालावली (बिजनौर) के मजदूरों की ओर से शिकायती आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है? अगर हां, तो शिकायतें क्या हैं और उस विषय में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, सरकार को इस कारखाने के मजदूरों की ओर से निम्नलिखित विषयों पर आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं :—

(१) मजदूरों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में;

(२) सर्वश्री नन्हें मियां, अल्लाह मियां, मंगलसिंह और सैयद अहमद ब्लोअर्स को अनुचित रूप से नौकरी से निकाले जाने के सम्बन्ध में;

(३) दिनांक २५ सितम्बर, १९५४ से ब्वाइलिंग विभाग के १११ श्रमिकों की नौकरी को खंडित करने के बारे में;

(४) दिनांक १३ अगस्त, १९५४ के अभिनिर्णय के विरुद्ध श्रमिकों की नौकरी की नियमावली को बदलने के बारे में; तथा

(५) ब्वाइलिंग विभाग में नये श्रमिकों को समय पर वेतन न मिलने और इसके विपरीत पुराने श्रमिकों को पुराना वेतन न दे कर परेशान करने के सम्बन्ध में। वेतन न मिलने के सम्बन्ध में पेमेंट आफ़ वेजेज़ अधिनियम के अन्तर्गत मिल मालिकों के विरुद्ध डाइरेक्शन अभियोग चलाये गये हैं। शेष चार शिकायतों के सम्बन्ध में श्रमिकों ने संराधन अधिकारी, बरेली, से प्रार्थना की थी कि वह निर्णय दें। दिनांक २७ नवम्बर, १९५४ को इन शिकायतों के सम्बन्ध में मिल मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच समझौता हो गया है। यह समझौता दिनांक २४ जनवरी, १९५५ की एक सरकारी आज्ञा के अनुसार एक वर्ष के लिये लागू कर दिया गया है।

*६—श्री झारखंडे राय—क्या यह सही है कि उपर्युक्त ग्लास वर्क्स के मजदूरों को अप्रैल, १९५४ से वेतन नहीं मिला है और उनकी पुरानी मजदूरी का १ लाख रुपया मिल मालिकों पर बकाया है?

आचार्य जुगलकिशोर—यह सही है कि इस कारखाने के मालिकों पर मजदूरों की पुरानी मजदूरी का एक लाख से अधिक रुपया बकाया है। अप्रैल, १९५४ तक का वेतन सभी मजदूरों को मिल चुका है और मई, १९५४ का वेतन लगभग आधे मजदूरों को दिया जा चुका है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय श्रम-मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो पेमेंट आफ़ वेजेज़ ऐक्ट के मातहत मुकदमा दायर किया गया है उसकी अब तक कोई पेशी नहीं हुई, ऐसी सूचना सरकार के पास आयी है? अगर हां, तो इस विषय में सरकार शीघ्रता कराने का कोई उपाय करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास तो कोई सूचना अभी तक नहीं आयी है।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि फरवरी महीने के अन्त तक, अब मजदूरों का दो लाख से ऊपर बकाया वेतन हो गया है? अगर हां, इस तो विषय में सरकार कुछ जल्दी कराने का उपाय करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—जैसा कि नम्बर ५ के उत्तर में बताया गया है, आपस में एक समझौता हो गया है। उसके इनफोर्समेंट के बारे में सरकार की तरफ से विज्ञप्ति निकाली गयी है। उसका इम्पलीमेंटेशन हुआ या नहीं, इसकी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार मुकदमा कब चलाया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—अगर इसके लिये नोटिस देंगे तो मैं बता सकूंगा।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि कुछ सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों के उभारने से मजदूरों में उत्तेजना हो गयी, जिसके कारण मिल का काम अव्यवस्थित हो गया और मिल का काम मुश्किल से चल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो साधारण तौर से बहुत सी जगह होता ही रहता है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या उनके पास सूचना है कि बावजूद समझौते के, जिसका जिक्र उत्तर में किया गया है, अभी तक कोई ठोस परिणाम मजदूरी दिलाने के सिलसिले में नहीं निकल सका है ?

आचार्य जुगलकिशोर—२४ जनवरी को इनफोर्समेंट की विज्ञप्ति निकली है। उसके बाद कोई हमारे पास सूचना नहीं आयी है मजदूरों की तरफ से कि इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कचहरी में मुकदमें का फैसला होने तक, क्या सरकार इस बकाया मजदूरी को दिलाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जब तक यह न मालूम हो जाय कि इम्पलीमेंटशन नहीं कर रहे हैं और शिकायत न आ जाय, तब तक सरकार की कार्यवाही का कोई सवाल नहीं उठता।

हरिजन सहायक कार्यालय, आगरा से फाइलों का गायब होना

*७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या कुछ काल पूर्व हरिजन सहायक दफ्तर से आगरा में कितनी ही फाइलें गायब हुई थीं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

नेशनल इंटर कालेज मोदहा, जिला हमीरपुर के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों में कटौती

*८—श्री जोरावर वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि नेशनल इंटर कालिज मोदहा (हमीरपुर) के प्रधानाचार्य अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में से १/३ भाग कालिज बिल्डिंग फंड के नाम से काट लेते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। धन दान स्वरूप अनुसूचित जाति तथा छात्रों और अभिभावकों से लिया जाता था।

*९—श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि इस कटौती के रुपये को शीघ्र लौटाने के लिये जिला नियोजन अधिकारी ने प्रिन्सिपल को आदेश जारी किया है, ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता। जिला शिक्षा निरीक्षक ने प्रिंसिपल को आदेश दे दिया है कि अनुसूचित जाति के छात्रों से उक्त धन न लिया जाय और जो लिया गया है वापस कर दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि यह रुपया अभी तक नहीं लौटाया गया है और इस सम्बन्ध में संबंधित विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा निरीक्षक से प्रार्थना-पत्र द्वारा अपील की है कि उनका रुपया दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—प्रधानाचार्य ने रुपया वापस कर दिया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुल कितना रुपया वापस किया गया है और वह किन विद्यार्थियों का है ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रुपया कब वापस किया गया और यह रुपया किस सन् का है ?

डाक्टर सीताराम—यह रुपया १९५४ ई० का है और ५४ में ही वापस कर दिया गया।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तथाकथित दान क्यों वापस किया गया ?

डाक्टर सीताराम—विद्यार्थियों से इस स्कूल के अधिकारियों ने धन्यवाद के साथ रुपया प्राप्त किया था। लेकिन बाद में विद्यार्थियों ने यह राय प्रकट की कि रुपया वापस कर दिया जाय और क्योंकि वह रुपया उन्होंने लिया था लिहाजा वापस कर दिया गया।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विद्यार्थियों ने जो ऐप्लीकेशन इंसपेक्टर को दी थी उसमें साफ लिखा है कि यह रुपया जबर्दस्ती उनसे काट लिया जाता था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन सन्देह इस बात का होता था कि जबरन लिया गया था, इसलिये वापस कर दिया गया।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने ऐसे आदेश भेजे हैं कि भविष्य में इस प्रकार जबरन रुपया वसूल न किया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, यह कायदा है कि बिल्डिंग ग्रान्ट वगैरा के लिये रुपया लड़कों से फीस के अलावा नहीं लिया जा सकता है।

राजकीय वार मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कर्णप्रयाग, जिलागढ़वाल के भवन का निर्माण स्थगन

*११—श्री गंगाधर सैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या यह सही है कि कर्णप्रयाग, गढ़वाल में राजकीय वार मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल के भवनों के लिये भूमि लैन्ड एक्यूजिशन के अन्दर प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, सन् १९४३ ई० में।

*१२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त स्कूल भवनों के लिये सरकारी अनुदान भी स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितना ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, ८०,००० रु० सन् १९४८-४९ में ।

*१३—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि सरकार ने स्कूल भवन बनाने का विचार स्थगित करा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

इसमें अधिक आवश्यक इमारतों की प्राथमिकता देनी थी ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर्ण-प्रयाग हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिये जो जमीन १९४३ में एक्वायर की गयी थी वह किसके कब्जे में है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये, लेकिन ख्याल किया जाता है कि एक्वायर करने के बाद जिसको जमीन वेस्ट की गई होगी, उसके कब्जे में होगी ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४८-४९ में इसकी बिल्डिग के लिये जो ८० हजार रुपया स्वीकृत हुआ था वह किस काम में खर्च किया गया ?

डाक्टर सीताराम—८०,००० रुपया जो ४८-४९ में दिया गया था वहां बहुत काम था। बाद को वहां के अधिकारियों ने शिक्षा संचालक को लिखा कि मौजूदा स्कूल को होस्टल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय। शिक्षा-संचालक के लिखने पर पी० डब्लू० डी० से तखमीना मांगा गया, तो पी० डब्लू० डी० ने लिखा कि इस काम के लिये ७,३८,००० पया मंजूर किया जाय । उस समय शिक्षा विभाग से एक तो धनाभाव के कारण और ग्रो मोर फूड की वजह से इतनी रकम के कारण इस स्कीम को खत्म करना पड़ा। इसलिये ८०,००० रुपया उस समय खर्च नहीं किया जा सका।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को मालूम है कि कि कर्ण-प्रयाग राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल की बिल्डिग की हालत बहुत ही खराब है और वहां लड़के भी अच्छी तरह से बैठ नहीं सकते ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, ऐसी सूचना मिली है कि वहां की हालत खराब है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को पता है कि इस बिल्डिग को फिर से बनाने की जरूरत है ? यदि हां, तो कब तक यह बन पायेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जरूरत अवश्य है और जब रुपया उसके लिये उपलब्ध हो जायगा, तो बिल्डिग बनवा दी जायगी ।

*१४—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[१८ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५—१७—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[२५ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रयाग विश्वविद्यालय में पुरस्कार वितरण के सम्बन्ध में शिकायत

*१८—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय को ६०-६० रुपये के ६० पुरस्कार योग्य छात्रों के सहायतार्थ देता है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१९--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि इन पुरस्कारों के रुपये का वितरण योग्यता के आधार पर नहीं होता है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*२०--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार इस पुरस्कार वितरण के कार्य को अपने हाथ के लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत की जांच की गयी और शिकायत सही पायी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, शिकायत की जांच की गयी और वह सही पायी गयी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--फिर ऐसी शिकायत का मौका न हो, इसके लिये सरकार कौन सा उपाय कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसके नियम अब ऐसे बना दिये गये हैं, जिससे अब संभवतः ऐसी शिकायत न होगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी वह नियम सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यदि आप चाहेंगे तो बता दिया जायगा। यह सदन तो इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं रखता होगा। वह बड़ी लम्बी सी शिकायत है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पारितोषिक का वितरण करने में जो सरकार अपने हाथ में यह कार्य नहीं लेना चाहती, उसमें क्या कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--एक तो यह बड़ा भारी काम है कि तीनों यूनिवर्सिटीज में जो दिया जाता है वह सब यहां से तय किया जाय। नियमों में पहले कुछ त्रुटियां थीं जो पहले यूनिवर्सिटियों के बनाये हुये थे। उन नियमों को अब बदल दिया गया है और अब ऐसी संभावना नहीं है कि कोई ऐसी शिकायत होगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें मिलीं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--किसी के खिलाफ शिकायत नहीं मिली। सिर्फ शिकायत यह थी कि जो योग्य छात्र थे उनको न मिल कर दूसरों को मिल गयी और वह शिकायत अब दुरुस्त हो गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी जांच कर के रिपोर्ट भी दी थी और उस सिफ़ारिश पर सरकार विचार भी कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

*२१--२२--श्री गेंदासिंह--[८ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३--२४--श्री रणंजय सिंह--[१८ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

समाज कल्याण मन्त्रालय के कार्य

*२५--श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समाज कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत क्या कार्य होंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--समाज कल्याण विभाग राज्य में समाज कल्याण की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करेगा। जो गैर सरकारी संस्थायें इस समय असहाय बच्चों, स्त्रियों और अपाहिजों के लिये काम कर रही हैं उनके सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर के उनमें सुधार करने, उन्हें उन्नत और सुव्यवस्थित करने की चेष्टा करना, धार्मिक तथा दातव्य संस्थाओं में जहां कहीं कुप्रबन्ध है उसे दूर करना और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक सबल जनमत की सृष्टि करना जिससे ऐसी कुरीतियां मिट जायं तथा इन सब कामों के लिये समाज का सहयोग प्राप्त करना इस विभाग के मुख्य ध्येय होंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये पत्रकारों के समक्ष जो विवरण उपस्थित किया गया था उस की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के सूचनार्थ रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी क आगे पृष्ठ ३५७-३५८ पर)

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि सरकार का यह विचार है कि हरिजन सहायक विभाग को भी इस विभाग के अन्तर्गत ले लिया जाय?

आचार्य जुगलकिशोर--अभी तो नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या प्लानिंग कमीशन ने भी इस प्रदेश में समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किये जाने की सिफारिश की थी ?

आचार्य जुगल किशोर--इसकी सिफारिश की कोई आवश्यकता तो नहीं मालूम पड़ी।

*२६-२८--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[२५ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९--३१--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--[८ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२--३३--श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--[१८ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

"आंखों देखा लालचीन" पुस्तक की प्रतियों की खरीद

*३४--श्री झारखंडे राय--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि "आंखों देखा लालचीन" पुस्तक की जो ५०० प्रतियां सरकार खरीद रही है उसके इस्तेमाल की सरकार की क्या योजना है ?

डाक्टर सीताराम--इन पुस्तकों को स्कूलों में वितरित कर दिया गया है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि "आंखों देखा लालचीन" को ही क्यों स्कूलों में वितरित किया गया है, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--क्योंकि उसकी निस्बत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा था। इसलिये आवश्यक समझा गया कि लोग उसके बारे में सत्य जान लें।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह समझती है कि "आंखों देखा लालचीन" में चीन के बारे में लेखक ने जो वर्णन किया है, वह सत्य है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सभी उसको सत्य मानते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार इस पुस्तक की अन्य प्रतियां खरीद कर भी वितरित करने का है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आवश्यकतानुसार।

श्री राजनारायण--जब सरकार इसको इतना सत्य समझती है तो इसका अंग्रेजी और उर्दू अनुवाद कराके भी बेचवाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आप को सुझाव के लिये धन्यवाद।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष--आप के सुझाव के लिये वे धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के एक-एक प्रति माननीय सदस्यों में भी वितरित करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरा ख्याल है कि उसकी क़ीमत इतनी कम है कि माननीय सदस्य स्वयं खरीद सकते हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के पास ऐसी सूचना है कि पुस्तक के लेखक महोदय को इस पुस्तक के लिये लिखने के पहले २० हजार रुपया एक ब्रिटिश फर्म के जरिये दिया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसी सूचना नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं वह गलत भी है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास इस बात की सूचना है कि यह पुस्तक "न्यु डेमोक्रैटिक चाइना" के खिलाफ लिखी गयी है जिससे हमारे देश का मित्रतापूर्ण संबंध है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसमें चीन में जो वास्तविक व्यवस्था है, उसके बारे में लिखा गया है, किसी के खिलाफ और माफिक नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुस्तक का मूल्य कितना है और कहां से उपलब्ध हो सकेगी ?

डाक्टर सीताराम--आठ आना दाम है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि "आखों देखा लालचीन" में जो चीन का सत्य वर्णन हुआ है, उस को पढ़ कर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बौखला उठे हैं और वह लेखक पर नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आप को उसके बारे में अधिक मालूम होगा। हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ सत्य है।

कानपुर के चमड़ा मजदूरों का स्मृति-पत्र

*३५--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास कानपुर के तमाम चमड़ा मजदूरों की ओर से टैनरी और लेदर वर्क्स यूनियन ने श्रम मंत्री को कोई स्मृति-पत्र भेजा है ? अगर हां, तो उसकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां।

इन मुख्य मांगों की एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है। इन मांगों पर शासन ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५९-३६० पर।)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

आचार्य जुगलकिशोर--एक वर्ष हो गया है।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन मजदूरों ने कितना रुपया चमड़े के उद्योग-धन्धों के लिये मांगा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह सूची जो माननीय सदस्य को दी गयी है उसमें जो रकम मांगी गयी है, वह दर्ज है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस विषय पर कब निर्णय हो जाने की आशा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह प्रश्न ऐसा है कि जिसके बारे में श्रमिकों और मिलमालिकों में आपस में एक कान्फ्रेन्स हो तभी यह फैसला हो सकता है। यह ऐसा मसला है कि जो किसी एक के निश्चय करने से नहीं हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जो यह मांग की गयी है उस के लिये सरकार चमड़ा उद्योग-धंधे की जांच के लिये एक जांच कमेटी बैठायेगी और सरकार इसको मान सकती है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके ऊपर अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है।

*३६--३७--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[१ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये]

*३८--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[८ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं के अनुदान का भुगतान

*३९--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं को उनके अनुदान की रकमों का भुगतान जो अभी जिले के खजाने और इम्पीरियल बैंक से मिलता है, तहसील के खजाने से देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

बलरामपुर में श्रम कल्याण केन्द्र की आवश्यकता

१—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या श्रम मंत्री बलरामपुर (जिला गोंडा) में एक श्रम कल्याण केन्द्र, जिसमें पूरे साल एक डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी रहें, खोलने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—बलरामपुर में भगवतीगंज में एक मौसमी श्रम कल्याण केन्द्र है जो गन्ने के मौसम में लगभग ५ महीने नवम्बर से मार्च तक चालू रहता है । ऐसे तीन और मौसमी केन्द्र प्रदेश में हैं । इन केन्द्रों में कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया जाता । इन केन्द्रों में श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है और गन्ने के मौसम के बाद बहुत कम श्रमिक रह जाते हैं । इस कारण श्रम कल्याण केन्द्र को बलरामपुर में पूर्ण वर्ष तक रखने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

बलरामपुर में शाप्स एण्ड कामर्शियल ऐक्ट लागू करने का विचार

२—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या श्रम मंत्री बलरामपुर नगर में शाप्स एन्ड कामर्शियल ऐक्ट लागू करने को सोच रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रदेश के कुछ नगरों में, जिनमें बलरामपुर भी सम्मिलित है, जहां यू० पी० शाप्स एंड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट भी लागू नहीं है, उसे लागू करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

श्री रामेश्वर लाल द्वारा श्री मलखान सिंह पर लगाये गये पक्षपात विषयक आरोप के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—श्री रामेश्वरलाल जी, आप कुछ अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हों तो आप दे सकते हैं ।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल कुछ आवश्यक कार्य के कारण सदन के बाहर था । माननीय गुप्ता जी ने जब अपनी सफाई यहां पर दी तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था । मैंने उनके भाषण की प्रतिलिपि पढ़ ली है और मैं यह आवश्यक समझता हूं कि आपकी आज्ञा के अनुसार कुछ अपनी सफाई दे दूं ।

श्रीमन्, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं किसी माननीय सदस्य के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगाऊं लेकिन यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, उसका मुख्य कारण श्री मलखान सिंह जी का पत्र था जिसको मैंने आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया है । श्री मलखान सिंह जी ने अपने पत्र में जो कुछ लाइन लिखी है मैं अपनी सफाई में उसे पेश करना आवश्यक समझता हूं । श्री मलखान सिंह जी का पूरा पत्र अगर मैं यहां पर पढ़ूं तो काफी सदन का समय व्यतीत होगा । इसलिये कुछ लाइन पढ़ कर सफाई देना चाहता हूं । पहली लाइन यह है कि :

"Sri Chandra Bhanu Gupta has telephoned to the D. M. (Maheshwari) to help us and to take steps against the miscreants."

श्री गुप्ता जी ने डी० एम० महेश्वरी को टेलीफोन किया हमारी मदद करने के लिये उन मिसक्रेन्ट्स के खिलाफ । दूसरा पैराग्राफ यह है कि :—

"I gave a small chit in writing to Sri Niwas about relinquishing the house in case the D. S. O. allots it in your name and not otherwise. I think he must have shown you the chit. If there is any difficulty in it, that chit should be torn and the D. S. O. should be told that it is my (Malkhan Singh's) Constituency office. I do not think there is any hurry for a new allotment order."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामेश्वरलाल]

श्रीमन्, तो यह सही है कि इस पत्र में मलखान सिंह जी ने यह लिखा है कि कानूनी तरीके से उनकी मदद करो लेकिन यह अपना इंटरप्रिटेशन है परन्तु अन्य जिलों में ऐसी परिस्थितियां आयी हैं । .....

श्री अध्यक्ष:—मैं जानना चाहूंगा कि आप इन शब्दों को वापिस लेते हैं या नहीं ?

श्री रामेश्वर लाल—मैं यही कह रहा था कि अन्य शहरों में ऐसी परिस्थितियां होने के बाद किसी मंत्री महोदय को फोन करते हुए नहीं देखा और उसके द्वारा परिस्थितियों पर काबू पाने की चेष्टा की गयी हो । मैं जानता हूं, श्रीमन्, कि वहां के डी०एम० काफी कांपीटेंट हैं और अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को भली भांति समझते हैं । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि उस फोन करने का मतलब यही निकाला जाता कि कानूनी और गैर कानूनी तरीके से मदद करो । मैं गुप्ता जी की सफाई के बाद और सदन की परिपाटी के अनुसार अपने शब्दों को वापिस लेता हूं और इसी को उचित ही समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष—सदन की यह साधारण परिपाटी रही है कि वैयक्तिक मामलों में इस प्रकार के आक्षेप न किये जायं । उन्होंने अपने शब्दों को वापिस ले लिया है और परिपाटी का जिक्र भी किया है लेकिन मुझे यह दिखायी नहीं देता कि इसके विषय में उन्हें इस समय तक कोई दुःख हुआ हो । मुझे अफसोस है कि उन्होंने उस पत्र का हवाला दिया जो मलखानसिंह जी ने लिखा था और स्पष्टीकरण में उन्होंने यह भी नहीं बताया कि पत्र किस तरह से उन्हें प्राप्त हुआ इस सदन में यह शंका उनके बारे में भी आ सकती है कि उन्होंने उसे कहां से किस प्रकार से प्राप्त किया इसका उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिये था लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिया । श्री रामेश्वर लाल जी ने अपने भाषण में ये वाक्य कहे थे जो मैंने उनको दिखा भी दिये थे । "गैर वाजिब या वाजिब तौर पर किसी भी तरह लीगल या इल्लीगल तौर पर यह कार्यवाही की जाय ।" मैं उनके भाषण का यह भाग पढ़ कर भी सुना दूं तो अच्छा हो उनके शब्द ये हैं:— "माननीय मलखान सिंह जी ने इसमें यह लिखा है । माननीय गुप्ता जी ने वहां के कलेक्टर श्री महेश्वरी को यह टेलीफोन किया कि मलखान सिंह जी और उनकी पार्टी की मदद करो और उस मकान को खाली न होने दो और जितनी भी सहायता की जरूरत हो, कानूनी और गैर-कानूनी तरीके से मलखान सिंह जी की सहायता करो ।" मलखान सिंह जी के पत्र में यह बात नहीं थी और रामेश्वरलाल जी ने स्पष्टीकरण में स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने यह नतीजा निकाला था । पत्र में जो कुछ लिखा है वह एक बात है और उससे नतीजा निकालने की बात दूसरी है । पत्र में ये लिखा है यह कहने से सदन को बहुत बड़ा भारी भ्रम हो जाता है कि पत्र में ही ऐसे शब्द आये हैं । मैं चाहता था कि यह सब चीज खूबसूरती के साथ समाप्त हो जाय । इसलिये मलखान सिंह जी का जो वैयक्तिक मामला था उसका जिक्र मैं नहीं चाहता था कि सदन में हो इसलिये मैंने उस दिन कहा था कि वह पत्र इस सदन में न पढ़ा जाय । श्री रामेश्वर लाल जी उसे पढ़ने से तो रुक गये लेकिन उन्होंने अपने भाषण में यह बात कह दी जो कि पत्र में नहीं थी इसलिये मुझे उस दिन यह भ्रम हो गया था कि शायद पत्र में ऐसी बात हो और अगर ऐसी बात लिखी गयी हो तो उसमें यह हो सकता है कि प्रिविलेज का सवाल भी उठे । इसलिये मैंने श्री रामेश्वर लाल से कहा था कि अगर ऐसी बात लिखी है तो आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं । इस पर श्री मलखान सिंह जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया तो मैंने उनसे भी कहा कि अगर आपका यह स्पष्टीकरण है तो आप भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं । उसके बाद श्री रामेश्वर लाल ने मुझे दूसरे रोज पत्र लिखा कि उन्हें प्रश्न उठाने के लिये अधिक समय मिलना चाहिये और समय के बाद उन्होंने यह पत्र मुझे यहां पर दिया । श्री मलखान सिंह जी ने भी इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाया और उन्होंने भी इस समय के बाद में ही नोटिस दिया जो समय कि मैंने निर्धारित किया था सोमवार को देने का । नियम के अनुसार उन्हें कार्यवाही शुरू होने के पहले इसको सचिव के सम्मुख पेश करना चाहिये था लेकिन यह कार्यवाही शुरू होने के बाद हुआ । तो मैंने समझा

कि जब देर हो गयी है तो इसको खूबसूरती के साथ समाप्त कर दिया जाय। खासकर जब श्री रामेश्वर लाल जी ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं और प्रश्न उपस्थित करने में भी देर हुयी है तो मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की किसी को भी मैं इजाजत दूं। लेकिन मैंने यह उचित समझा कि सदन में इस बात को स्पष्ट कर दूं कि श्री मलखान सिंह जी के पत्र में कहीं भी वैध या अवैध तरीके से मदद करने की बात नहीं लिखी है।

दूसरी बात यह है कि जिस तार का हवाला उनके पत्र में दिया गया है उस तार को भी मैंने मंगा लिया है और मैं बतला देना चाहता हूं कि तार में मिस्क्रिएंट्स शब्द आया है। चूंकि उसका जिक्र सदन में हो चुका है इसलिये मुझे उसका पढ़ना आवश्यक है। तार इस प्रकार है—

"ASK SAMPURNANANDJI ORDER DISTRICT MAGISTRATE TO TAKE ACTION POSITIVELY AGAINST MISCREANTS."

इस पत्र में जो लिखा हुआ है उससे मालूम होता है कि माननीय सदस्य मलखान सिंह जी बहुत डरे हुये थे कि जबरदस्ती उनके मकान पर कोई हमला होने वाला है इसलिये उन्होंने मदद लेने की कोशिश की और पत्र लिखा। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द का भी स्पष्टीकरण आ चुका है। श्री मलखान सिंह जी के पत्र में उनके बारे में लिखा है —

"Received your telegram. It was duly handed over to B. Sampurnanandji in the House in the presence of Chandra Bhan Gupta, Hargovind Singh and other ministers and he has promised to do the needful."

शब्द 'नीडफुल' का कानूनी जो अर्थ निकलता है वह यह है कि जो योग्य बात है, जो उचित चीज है वह की जायगी। मलखान सिंह जी का उस तौर का यह जवाब है, यह स्पष्टीकरण शब्द नीडफुल का है। जहां तक गुप्ता जी का उक्त पत्र में सम्बन्ध आता है, श्री रामेश्वर लाल जी ने उसको भी पढ़ कर सुना दिया। उसमें यह लिखा है "गुप्ता जी ने यह टेलीफोन किया है कि "to take action positively against miscreants". जो तार का सन्दर्भ है उससे यह अर्थ स्पष्ट लगता है। मैं समझता हूं कि जब बाहर गर्म वातावरण हो जाता है तो माननीय सदस्य किसी बात में भी कुछ और अधिक अर्थ लगा देते हैं। थोड़ी सी मेरी भी अदूरदर्शिता हुई कि मैंने इस पत्र को उनको उस समय पढ़ने नहीं दिया। अगर मैं उनको पढ़ने देता तो माननीय सदस्यों के सामने सब बातें स्पष्ट हो जातीं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, आप स्वयं उस पत्र को पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ देता हूं, लेकिन उतना ही पढ़ूंगा जितना कि सार्वजनिक विषय से संबंधित है। जो व्यक्तिगत बातें उन्होंने किसी अपने मित्र को लिखी हों और कोई हिदायतें दी हों मैं समझता हूं कि यह सदन के सामने नहीं आना चाहिये और मैं उस हिस्से को नहीं पढ़ूंगा लेकिन जितना सार्वजनिक प्रश्न के सम्पर्क में आता है वह जरूर सुनाऊंगा :

"Received your telegram. It was duly handed over to B. Sampurnanandji in the House in the presence of Chandra Bhan Gupta, Hargovind Singh and other ministers and he has promised to do the meedful. Sri Chandra Bhan Gupta has telephoned to the D. M. (Maheshwari) to help us and to take steps against the miscreants. Please keep me in touch about all activities of these *Goondas*. I am sure Sri Shri Niwas must have seen you in the office at about 7-30 p.m. or so yesterday for I constantly pressed him to see you while he was at the station. In your absence from the office, please see that you keep at least two persons at the office. Keep the above room locked and if one person (Chandra Pal)remains at the phone he must at once phone to Phone No. 2 if anything happens. If you think my presence is necessary at Aligarh, give a letter to Shri Niwas who is coming to Lucknow on 24th or 25th instant.

[श्री अध्यक्ष]

I am very very anxious about you for you are left alone."

तो मैं बतलाना चाहता हूं कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री मलखान सिंह जी के दिमाग पर इसका बहुत जबरदस्त असर था कि कोई जबरन उनके आफिस पर कब्जा कर लेगा, इसलिये ये शब्द उन्होंने लिखे और उन शब्दों से श्री रामेश्वर लाल जी को शंका हुई कि सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है और इसीलिये उन्होंने अपने भाषण में आक्षेप किया ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इतनी बात कह देना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--मेरे बोलते वक्त कृपा कर के आप बोलने का प्रयत्न न करें । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री रामेश्वर लाल जी के दिमाग पर इस पत्र के शब्दों का असर किस तरह से पड़ा और उसका उन्होंने किस प्रकार से अर्थ निकाला । उनके भाषण के वाक्य सदन के सामने हैं । इतने स्पष्टीकरण के बाद मैं किसी को अधिक कहने की इजाजत नहीं देता हूं लेकिन सदन की जानकारी के लिये मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार के वातावरण में यह चीज हुई और चूंकि यह स्पष्टीकरण भी कार्यवाही में रहेगा और मेरा जो इस विषय में स्पष्टीकरण हो रहा है वह भी रहेगा लिहाजा मैं उचित नहीं समझता हूं कि श्री रामेश्वर लाल जी के भाषण का कोई हिस्सा कार्यवाही से निकाल दिया जाय क्योंकि निकालने से प्रस्तुत स्पष्टीकरण का कोई अर्थ नहीं होगा । अब स्पष्टीकरण काफी हो चुका है और आगे के लिये मैं आशा करता हूं कि आइन्दा कभी भी यदि किसी को ऐसी शिकायत हो तो उस शिकायत को पहले मेरे कमरे में भेजने की कृपा करें । जल्दी करने से क्या परिणाम हो सकता है, श्री रामेश्वर लाल जी भी उससे नसीहत लेंगे । कभी-कभी ऐसी बात हो जाती है कि जिससे पोजीशन गिर जाती है । उनकी गिरी, मेरी गिरी या सदन के किसी सदस्य की गिरी तो इससे मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा गिरती है । हर सदस्य की प्रतिष्ठा से सदन की प्रतिष्ठा बंधी हुई है । जिस तरह के भाषण हम देते हैं उसका असर जनता पर पड़ता है, वह देखती है कि हमारे नुमाइन्दे किस तरह से वादविवाद करते हैं क्योंकि शांति पूर्वक विवाद करने के लिये सर्वश्रेष्ठ संस्था इस प्रदेश की जो है वह यह सदन ही है ।अगर उसी तरह से यहां भी बहस हुआ करे जैसी बाहर छोटी-छोटी संस्थाओं में होती है तो मैं समझता हूं इस सदन की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती । इस दृष्टि से मैं समझता हूं यदि कभी आक्षेप भी हो तो बहुत विचारपूर्वक और पूरी छानबीन के बाद होना चाहिये । जब तक दूसरे से, जिस पर कि आक्षेप करते हैं पूरी बात न मालूम कर ली जाय और पूछा न जाय कि भाई तुमने ऐसा लिखा है या ऐसा कहा है, तब तक आक्षेप करना उचित नहीं है । अब इसके सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही है वह समाप्त की जाती है और इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरी भी कुछ चर्चा हुई है तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि.....।

श्री अध्यक्ष--आप की चर्चा भी किसी ने की है ?

श्री राजनारायण--जी हां, हुई है और मैं समझता हूं कि अगर मुझे मौका दिया जाय तो मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं और सफाई दे दूं ।

श्री अध्यक्ष--आपके ऊपर कोई आक्षेप तो नहीं है, आप वाकयात के बारे में कुछ कहना चाहें तो कल कह सकते हैं, कल आपको मैं मौका दे दूंगा, अब आज तो वह चीज समाप्त कर दी है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पत्र की जो चर्चा आ गयी है उससे इस सदन को कौतूहल होगा और मुझे तो कम से कम है कि श्री मलखान सिंह का जो पत्र है वह श्री रामेश्वरलाल जी को कहां से प्राप्त हुआ ।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये मैं रामेश्वर लाल जी को मौका दूंगा कि यदि वह चाहें तो बता दें जिससे लोगों की शंका निकल जाय ।

(श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

क्या आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, आपको वह पत्र मिला था ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं तो समझता था कि जब आप हमको कल मौका देंगे तो उसी समय मैं कह दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---अच्छा है, कल ही इसके बारे में स्पष्टीकरण दे दीजियेगा ।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों परमतदान---विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्तावों पर विचार जारी रहेगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि यह जो अनुदान चल रहा है उसको एक बजे तक खत्म कर दिया जाय और उसके बाद श्रम वाला अनुदान ४ बजे तक ले लिया जाय और उसके बाद ४ से ५ तक समाज कल्याण वाला हो।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन्, कल आपके सम्मुख यह बात तय हुई थी कि अनुदान संख्या ३३ पर सिर्फ पौन घंटे रहे । तो वह आज उतना ही रहे ।

श्री अध्यक्ष---कल २० मिनट मिला था क्योंकि कल इसके पूर्व का अनुदान कुछ समय अधिक ले चुका था ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं एक बात श्रीमन्, रखना चाहता हूं कि समाज कल्याण और श्रम एक साथ ले लिये जायं तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष---(श्री जगन्नाथ मल्ल से) इसमें तो विशेष आपत्ति की बात नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अलग विषय है और हम लोगों को बड़ी असुविधा होगी क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग तैयार किया है ।

श्री अध्यक्ष---तो एक चीज रहेगी कि मैं सवा चार बजे तक इसे रक्खूंगा और उसके बाद पांच बजे तक समाज कल्याण पर विचार होगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, जहां तक श्रम का सम्बन्ध है उसकी बहुत सारी बातें समाज कल्याण के अन्दर भी आ जावेंगी । इसलिये मैं यह कह रहा हूं, श्रीमन्, कि दो-दो बार लोगों को नहीं बोलना होगा । उसी में दोनों की बातें कह सकेंगे और दोनों की बातें आ जावेंगी ।

श्री अध्यक्ष---नहीं, मैं अब श्रम के लिये सवा चार बजे तक समय कर दूंगा और बाद में पौन घंटा समाज कल्याण के लिये रहेगा ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैं सदन का प्रोग्राम जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रोग्राम के बारे में बाद को मालूम हो जायगा ।

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कल हाउस बैठेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, इसके लिये हम पहले ही संकल्प कर चुके हैं।

अनुदान संख्या ३३-- लेखा शीर्षक ५०-- नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (क्रमागत)

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--श्रीमन्, यह सबको भलीभांति विदित है कि हमारे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय है। मान्यवर, इन परिस्थितियों में इन लोकल बोर्डों का चलना सम्भव नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता वक्त पर नहीं आती।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सदस्यों में आपस में बातें बहुत हो रही हैं और यहां तक सुनाई देती हैं। माननीय सदस्य सदन में शांति बनाये रहें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मान्यवर, मैं इस समय फैजाबाद जिले के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। समयाभाव के कारण मैं अतिरिक्त प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा लेकिन जो कुछ कह सकूंगा उसका प्रयास करूंगा।

मान्यवर, जिला बोर्ड फैजाबाद के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव एक वर्ष हुआ जब पारित हुआ और सरकार के सम्मुख वह प्रश्न सदैव रहा परन्तु उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। मान्यवर, आप यह समझ सकते हैं कि जिस अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो चुका हो और जिसके प्रति किसी भी सदस्य की श्रद्धा बाकी न रहे वह किसी बोर्ड को कब तक चला सकता है। मान्यवर, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में दलबन्दी है और उसका नतीजा यह है कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। टैक्स किस पर लगाया जाता है जो कि दूसरे दल के हैं और जिनकी आज यह स्थिति नहीं है कि वह कर दे सकें। श्रीमन्, अध्यापकों की तनख्वाहें ३-३ महीने तक नहीं दी जातीं यहां तक कि वह गार्जियन्स के पास भी जाते हैं और यह बात उठाते हैं कि हम किस प्रकार से आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं? मान्यवर, यही नहीं बल्कि प्रशासन में कोई भी अहलकार अपने को किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं समझता है। मान्यवर, आप स्वयं इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। यह आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में होगा और उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में होगा कि इतने दिनों तक अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। यह उनके दल विशेष की बातें हैं और इसका परिणाम इस हद तक ही नहीं है। यह अध्यक्ष साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस के सदस्यों ने ही उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया था। इस सम्मानित सदन के चार सदस्य कांग्रेस से मुअतल किये गये थे और बाद को माननीय सम्पूर्णानन्द जी, जोकि आज इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उन्होंने इस बात का निर्णय किया और यह तय किया था कि वह चार आदमी बहाल रहें और अध्यक्ष इस्तीफा दे। मान्यवर, यही नहीं मैं अधिकारपूर्ण तरीके से यह भी कह सकता हूं कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी निर्णय है कि वह अध्यक्ष पद से स्तीफा दे परन्तु यह जो यू० पी० सी०सी०, जो एक महत्वपूर्ण संस्था है और जिसमें गुटबन्दी है और मैं तो यह भी कह सकता हूं कि आज इस प्रदेश में एक संदेह उत्पन्न होने लगा है कि....

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--यह यू० पी० सी० सी० का डिस्कशन हो रहा है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं, और यह जो मुख्य मंत्री की बात आप कह रहे हैं यह कोई प्राइवेट इन्फार्मेशन है या कोई खुफिया इत्तला आपके पास पहुंची है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) इसे आप स्पष्ट कर दें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--आप यदि आज्ञा दें तो मैं उचित उत्तर दे सकता हूं। यह ऐसी चीजें हैं कि जो उनके दल के लोग सड़कों पर चिल्लाते फिरते हैं। यह उन्हीं के दल की बातें हैं। श्रीमन्, अगर वह इंकार कर सकते हैं तो कर दें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आपका यह जो भाषण है यह संगत है या असंगत ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह---यदि असंगत हो और आपकी आज्ञा हो तो मैं न कहूं लेकिन यह संगत है, इसलिये कि यह इस विभाग में अंधेर है और आज इस चीज को अपने दल विशेष के लिये वह छिपाना चाहते हैं। यदि किसी मंत्री में या किसी अध्यक्ष में कुछ विशेष ममता है तो आज के नियम, अधिनियम इस तरह से फ्लाउट किये जा सकते हैं, वह इस तरह से हवा में उड़ाये जा सके हैं और उसका यह नमूना है। इससे सरकार को सीखना चाहिये और उसे सही और सत्यता के मार्ग पर चलना चाहिये। किसी सरकार के लिये किसी दल विशेष के कारण अपने मार्ग से इस तरह से विचलित होकर इस हद तक नाजायज और नाजेबा चीजें करना किसी भी दल के लिये कभी भी मुनासिब नहीं हो सकता।

मान्यवर, यही नहीं आज मुझे यह कहना है कि अगर मंत्री महोदय थोड़ा सा कष्ट सहन करें और फैजाबाद जिले में जाकर देखें तो उनको यह पता चल सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐग्जिस्टेंस में नहीं है। श्रीमन्, सड़कों की यह हालत है कि कोई भी मोटर उस पर जा नहीं सकती। विद्यार्थियों में असंतोष है, मास्टरों में क्षोभ है और अनुशासनहीनता इस रूप तक हो चली है कि मनमाने ढंग से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम चल रहा है। यही नहीं मान्यवर, मंत्री महोदय को कुछ ताज्जुब की बात लगी और उन्हें आपत्ति हुई श्रीमन्, आप स्वयं इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं लिहाजा आप ही इस बात पर निर्णय दें कि जो मैं कह रहा हूं यह असंगत है या संगत है।

श्री अध्यक्ष---मैं संगत और असंगत का फैसला अध्यक्ष की हैसियत से दूंगा न कि भूतपूर्व मंत्री होने की हैसियत से।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, आप दोनों पदों पर सुशोभित थे लिहाजा आप समझ सकते हैं और मंत्री महोदय को अगर चोट लगी हो तो वह भी आप समझ सकते हैं। लिहाजा इन सब बातों को कहते हुए मैं म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, म्युनिसिपल बोर्ड फैजाबाद का यह आलम है कि प्रेसीडेंट जनसंघ का बहुमत कांग्रेस का, नतीजा यह है कि वहां पर दो अमली हुकूमत हैं। एक अध्यक्ष और केवल ८ सदस्य हैं, एक बोर्ड जिसकी स्ट्रेन्थ ३६ मेम्बरों की हो, अब वे ८ मेम्बरों से बोर्ड चलाना चाहते हैं। उसका दुष्परिणाम यह है कि सिवाय दल बन्दी के कानून कायदे से उनसे मतलब नहीं। जिस तरह से हो कुछ लोगों को या तो निकालना है या जो आर्डिनरी मीटिंग नियम १८६ के अन्तर्गत होनी चाहिये, वह भी होनी असम्भव है। एक कमेटी का फार्मेशन अभी तक म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं हो पाया। यही नहीं आज वह दिन दूर नहीं है जबकि यह लोकल बाडीज के ऊपर यदि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिससे वे सुचारु रूप से चल सकें, तो मैं समझता हूं कि आज से पूर्व जितना परिश्रम इस विभाग के लिये हो चुका है वह सब निरर्थक साबित होगा। मान्यवर, यह एक ऐसी वस्तु है, भले ही लोग कहें कि लोकल बाडीज स्क्रैप कर दी जायं, बहुत से लोग कहते हैं कि पंचायतें विद्यमान हैं, लिहाजा लोकल बाडीज की जरूरत नहीं है, श्रीमन्, उनको भ्रम है। वे यह समझते हैं कि पंचायतों का काम टैक्स लगाना और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी काम टैक्स लगाना है लिहाजा जब दोनों का यही काम है तो

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

दोनों को रेग्जिस्ट करने की क्या जरूरत है, मैंने कल ही सुना। लेकिन यह भ्रमात्मक बात है। उनका जूरिस्डिक्शन, इनका जूरिस्डिक्शन बिल्कुल अलग अलग है। यह कहा जाय कि पंचायतें लोकल बाडीज का पूरा काम कर सकती हैं, मैं समझता हूं कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में वह समय नहीं आया है और ऐसी अगर कोई बात की जाती है तो प्रदेश के लिये हितकर प्रतीत नहीं होगी।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान सार्वजनिक निर्माण विभाग वाला जो आज सदन के सम्मुख है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मगर मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस विभाग से संबंधित कुछ सार्वजनिक निर्माण की बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो इसमें चर्चा है युद्धोत्तर काल में जो सड़कों का कार्यक्रम था, मेरे जिले में भी बिलासपुर कासनी एक सड़क थी और दादरी-छलेरा, दादरी-जारचा, और सिकन्दराबाद-झाझर की सड़क है। चूंकि सड़कों की कमी है हमारे यहां सरकार ने उन सड़कों को लिया और उनको प्रथम श्रेणी में रखा गया। बाद में जब लौटाकर जिला बोर्ड को सड़कें सरकार ने दीं तो जिला बोर्ड और सब जगह यही चर्चा होती कि सड़कें सरकार ने लौटाकर हमको दी हैं और हमने माँगी नहीं थीं। अब ऐसी स्थिति में वह लटक गयीं कि न जिला बोर्ड उनकी जिम्मेदारी महसूस करता है और न सरकार। थोड़ी बहुत सहायता की बात शेष क्या कही जाय सड़कों के बारे में जिला बोर्ड में इतना मतभेद होता है कि कहीं भी उनका बनना सम्भव नहीं हो सका और ठीक वही मिसाल हुई कि "आसमान से गिरा और खजूर में अटका" यही हालत हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सरकार उन सड़कों को सीधे अपने हाथ में ले ले और अगर पहले प्लान में सरकार ने उनको प्रथम श्रेणी में रखा था तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बने तो उसमें प्रथम श्रेणी की सड़कों को प्राथमिकता देनी चाहिये। इससे जनता का भारी कल्याण होगा। जहां तक जिला बोर्डों की स्वयं की सड़कों का सम्बन्ध है उनके बारे में सदन खुद जानता है और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि जिला बोर्डों की आर्थिक हालत कितनी खराब है। मैं अपने जिले की हालत जानता हूं कि पहले जो जिला बोर्डों का प्रोग्राम है उसी का चलना मुश्किल हो जाता है, फिर सरकार भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जिला बोर्ड को दे दे तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है।

म्युनिसिपैलिटियों के बारे में मुझे मालूम है कि काफी म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि उनको खामख्वाह धन खर्च करने के लिये आये दिन योजना बनानी पड़ती है और वे नये नये टैक्स लगाया करती हैं। मवेशियों पर टैक्स पहले नहीं लगता था, लेकिन आज कल कोई मवेशी अगर शहर में हो कर गुजर जाता है तो चाहे वह खेती का कितना ही उपयोगी मवेशी क्यों न हो उसपर भी टैक्स लग जाता है। हमने कई बार इस तरह की शिकायतें कीं कि जो किसानों के उपयोगी पशु हैं अगर उनपर सरकार टैक्स लगाना बन्द कर दे तो बहुत उचित होगा, मगर इस बारे में सरकार न मालूम क्यों नहीं ध्यान दे रही है। म्युनिसिपैलिटियां सरकार से सहायता की मांग किया करती हैं। उनके जो उपयोगी काम हैं जनता के, वह तो जरूर होने चाहिये, लेकिन म्युनिसिपैलिटियों को सहायता देते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि उसकी आर्थिक हालत क्या है। अगर यथार्थ में खराब है तो सहायता देनी चाहिये और अगर उनकी हालत खुद इतनी अच्छी है कि वह नयी योजनाओं को बनाकर खुद रुपया खर्च करती हैं तब सरकार को उनको सहायता कम देनी चाहिये और देखभाल कर के देनी चाहिये। इसी के साथ अगर सरकार जन उपयोगी कामों में जिला बोर्डों को सहायता दे तो उससे काफी जनता का भला होगा और सरकार का नाम होगा। यह सुझाव देते हुए मैं फिर ध्यान दिलाऊंगा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार प्रथम श्रेणी वाली सड़कों को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अपने हाथ में लेकर उनको प्राथमिकता अवश्य दे, इससे जनता और प्रदेश का कल्याण होगा ।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय स्पीकर साहब, जो ग्रांट इस वक्त हमारे सामने है मैं उसकी ताईद करता हूं । मेरी एक दिक्कत इस सिलसिले में यह है कि इस ग्रांट में जो ८८ लाख रुपये गवर्नमेंट ने दिये हैं वह जाहिर एक कम सी रकम मालूम होती है, लेकिन इसके अलावा इसी बजट की और दूसरी ग्रांट में भी लोकल बाडीज के लिये काफी रकम रखी गयी है । काश अगर कुछ ऐसा मुमकिन हो सकता कि लोकल बाडीज को जितनी ग्रांट दी जाती है वह सब एक ग्रांट में दी जा सकती, तो हम लोगों को बजट पढ़ने में और गवर्नमेंट जो कुछ फैसला करती है उसको अच्छे तरीके से समझने में भी काफी सहूलियत और आसानी होती ।

जनाब वाला, लोकल बाडीज का मसला इस सूबे में एक बहुत पुराना मसला है । आपको याद होगा कि जब आप इस मुहकमे के वजीर थ तो उस जमाने में यहां एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी बैठायी गयी थी और उस कमेटी ने काफी दिनों तक काम किया और काम करने के बाद अपनी दो रिपोर्टें गवर्नमेंट की खिदमत में पेश कीं--एक पंचायतों के सिलसिले में थी, दूसरी लोकल बाडीज के सिलसिले में । जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया आते हैं। मुझे याद है, मुझे भी उस कमेटी में काम करने का मौका मिला और उसके अन्दर कुछ बहुत जरूरी सिफारिशें गवर्नमेंट की खिदमत में पेश की गयी थीं। जिनमें सबसे बड़ी सिफारिशें यह थीं कि लोकल बाडीज की सर्विसेज प्राविंश्यलाइज कर दी जायं और दूसरी यह थी कि लोकल बाडीज को सुपरवाइज करने के लिये यहां लखनऊ के सदर मुकाम पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाया जाय । इस मामले को कई मर्तबा इस हाउस के सामने भी उठाया जा चुका लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक इस सिलसिले में उस कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है । मैं जानता हूं कि इस अरसे में बहुत से जरूरी काम रहे और उनकी वजह से इस बात का मौका नहीं मिल सका कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता । लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि बगैर और ज्यादा वक्त लगाये अब इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट को और खासकर उसकी इन सिफारिशों को कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाया जाय और सर्विसेज प्राविश्यलाइज कर दी जायं, इनको पूरा होना चाहिये । इनके मुताल्लिक कुछ ज्यादा कहना नहीं है क्योंकि यह ऐसा मामला है कि हर शख्स इसको महसूस करता है कि इसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । लोकल बाडीज में एक आमतौर पर शिकायत यह भी है कि उनके पास आमदनी कम है। उनके जो जरिये हैं आमदनी के वह महदूद हैं । इस सिलसिले में भी एक कमेटी बिठाई गयी थी और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी एक कमेटी बिठायी थी । उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी थीं लेकिन यह वाकया है कि अगर लोकल बाडीज को हम इस बात का मौका देना चाहते हैं कि वह काम को आगे बढ़ायें और वाकई लोकल बाडीज को उसी स्पिरिट में चलायें कि जिसकी कांस्टी-ट्यूशन में ख्वाहिश की है तो हमें टैक्सेशन के मामले में कोई अंतिम फैसला करना पड़ेगा । जाहिर है कि हमारे मुल्क में जहां, तक इन्तजाम करने का ताल्लुक है, तीन तरह की गवर्नमेंट्स हमारे यहां हैं, यूनियन गवर्नमेंट्, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट । तो मैं तो यह चाहता हूं कि एक मर्तबे इस बात का फैसला हो जाय कि जो मुल्क की रेवेन्यू हो वह रेवेन्यू किस सूरत से तकसीम की जाय, उसका कुछ प्रोपोर्शन मुकर्रर कर दिया जाय । उसका एक प्रोपोर्शन यूनियन गवर्नमेंट का हो, एक स्टेट गवर्नमेंट का हो और एक लोकल बाडीज का हो । यह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि अगर टैक्सेशन का कोई उसूल नहीं होता तो बगैर उसूल के गवर्नमेंट मुल्क के अन्दर सही तरीके पर तरक्की नहीं कर सकती । बाज मुल्क हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुल्तान आलम खां]

यूरप के, फ्रांस के, कुछ इंग्लिस्तान में भी, और और भी मुल्क हैं खासकर के जहां फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट है, वहां इस पर अमल किया जाता है और वहां यह बात बहुत जरूरी होती है कि आमदनी को तकसीम कर दिया जाय कि कितना यूनियन गवर्नमेंट का खर्चा हो, उसके क्या रिसोर्सेज हों, उसको कितना हिस्सा मिलना चाहिये, कितना स्टेट को मिलना चाहिये और कितना लोकल बाडीज को मिलना चाहिये । एक चीज और भी है । लोकल बाडीज में आम तौर पर एक शिकायत यह भी रही कि जहां तक सड़कों का इन्तजाम रहा है, वह ठीक नहीं रहा है । मैं समझता हूं कि अगर यह आवाज उस जमाने में उठायी जाती जिस जमाने में कि यहां पर फारेन गवर्नमेंट थी तो शायद ज्यादा अच्छा न मालूम होता । अब मुल्क के अन्दर जो गवर्नमेंट है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे लोकल बाडीज हों लेकिन वह सब हमारी कौमी हुकूमतें हैं, हमारे कौमी इंतजामात हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आगया है कि हम इस मसले पर गौर करें । जहां तक सड़कों का इंतजाम है वह गवर्नमेंट के पास आजाना चाहिये । इसके अलावा मेरा ख्याल यह भी है कि जहां प्रायमरी एजूकेशन का सवाल है तो वह गवर्नमेंट के पास आजाना चाहिये और लोकल बाडीज के पास प्रायमरी स्कूल्स नहीं होने चाहिये क्योंकि लोकल बाडीज के पास इनके रहने से ऐसा इंतजाम नहीं हो सका जैसा कि होना चाहिये था ।

जनाबवाला, मुझे यह भी मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट कुछ छोटे कस्बों और टाउन एरियाज को इलेक्ट्रीफाई करने जा रही है । मैं गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब यह स्कीम हमारे सामने है तो हमारे जिले फर्रुखाबाद को भुलाया न जाय । इसलिये कि जब कभी कोई स्कीम आती है तो मगरबी और मशरकी सवाल उठ जाते हैं और उसमें दरमियानी लोगों की तरफ कम तवज्जह की जाती है । इसलिये मैं खास तौर से तवज्जह दिलाऊंगा कि हमारे जिले का एक खास हिस्सा होना चाहिये । मैं ख्वाहिश करूंगा कि कबाल टाउन्स के लिये कारपोरेशन ऐक्ट भी जल्दी ही इस ऐवान के सामने आजाना चाहिये ।

मैं गवर्नमेंट को आखिर में बधाई देना चाहता हूं कि शहरों में म्यूजियम के लिये और चिल्ड्रेन्स पार्क के लिये ७०,००० रुपये की मांग की है, जिसकी तरफ दूसरे लोकल बाडीज की तवज्जह होनी चाहिये । इस तरह से अगर सब जगह म्यूजियम और चिल्ड्रेन्स पार्क कायम कर दिये गये और हम इस तरह रिक्रयेशन का इंतजाम कर सके तो हमारे यहां दूसरे सोशल रिफार्म्स भी हो सकते हैं मस्लन हम प्रोहिबिशन में नाकामयाब हो रहे हैं, अगर हम इस तरह के रिक्रेयेशन कायम कर दें तो शायद इसमें भी हम कामयाब हो सकें ।

*श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इसकी कमियों की तरफ भी उनका ध्यान दिला दूं । आजमगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की परिस्थिति की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आजमगढ़ जिला बहुत बड़ा जिला है और मेरा ख्याल है कि सूबे के बड़े जिलों में इसका भी शुमार है और इस पर प्रति वर्ष बाढ़ का प्रकोप होता रहता है । गत वर्ष बाढ़ और अतिवृष्टि से इस जिले में करीब ४ लाख की बिल्डिंग और सड़कों की हानि हुई है । एक सड़क अहरौला के पास करीब १५० फुट टोंक नदी के पास कटकर बह गयी और चार दरख्तों को भी बहा ले गयी । इसके लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आजमगढ़ ने प्रस्ताव मंत्री महोदय के पास भेजा था और ४ लाख रुपये की मांग की गयी थी । लेकिन गतवर्ष कुछ भी नहीं मिल सका और इस वर्ष भी मुश्किल से ७५,००० रुपया मिला है, ४ लाख की मांग के मुकाबिले में यह ७५,००० रुपया तो दाल में नमक के बराबर है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अलावा सड़कों की हालत खराब हो गयी है, स्कूल के भवनों की हालत खराब हो गयी है लेकिन खेद इस बात का है कि इस तरफ हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पहले बहुत से अनुदान मिला करते थे लेकिन अब तो इसमें भी कटौती होना शुरू हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जिला आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की दयनीय परिस्थिति की तरफ ध्यान देने की कृपा करें और जो हमारी मांग है, जो पारसाल नहीं मिली थी, थोड़ी सी रकम इस वर्ष देने की कृपा करें।

दूसरी बात घाटों के बारे में है। जो निर्माण कार्य होता है उसके लिये रकम बहुत थोड़ी रखी गयी है। परन्तु हम अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहते हैं कि हमारे जिले में बहुत से घाट हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन हैं लेकिन धनाभाव के कारण जिस तरह से काम होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। इसलिये उनके लिये सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी तरह से म्युनिसिपल बोर्ड आजमगढ़ भी बहुत बड़ी म्युनिसिपैलिटी है परन्तु धनाभाव हमेशा रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कुछ न कुछ सहायता दी जाय इसमें सड़कों के बारे में लिखा है कि जो उनको बाढ़ आदि से हानि पहुंची है उसकी मरम्मत के लिये ५०० रु० रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि इस काम के लिये ५०० रु० कोई रकम नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और हमारे जिले को भी काफी अनुदान दें।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मैं अपने कानपुर जिले की ओर जो कि एक बदकिस्मत जिला है और जिसकी देहात और भी ज्यादा बदकिस्मत है जिसके बारे में हमारे बजट में कभी कोई जिक्र नहीं आया करता, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कानपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उन सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी हालत बहुत ही खराब है। कुछ छोटी सड़कों को श्रमदान के जरिये दुरुस्त कराया गया है लेकिन जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनमें श्रमदान से काम नहीं चल सकता उनकी हालत बहुत खराब है। नतीजा यह है कि जो जिले में छोटी छोटी मंडियां हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे घाटमपुर, मूसानगर, रसधान आदि। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास पैसा नहीं है कि उनकी मरम्मत करा सके। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत जिस जीवन और मृत्यु के बीच में है वह तो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन जो अलग अलग टैक्स लग रहे हैं, गांव सभा के, टाउन एरिया के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और जहां जहां जमींदारियां बाकी हैं उनके, इससे वे बाजार भी बड़ी तबाही की हालत में हैं। जो हालत आज है उसके देखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि हमारे यहां जो विकास का काम चलता है वह रुपया ठोस काम में लगे और ऐसी स्कीम हो जिससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जो विकास कार्य करते हैं उनमें सामंजस्य हो और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको सहायता मिल सके। इसके अलावा मैं एक और बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कानपुर एक बहुत बड़ी म्युनिसिपैलिटी होने के कारण शहर में बहुत काफी रुपया खींच लेती है।

इसके अलावा उन सड़कों की ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये जो फर्स्ट फेज में ली गयी थीं लेकिन बाद में एबन्डन कर दी गयीं। उनमें से एक सड़क भोगनीपुर अमरौधा सड़क है जिसकी लम्बाई दो मील है। कभी अमरौधा एक बहुत बड़ी मंडी थी लेकिन सड़क खराब हो ने की वजह से वह तबाह हो गयी है, और रहम की तलबगार है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी कानपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इन कठिनाइयों की ओर ध्यान देंगे और आयन्दा हमारे बजट में कानपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये कुछ न कुछ रकम इस काम के लिये रखी जाया करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि प्रान्त में पांच कैंबाल टाउन्स इस समय सरकार ने अपने अन्तर्गत कर लिये हैं और उन कैंबाल टाउन्स में एक एक प्रशासक महोदय बैठा दिये गये हैं। मैं इलाहाबाद का निवासी हूं। वहां भी एक प्रशासक महोदय हैं, एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे उनको यह स्थान दिया गया है। हमारे यहां का प्रबन्ध बहुत ही खराब हो रहा है जिसके कारण वहां की जनता में बहुत असन्तोष है। मेरे यहां चुंगी का मामला बहुत दिनों से चल रहा है और इसके लिये पहले के माननीय मुख्य मंत्री जी और वर्तमान मंत्री जी के पहले माननीय गौतम जी थे, उन्होंने आश्वासन दिये थे। उस समय बहुत से आश्वासन गवर्नमेंट की ओर से दिये गये कि वहां चुंगी का मामला बहुत जल्द हल कर दिया जायगा। परन्तु दुःख है कि आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहां हमारे यहां सफाई का प्रबन्ध है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसका कारण यह है कि जिस स्थान पर चालीस सदस्य ठीक तरीके पर काम करते थे वहां पर एक वेतन पाने वाले आदमी को बैठा देना उचित नहीं है वह एक आदमी किस तरह से कर सकता है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहूंगा कि जिस तरीके पर हो जल्द से जल्द हमारे यहां का शासन जनता के हाथ में आना चाहिये जिससे जनता के चुने हुए आदमी वहां का प्रबन्ध करें। तब ठीक होगा और यह तभी हो सकता है कि या तो जो पुराने चुने हुए मेम्बर थे जिनको हटा दिया गया है उनको फिर लाया जाय या पांच आदमियों की कमेटी बना कर उस स्थान का काम उसको दें। दूसरी ओर मैंने बताया कि चुंगी का सवाल हमारे यहां बहुत दिनों से चल रहा है और वह तय न होने के कारण हमारे यहां का व्यापार दिन प्रतिदिन चौपट होता जा रहा है।

आप जानते हैं कि हमारे यहां गंगा यमुना में गंदा पानी गिरता है। उसके लिये सरकार ने इसके पहले प्रबन्ध किया था, परन्तु इधर ढील बहुत दिखायी देती है, और मैं चाहूंगा कि उसके लिए कुछ अनुदान रख दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पार्कों में इस समय दूकानें लगी हुई हैं। उन दूकानों को हटा कर अगर सरकार उन शरणार्थियों के लिए कोई दूसरे स्थान पर दूकानें बनवा दे और उन पार्कों को जनता के लिये छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार से म्यूनिसिपल बोर्ड शिक्षा विभाग के स्कूलों में हमारे यहां अग्रवाल कालेज है। वहां पढ़ने के लिए स्थान नहीं है। अगर गवर्नमेंट शिक्षा विभाग में मकान बनवाने के लिए कुछ रुपया दे देगी तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरी बात मैं सरकार से यह कहूंगा कि जो अल्फ्रेड पार्क हमारे यहां है जिसके लिए वहां की जनता चाहती है कि उसका नाम चन्द्रशेखर आजाद पार्क रख दिया जाय और उसके लिये सरकार के पास डेपुटेशन भी आया था। मैं चाहूंगा कि उस पार्क का नाम चन्द्रशेखर आजाद पार्क रख दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि नये मंत्री और उपमंत्री के आने से हमारी लोकल बाडीज का सुधार होगा। लेकिन जहां हम सुधार की आशा करते हैं हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उनके समक्ष कुछ जो कमजोरियां हैं वह भी रख देनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं और यह समझ में आता है कि हमारी लोकल बाडीज के ऊपर, सरकार कहिये, जिलाधीश कहिये, किसी को कहिये, देखने भालने वाला भी कोई नहीं है समय कम है, इसलिए कुछ उदाहरण देकर बताऊंगा।

मैं मैनपुरी नगरपालिका का एक निवासी हूं। अभी हाल में वहां जो एक एक्टिंग एक्जिक्यूटिव आफिसर थे उन्होंने एक सज्जन को एक मिल के लगाने की इजाजत दे दी जो कि कायदे से नहीं कर सकते थे। बाई लाज में यह है कि दस हार्स पावर तक आटे

की चक्कियों के लिए इजाजत दे सकते हैं । लेकिन एक लम्बी चौड़ी मिल लगाने के लिये उन्होंने इजाजत दे दी और कहां पर इजाजत दी। जहां पर एक हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी की जमीन है और करीब २ सौ बीघा जमीन है जिसमें से तीन साढ़े तीन सौ मकान बनने जा रहे हैं। उसके अलावा वहां ५०, ६० बीघे प्राइवेट ओनर्स की जमीन है। अब उनसे कहा जाता है तो जवाब यह मिलता है कि इजाजत मिल चुकी है इसको कैसे हटाया जा सकता है। समझ में नहीं आता। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तविक सुधार करने व स्वास्थ्य ठीक रखने के हेतु ऐसी आज्ञाएं नहीं देनी चाहिये। मिल एरिया नहीं है लेकिन वहां पर भी मिल लगाने की इजाजत दे दी जाती है। मैं समझता हूं इस प्रकार से नगरों का सुधार नहीं हो सकता। आजकल जिला बोर्ड के अन्तर्गत मुख्य तौर से तीन कार्य किये जाते हैं। शिक्षा, बाड़े और सड़कें। जहां तक बाडों का सवाल है मुझ से एक जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट ने कहा कि आप लोग इस विषय को सरकार के सामने रखें। वह यह है कि हमारे जिले में बाड़ों की संख्या जो है उसमें अधिकांश बाड़े ऐसे हैं जिनकी आमदनी २०, ३० रुपये से ज्यादा नहीं होती है। बाड़े का इन्तजाम करने के लिये एक आदमी को ६० रु० तनख्वाह दी जाती है। मैं नहीं समझता ऐसे बाड़ों के रखने से क्या फायदा है। ऐसे बाड़ों को अगर पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

जहां तक सड़कों का सवाल है, वे धीरे धीरे पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन होती जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत बहुत कम सड़कें रह गयी हैं। सड़कों की जिम्मेदारी अच्छे तरीके पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पूरा नहीं कर रहा है और वह भी इस बात को कहता है कि उसके पास रुपया नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बाडों का यह हाल है और सड़कों का भी यही हाल है जो थोड़ी बहुत रह गयी हैं उनको भी पी० डब्ल्यू० डी० को ले लेना चाहिये जिससे उनकी हालत भी ठीक हो जाय।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, प्राइमरी शिक्षा का जो प्रसार हुआ है वह हम सब लोग जानते हैं हालांकि सरकार इस बात की कोशिश कर रही है लेकिन सरकार के सामने भी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं। जिनका सुलझाना २५, ३० साल तक आसान नहीं है। गत वर्ष आल इंडिया टीचर्स कानफ्रेंस हुई थी जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि जो प्राइमरी एजूकेशन है इसको जिला बोर्ड के अधिकार से लिया जाय और इनको सरकार के हाथ में दे देना चाहिये। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसका संचालन ठीक रूप से नहीं कर पा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि सब डिप्टी इंन्सपेक्टर और डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल वह सब जिला बोर्ड के अन्तर्गत भी हैं और सरकार के अन्तर्गत भी हैं। वहां पर ऐसा होता है कि जिला बोर्ड को इन्सपेक्टर से टक्कर लेनी पड़ती है। प्राइमरी शिक्षा का जो प्रसार है उसमें यह बाधक हो रहे हैं। शिक्षा का काम उनसे सरकार को ले लेना चाहिये चाहे आइन्दा के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहें या न रहें। मैं समझता हूं इससे समाज का हित होगा और देश का हित होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म कर दें।

*मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जनाबवाला, बजट का मामला इतना अहम है और वक्त इतना कम रहता है कि हकीकत में पूरी बात नहीं कह सकते हैं। इन चन्द मिनट के अन्दर प्वाइन्ट के तौर पर मैं आपके जरिये से आनरेबिल मिनिस्टर साहब के सामने ऐसी चीज रखूंगा कि जिसको अगर वह नोट फरमायें और गौर फरमायें तो हमारी मुश्किल हल हो सकती है। मैं गोंडा जिले के अतरौला इलाके का नुमायन्दा हूं। उसके अन्दर एक सड़क है। मैं पी० डब्ल्यू० डी० से तीन साल से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

बराबर गुजारिश करता चला आ रहा हूं लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि यह नोटिफाइड एरिया है, इसका ताल्लुक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है और वही इसको तय कर सकते हैं और हम इसको नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उसमें कुछ नहीं हो रहा है। वहां के लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं और वहां पर इतनी गर्द उड़ती है कि जिसकी वजह से वहां पर लोग दिक़ की बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। अगर कोई मोटर वहां से गुज़र जाता है तो कोई मकान ऐसा नहीं कि जिसके अन्दर धूल न भर जाती हो और खास कर जाड़े के दिनों में। अगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब अपनी तवज्जह फरमाकर कुछ मदद कर दें और वहां पर ८,१० मील इस सड़क को बनवा दें तो हजारों आदमियों की जान बच सकती है। इस तरह आपकी तवज्जह होने की निहायत जरूरत है।

बड़े-बड़े शहरों के लिये गवर्नमेंट ने एक गैर जम्हूरी तरीका अख्तयार कर रखा है। इन बड़े-बड़े शहरों में एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पेश वहां आ गई कि इनको पर रख दिया गया जब कि अभी कारपोरेशन बिल को लाने का कोई इरादा भी नहीं है। अभी उस कानून को भी नहीं बनाया गया है और वर्षों आपने मुगालते में रखा है। कारपोरेशन बिल मालूम नहीं कब तक यहां आने वाला है। आपने म्युनिसिपैलिटी के अन्दर मुअत्तिल करके हम लोगों की तौहीनी की है और इस तौहीनी को दूर करने का इन्तजाम आप नहीं करना चाहते तो न करें लेकिन म्युनिसिपैलिटी का नया इन्तखाब करके नया बोर्ड कायम कर दिया जाय और ऐडमिनिस्ट्रेटर से इस खराबी को दूर करा कर अहसान कीजिये।

जहां तक इलाहाबाद का मामला है मैंने गौर करके देखा कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में जर्रा बराबर भी कोई सहूलियत या बेहतरी वहां की पब्लिक के लिये नहीं हुई। चुंगी के बारे में मुझे निहायत ताज्जुब है कि गवर्नमेंट के सरीह अहकाम होते हुए भी और ज्यादा क्वालीफिकेशन्स के आदमी मौजूद होते हुए भी कम क्वालीफिकेशन के लोगों को चुंगी के काम को सुपुर्द कर दिया जाता है। आपके कब्जे में होते हुए भी हजारों रुपया रिश्वत वहां पर चलती है और गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जुह नहीं देती। अगर आप इस तरफ तवज्जुह करें तो बड़ा अहसान होगा।

जो यह खराबियां बढ़ रही हैं उनकी एक जो वजह है उसकी तरफ आपकी तवज्जुह मुतवज्जह कराता हूं कि गवर्नमेंट की कोई भी पालिसी चन्द दिनों भी नहीं चलने पाती। अभी आपने चेअरमैन का बराहरास्त इन्तखाब रक्खा था लेकिन उसको थोड़े दिनों के तजुर्बे के बाद ही तब्दील कर दिया लेकिन अब आपने कह दिया कि बराहरास्त नहीं होगा बल्कि लोकल बाडीज के मेम्बरान इन्तजाम करेंगे। यही वजह है कि दिन ब दिन नो कान्फीडेंस के मोशन आ रहे हैं। इसकी तरफ खास तवज्जुह देने की जरूरत है। अगर आप जनता की गाढ़ी कमाई को ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस तरफ खास तवज्जुह देने की आवश्यकता है। आज म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर जो बदतर हालत पैदा हो रही है जो कभी नहीं हुई थी। शाहजहांनपुर म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर जो कुछ हो रहा है उसके मुताल्लिक मैंने पुराने वजीर साहब को एक दरख्वास्त दी थी वह शिकायत आपके पास भी आयी होगी और आप उस पर गौर फरमा रहे होंगे।

मैंने यह भी सुना है कि म्यूनिसिपैलिटी की सर्विसेज को आप धीरे-धीरे बदल रहे हैं इससे कुछ अच्छाई भी हो सकती है लेकिन जो थोड़ी तनख्वाह पाने वाले मुलाज़मीन हैं अगर आपने उनको बदल दिया तो वे छोटे-छोटे मुलाजिमीन इसके मुतहम्मिल न हो सकेंगे।

मेरा वक्त हो आया और मैं चन्द पाइन्ट्स भी बयान न कर पाया। आखिर में मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप म्यूनिसिपैलिटीज के कानून को जल्द से जल्द बनायें और आपने जो पांच बड़ी-बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज को उनके हकूक से महरूम कर रक्खा है और जहां आपने खास किस्म के ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को मुकर्रर कर रखा है उनके जरिये से आप इन म्यूनिसिपैलिटीज में जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको दूर कराने की कोशिश करें। बाज बाज म्युनिसिपैलिटी में मुलाजमीन का नातका बन्द कर रक्खा है। वहां के हुक्काम आपके आर्डर्स की पाबन्दी नहीं करते। अगर ऐसा है तो जो रकम गवर्नमेंट उनको मदद के तौर पर देती है, जो ग्रान्ट उनको देती है उसको बन्द कर देना चाहिये। गवर्नमेंट को यह शोभा नहीं देता कि उनको ग्रान्ट दे और उसके बाद वह यह भी न देखे कि वहां क्या हो रहा है, उसकी तरफ से बिल्कुल आंखें बन्द कर ले, बेखबर हो जाय। अब फिर मैं उतरौला की तरफ माननीय मंत्री जी की तवज्जुह दिलाऊंगा कि उस १२ मील के टुकड़े को बनवा कर गवर्नमेंट हजारों आदमियों की जानों को बचायेगी और वहां के लोग उनके निहायत शुक्रगुजार होंगे।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े समय के अन्दर यह बता देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स के बारे में जो हम लोगों को शिकायतें हैं उनका मुख्य कारण यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स को हुए आज ६ साल से ज्यादा हो गये हैं। कल मंत्री जी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये, इस पर सरकार विचार कर रही है, तो इस पर सरकार को जल्दी ही विचार कर लेना चाहिये। अगर सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रखना चाहती है तो उसको सुचारू रूप से चलावे। उससे जनता को बाजाय फायदे के कष्ट हो रहा है और वहां बड़ा अपव्यय हो रहा है चूंकि समय कम है इसलिये मैं सारी बातों को नहीं बतला सकता हूं लेकिन बाद में मैं माननीय मंत्री जी को बतला दूंगा। लेकिन मैं आपकी इजाजत से अपने जिले जालौन के बारे में बतलाना चाहता हूं कि वहां कई मर्ज्ड स्टेट्स और जागीरें थीं वहां की सड़कें और स्कूल की इमारतें आदि चीजें जो मौजूद थीं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास आयीं। लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि सन् ५२ से जब से जमींदारी गयी, वहां की जनता को आशा थी कि ये चीजें सरकार में जा रही हैं इसलिये इसकी और तरक्की होगी। लेकिन अफसोस है कि इन इमारतों और सड़कों पर एक पैसा भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने खर्च नहीं किया है। नतीजा यह है कि हजारों रुपये की बनी हुई इमारतें और सड़कें नेस्तनाबूद हो रही हैं। सरकार से बराबर सवाल किया जाता है कि आखिर इन सड़कों को क्यों नहीं बनाया जाता है, जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनता के ऊपर टैक्स लगा रहा है। आज तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था जो कि आप हाउस प्रापर्टी टैक्स लगा रहे हैं। रामपुर-जगम्मनपुर, रामपुर-माधवगढ़-उरई, की सड़क पी० डब्ल्यू० डी० में क्यों नहीं ली गयी है? जो सड़क पी० डब्लू० डी० में ली गई है उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा है। हमारे जिले में माधवगढ़ घी की बड़ी मंडी है, अनाज की बड़ी मंडी है लेकिन आज तक वहां की सड़कों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे सकी है। अभी जब मैं यहां आया तो मालूम हुआ कि श्रमदान से वहां कुछ काम हो रहा है जिसके लिये सरकार कुछ खर्च करने जा रही है। लेकिन ६ मील की सड़क जो है उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने नहीं बनाया है। स्कूलों की हालत यह है कि वहां के मास्टर बेचारों को तीन तीन महीने तनख्वाह नहीं दी जाती है और जब तनख्वाह दी जाती है तो उनको बुला कर दी जाती है। एजुकेशन कोड में यह लिखा हुआ है कि तनख्वाह मनीआर्डर द्वारा घर पर भेज दी जाय लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

हमारे जिले की हालत यह है कि वहां के सभापति जी तीन तीन महीने के बाद घर पर तनख्वाह भेजने के बजाय उनको अपने यहां बुलाते हैं। उनको बुलाया इसलिये जाता है कि तनख्वाह देते वक्त लोग उनसे चन्दा वसूल करें और इस तरह से उनसे चन्दा लिया जाता है और उन बेचारे गरीब मास्टरों को चन्दा देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो उनको तनख्वाह नहीं मिलती । इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रखना चाहती है तो फौरन उनका चुनाव करावे और अगर नहीं रखना चाहती है, क्योंकि प्लानिंग कमेटी के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का होना बिल्कुल बेकार है इसलिये इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय तो बहुत अच्छा है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। कुछ सदस्यों ने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी दिया, कुछ ने समर्थन किया। लेकिन मुझे खुशी है कि उधर के बैठने वालों ने और इधर के बैठने वालों ने, जो कुछ भी मैंने अपने विचार कल प्रकट किये थे उसी का समर्थन किया है। अभी एक सम्मानित सदस्य ने सरकार के ऊपर यह चार्ज लगाया कि सरकार जो है वह कुछ लोगों का साथ देती है और जैसा कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उन्होंने जिक्र किया, तो मैं अब सचमुच समझने लगा हूं कि सरकार जरूर कुछ पक्षपात करती है। मैं मिसाल के तौर पर श्रीमन् अपने जिले की बात बतलाऊं । वहां तीन म्यूनिसिपैलिटीज हैं, देवरिया, बरहज और पडरौना। मुझे दुःख है और मैं इस बात का ख्याल दिला देना चाहता हूं कि जिस वक्त म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव हो रहा था उस वक्त एक माननीय मंत्री जी ने यह भाषण किया था कि जो म्युनिसिपैलिटी दूसरी पार्टी के हाथ में जायगी उसको सरकार कोई मदद नहीं देगी। और अब मुझे विश्वास हो चला है अपने जिले के मामले को देखते हुए कि चुनाव के बाद पारसाल जो ग्रोट मिली वह देवरिया और बरहज को तो मिली जहां पर कि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी के बोर्ड्स हैं लेकिन पडरौना को कोई ग्रान्ट नहीं दिया गया है क्योंकि वहां पर सोशलिस्ट पार्टी का बोर्ड है। मैं चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह बात किसी दूसरे खास कारण से हुई हो तो दूसरी बात है लेकिन अगर मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में जो बात कही थी वह सही है तो यह नामुनासिब चीज है और मंत्री जी को चाहिये कि वह दूसरे बोर्डों की भी सहायता करें।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में एक सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तोड़ दिया जाय, मैं इस ख्याल का नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस सदन के सम्मुख डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का बिल आये और इतना ही नहीं जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि शिक्षा विभाग को बोर्ड से ले लिया जाय, मैं इस पक्ष का नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ही पूरे अधिकार दें और पावर का डिसेन्ट्रेलाइजेशन करें और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को इतने अधिकार दें कि उन के हाथ में कलेक्टर, एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स वगैरह सब रहें ताकि जनता के नुमाइन्दों द्वारा वहां का काम जिले में सुचारु रूप से चल सके और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जो कुछ भी धांधली डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती है और डी० एम० और एस० पी० काम किया करते हैं वह न कर पायेंगे, क्योंकि जनता के नुमाइन्दे जो होंगे उनके ही हाथ में और कहने पर उनको फिर चलना पड़ेगा और फिर उनको किसी तरह की धांधली करने की हिम्मत न रहेगी । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनको इस ओर ध्यान देना चाहिये और जिस वक्त वह बिल लावें तो इसको भी ध्यान में रखें।

जहां तक अध्यापकों का सवाल है उनके बारे में मैंने कल भी कहा था लेकिन फिर मैं आज आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन का वेतन बहुत कम है और उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिये और उनका तीन-तीन चार-चार महीने का वेतन बाकी पड़ा रहता है और सरकार से जो ग्रान्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जाती है वह म्यूनिसिपल बोर्ड की ग्रान्ट को देखते हुए बहुत नाकाफी है और उन म्यूनिसिपल बोर्ड के रेशियो में १ : १७ का अन्तर है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और ग्रान्ट दें और यही बात सदन के बहुत से सम्मानित सदस्यों ने जाहिर की है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

*श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह अर्ज कर दूं कि जहां तक म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का मामला है मेरा उससे अर्से से सरोकार रहा है हालांकि यह विभाग अभी थोड़े ही दिन से मेरे पास आया है। जहां तक मैं समझता हूं जो खराबियां, या जो दिक्कतें या शिकायतें बयान की गयीं वह बहुत हद तक सही हैं लेकिन काबिल गौर यह बात है कि आया इन खराबियों की जिम्मेदारी ज्यादातर किस पर है, आया सरकार पर है या उन लोकल बोर्ड्स पर खुद है। बदकिस्मती से जो तजुर्बा हो रहा है और जिस तरह से हमारे यहां लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का काम चल रहा है उससे यह मालूम होता है कि अभी जनता ने अच्छी तरह से उन उसूलों को नहीं समझा है कि बावजूद इख्तलाफ के चाहे वह राजनैतिक हो या किसी तरह का हो, हम एक साथ मिलकर काम कर सकें। बाज वक्त एक ही पार्टी के २ हिस्सों में इख्तलाफ होता है, बाजवक्त २ पार्टियों की वजह से इख्लाफ होता है लेकिन मैं अपनी जगह पर समझता हूं कि जहां तक शहर और जिले की उन संस्थाओं का ताल्लुक है हमारे यहां के लोगों में अभी तक वह बात नहीं पैदा हुई है कि वे बावजूद इख्तलाफ के अपने शहर और जिले की बहबूदी के लिए मिलजुल कर और एक होकर काम करना सीख गए हों। और इन मामलात में जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है जितनी भी कम से कम हमारे मदाखलत की जरूरत हो उतना ही अच्छा है। आप जानते हैं इसका नाम सिर्फ इसीलिये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रखा गया और यह ऐसी चीज है कि कांग्रेस ने नहीं बल्कि बहुत पहले से अंग्रेजों ने यह नाम दे रखा था बल्कि यही पहला कदम जो अंग्रेजों ने उठाया था कि इस तरह से थोड़ा सा दखल हिन्दुस्तानियों को अपने मामलात चलाने में हो। लेकिन बावजूद इतने पुराने तजुर्बे के गोकि अंग्रेजों के जमाने में उसकी वजूहात और थीं लेकिन देखा यह जाता है कि बदकिस्मती से अक्सर जगहों में क्या चीजें भलाई के लिये हैं उसमें भी इख्तिलाफ पड़ जाता है और जिसको स्मूथ वर्किंग कहते हैं यानी शान्ति से काम चले और सब मिलकर एक मकसद को सामने रखकर एक दृष्टिकोण से काम करें यह हासिल नहीं होता। गवर्नमेंट यह जानती है कि जितनी सहायता वह देना चाहती है उतनी वह नहीं दे सकती लेकिन हम बराबर यह कोशिश करते हैं कि इंसाफ के साथ पूरे सूबे की हालत को देखकर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके अन्दर हम उनको मदद करते रहे हैं और करते रहते हैं। कहीं की हालत कुछ ज्यादा खराब है और कहीं की कुछ जरा बेहतर है। लेकिन यह कहा जाय कि सब जगह इत्मिनानबख्श है या सब जगह खराब है ऐसा नहीं है कमोवेश उसमें फर्क है। जहां तक आप लोगों के सुझावों का ताल्लुक है जो-जो पेश किये गये हैं उन सब पर सरकार गौर करेगी और जो हो सकता है उसको पूरा करेगी।

फैजाबाद का मामला बहुत शिद्दत के साथ उठाया गया और माननीय सदस्य मालूम होता था कि बहुत सख्त नाराज थे कि फैजाबाद का मामला गवर्नमेंट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

ने क्यों इतने दिनों तक डाल रखा है। वह जानते हैं कि उसी मामले के सिलसले में फिर आखिर में मुकदमा दायर हो गया और अदालत ने यह हुक्म इन्तिनाई जारी कर दिया कि यहां पर गवर्नमेंट कोई ऐक्शन न ले। हमने यह महसूस किया था कि यह मामला ऐसा है जिस पर कुछ करना चाहिये। जिस वक्त यह मामला हमारे सामने आया एक तरफ से तो नोकान्फीडेंस का वोट और दूसरी तरफ से यह कि वह नोकान्फीडेंस जायज है या नहीं है। तो इसको तय करने के लिये हमें यह फैसला करना पड़ा कि हम ला डिपार्टमेंट से मशविरा करें। चुनांचे वह मामला एडवोकेट जेनरल के यहां गया और जाहिर है कि कानूनी राय हासिल करने में कुछ न कुछ वक्त लगता है और इसी वजह से जब हम करीब-करीब यह तय करने वाले थे कि नोकान्फीडेंस को मंजूर किया जाय, चूंकि यह मामला मेरे वक्त का नहीं है इसलिये मुझे ज्यादा तफसील में तो नहीं मालूम है लेकिन जो मालूम है वह यह है कि जिस वक्त गवर्नमेंट ने करीब-करीब फैसला कर लिया था नोकान्फीडेंस को मंजूर करने का उस वक्त दावा दायर हो गया और अदालत ने हुक्म यह जारी किया था कि जब तक मुकदमे का फैसला हो इस पर कोई फैसला न किया जाय। और यह खाली फैजाबाद में ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े कई अजला हैं जिसमें इस तरह के अहकाम गवर्नमेंट को पहुंचे हैं। वहां नोकान्फीडेंस पास हो चुका है और अदालत से हुक्म इन्तिनाई जारी हो गया है अब यह नहीं तय हो पा रहा है कि किस तरह से उनका काम चलावें। बाज जगह पर वहां सीनियर वाइस चेयरमैन चला रहे हैं और बहुत जगह पर सीनियर वाइस चेयरमैन का चुनाव भी नहीं हुआ था कि वहां पर चेयरमैन के खिलाफ नोकान्फीडेंस का वोट हो गया और अब वहां काम चलाने के लिये कोई नहीं है और उसमें हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाय। हम यह भी सोच रहे हैं कि नोकान्फीडेंस के लिये पहले दूसरा तरीका उस ऐक्ट में था जिसके मातहत प्रेसीडेंट्स का चुनाव हुआ था और वह तरीका बाद को बदल दिया गया था। मैं यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों को यह भी समझना होगा कि कोई चेयरमैन हो अगर उसको अपने बोर्ड का कान्फीडेंस नहीं हासिल है तो मुमकिन है कि वह अपनी चेयरमैनी को कायम किये रहे लेकिन यह बिलकुल गैरमुमकिन है कि उस बोर्ड का काम ठीक से चल सके और यह बहुत मुमकिन है कि वहां कनफ्लिक्ट रहे और शिकायतें होती रहें। इसी को महसूस करके गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि प्रेसीडेंट का सेलेक्शन पूरे शहर से हुआ करे यह मुनासिब नहीं है। तो उस पुराने ऐक्ट में सदस्यों की राय से संशोधन हुआ और वह नया कानून वहां पर कायम किया गया। लेकिन गरज दोनों की यह है कि किसी न किसी तरह से काम सहूलियत के साथ और आसानी के साथ हो। मगर वह मकसद अभी हासिल नहीं हुआ है। अभी तो हम लोगों को यह सीखना है कि हमें इस काम को किस तरह से चलाना है और किस तरह से बावजूद जाती और राजनीतिक एख्तिलाफात होने के और बाज जगह ऐसा हो सकता है कि लोग मिल कर काम करें, हम किस तरह से मिल कर काम कर सकते हैं, इस चीज को हमें हासिल करना है।

अब जिक्र इस बात का भी आया कि हमने कारपोरेशन बनाने के वास्ते बाज जगहों के म्युनिसिपल बोर्डों को मुअत्तल कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये हैं। इसके मुताल्लिक इस सदन में कई बार बयान दिया जा चुका है। सब से बड़ी चीज इसमें यह है कि कारपोरेशन बनाने के लिये इस बात की जरूरत है कि जो बोर्ड्स हैं या उनका जो इन्तजाम है वह एक खास पैमाने का हो, एक खास उनका स्केल हो और उनको उस पैमाने पर लाने के लिये कि कारपोरेशन जब बनाये जायें तब चल सकें इसके लिये जरूरत हुई कि कुछ दिनों तक एडमिनिस्ट्रेटर वहां रह कर उसकी हालत वैसी कर दें ताकि जिस वक्त कारपोरेशन बन कर आये तो उस वक्त वह स्मूथली और सहूलियत के साथ चल सके। इसलिये इसकी जरूरत पड़ी कि यह एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये जायें। वह काम कर रहे हैं और इसका मैं यकीन दिलाता हूं कि जहां

तक मेरा ताल्लुक है मेरी यह कोशिश है कि जल्द से जल्द कारपोरेशन बन जायं और उसका ऐक्ट इस सदन में पास हो जाय। लेकिन वह एक इतना बड़ा कानून है कि उसमें देर लग रही है और कई जगहों के कानून हम देख रहे हैं और हमारी यह कोशिश है कि हमारा कानून ऐसा हो कि जिसमें सब तरह की खूबियां हों और जो खराबियां हैं वह हासिल न हों। इस लिये मैंने यह तहय्या किया है कि उसके लिये एक स्पेशल अफसर मुकर्रर कर दूंगा कि वह इसे बना कर तैयार करे।

एक सदस्य---क्या यह १९५६ तक तैयार हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---खयाल यह है कि १९५५ में तैयार हो जायगा। बहरहाल और जो बातें आप लोगों ने फरमाई हैं जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उनको नोट कर लिया गया है और जहां तक तकलीफात का ताल्लुक है उसके लिये गवर्नमेंट कोशिश में रहेगी कि उनको जिस हद तक हो सके, रफा किया जाय। सड़क वगैरह के लिये जैसा कि मैंने पहले ही तकरीर में कहा था रुपया हम दे रहे हैं लेकिन हम को सारे सूबे भर को देखना है। बाज जगह कम रुपया जाता है और बाज जगह काफी ज्यादा लेकिन हमारी यह कोशिश है कि सब जगह की तकलीफात रफा हों। गवर्नमेंट आफ इंडिया भी काफी सहायता कर रही है और उम्मीद है कि यह मदद बढ़ती ही चली जायगी।

राजा वीरेन्द्र शाह---जिला बोर्ड का चुनाव कब होगा ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं अपनी इब्तदाई तकरीर में जिला बोर्ड के लिये यह अर्ज कर चुका था कि उसका कानून अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। इसके लिये जो कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उस पर हम गौर कर रहे हैं। जब रिपोर्ट एप्रूव हो जायगी तो उसके लिये भी एक स्पेशल अफसर मुकर्रर होगा ताकि वह उसका कानून बनाना शुरू कर दे और उसके पहले एलेक्शन होना या और कुछ करना मुनासिब न होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह---कब तक होगा ?

श्री अध्यक्ष---इतने सवाल जवाब का वक्त नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य) के लिये ८८,३४,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८--- लेखा शीर्षक ४७--- श्रम और संख्या

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८-श्रम और संख्या (लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग) के अन्तर्गत ३६,४०,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मुझे इस सिलसिले में, माननीय अध्यक्ष महोदय इस समय ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि जो वार्षिक रिपोर्ट मेरे श्रम विभाग की ओर से बंटी है और ऐसी मुझे आशा है कि जो

[आचार्य जुगल किशोर]

सभी सदस्यों को मिल गई है उससे बहुत कुछ निश्चित विवरण इस विभाग का मालूम हो जायगा। तो इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, संभव है जब सावाल सदन के सामने आये और उस पर कटमोशन के जरिये से कुछ प्रश्न पूछे जायं तो उनके जवाब में जो कुछ उचित होगा कहूंगा। मुझे इतना ही कहना है कि श्रम विभाग के जरिये से हमारी कोशिश यही है कि हम श्रमिकों के जीवन के स्तर को ऊंचा करें, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको हल करने की कोशिश करें, जो झगड़े आपस में मिल मालिकों और श्रमिकों में होते हैं उनके निपटारे के लिये ऐसा प्रबन्ध करें जिससे उत्पादन में कमी न हो और उनके जो अधिकार हैं वे पर्याप्त रूप से प्राप्त हों और इसी तरह अन्य कार्य हमारे इस विभाग के जरिये से होते हैं जिसका विवरण रिपोर्ट में मिल जायगा। मैं खासतौर से उन विषयों के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों का जो कि इस साल हमारे विभाग के जरिये से हुए हैं और आगे के लिये करने जा रहे हैं।

वेलफेयर ऐक्टीविटीज के बारे में, कल्याणकारी केन्द्र ४४ खोले गये हैं और अगले साल आशा की जाती है कि एक केन्द्र खोला जायगा झांसी जिले में और एक केन्द्र जो शुगर का है उसे सारे वर्ष के लियेकर दिया जायगा। इस तरीके से इन केंद्रों द्वारा जितनी सेवायें श्रमिकों की की जा सकें की जायं और यह भी कोशिश होगी कि इन केंद्रों में और भी ज्यादा विषय रखे जायं जिसके जरिये से श्रमिकों को फायदा पहुंच सकता है। इन केंद्रों के द्वारा वहां पर न केवल प्रौढ़ शिक्षा का इंतजाम किया जाता है, बच्चों की शिक्षा का, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और स्त्रियों के लिये मेटरनिटी होम और स्त्रियों को निटिंग वगैरह का काम भी सिखाया जाता है। तो इन केंद्रों के जरिये से हमें पूरा विश्वास है कि जो उनकी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकें। मैं मानता हूं कि जितनी उनकी दिक्कतें हैं, पूरी दिक्कतों को दूर न कर सकें लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ इस वर्ष में हुआ है और पिछले वर्ष में हुआ है उससे मुझे विश्वास है कि इन केंद्रों द्वारा श्रमिक भाई काफी फायदा उठाते हैं और महसूस करने लगे हैं कि हमारे लिये भी सरकार या समाज कुछ कर रहा है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐम्पलायर्स और ट्रेड यूनियन्स का जितना कार्य श्रमिकों के संगठन के लिये होना चाहिये अभी तक नहीं हो रहा है और जब ऐम्पलायर्स अपने फर्ज को नहीं समझेंगे कि हमें भी कुछ करना है, ट्रेड यूनियन्स अपना फर्ज नहीं समझेंगी कि हमें अपने मेम्बरों के लिये कुछ कार्य करना है, तब तक न तो संगठन मजबूत हो सकता है और न अपना स्तर ऊंचा कर सकते हैं और न समाज के लिये लाभदायक व्यक्ति बन सकते हैं। तो मुझे आशा है कि हमारे देश के ट्रेड यूनियन्स चलाने वाले और जो ऐम्पलायर्स हैं वे भी ध्यान देंगे। अन्य देशों में इस संबंध में ट्रेड यूनियन्स काफी काम करती हैं, सरकार के ऊपर निर्भर न रह कर अपने आप इसकी योजना करते हैं और उसका प्रबन्ध करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की ऐक्टीविटीज में हमारी ट्रेड यूनियन्स और ऐम्पलायर्स कुछ न कुछ भाग लेंगे और अपना फर्ज जो है उसे अदा करने के लिये कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने केन्द्रीय सरकार की सहायता से अभी कई स्थानों में, खासतौर से कानपुर और लखनऊ में और जो बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं, वहां पर श्रमिकों के लिये गृह बनाने का इन्तजाम किया है और अभी तक ४हजार ७० बन गये हैं और १३ हजार के बनाने की योजना है। उनमें से बहुत से मकान इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले ही बन जायेंगे और मेरा ख्याल है कि शायद अगले वर्ष तक सभी मकान बन जायेंगे। इसी तरह शुगर मोलेसेज फंड के अन्तर्गत बहुत से मकान बने हैं। इस समय ७२९ बन गये हैं और कुछ और बनने जा रहे हैं और वह १९२६ के करीब और बनेंगे, वह भी उसके जरिये होंगे। उम्मीद की जाती है कि इस साल तक ये समाप्त हो जायंगे। मैंने इस तरफ इस लिये ध्यान दिलाया माननीय सदस्यों का आपके जरिये कि यह एक बड़ा भारी काम है, महत्वपूर्ण काम है। न केवल उनको रहने की सुविधा इससे मिलेगी बल्कि इसके जरिये से कल्याणकारी कार्य जो हैं उनको भी बहुत स्थान मिलेगा और उसका भी फायदा श्रमिक भाई उठा सकेंगे। आज कल यह दिक्कत बहुत पायी जाती है, खासकर कानपुर जैसे शहर में वह रहते हैं। अलग-अलग जगहों पर और ये केन्द्र जो खुले हैं वह उनसे बहुत दूरी पर हैं जिससे वह उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते।

यह खयाल किया जाता है और जो प्लान्स बने हैं उनसे यह मालूम होगा कि वहां पर इन केन्द्रों के खोलने का भी इन्तजाम किया गया है और मैं समझता हूं कि इससे उनको कम्यूनिटी लाइफ और कारपोरेट लाइफ का भी एक्सपीरियेंस होगा जिससे वह न सिर्फ योग्य बनेंगे बल्कि जो उनके जीवन की और दूसरी आवश्यकतायें हैं उनको भी वह काफी हद तक प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरीके से टी० बी० क्लिनिक भी एक खोला जा रहा है जहां पर कि श्रमिकों के लिये खास तौर से इन्तजाम किया जायगा। बच्चों के लिये एक ऐसा मकान भी बनाया जा रहा है जहां पर कि श्रमिक बहनों के बच्चों का इन्तजाम हो सके या और जो बहनें हैं, जो काम करती हैं वह अपने बच्चों को वहां छोड़ कर काम पर जा सकें ताकि ज्यादा तादाद में स्त्रियां उद्योग धंधों के काम में लग सकें। एक गेस्ट हाउस भी ज्वेलीकोट में बनाने का इन्तजाम हो रहा है जिसके लिये कि माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा, लेडी श्रीवास्तव ने, जो उनकी कोठी थी ज्वेलीकोट में, वह उन्होंने अपने पति ने नाम पर गवर्नमेंट को दे दी है। वहां एक गेस्ट हाउस बनाया जायगा, जहां पर कि श्रमिक भाई जा सकते हैं और वहां उन्हें ठहरने की सुविधा दी जायगी। यह कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता था।

अब रहा सवाल इंडस्ट्रिअल रिलेशंस का, उद्योग धंधों में आपस में किस तरह से समझौता हो, किस तरह से श्रमिक और मिल मालिक में समझौता हो सके, काम में रुकावट न पड़े, उसके लिये एक बड़ी मशीनरी सरकार की तरफ से नियुक्त है, कंसीलिएशन मशीनरी कहलाती है वह। इसके अलावा एडजुडिकेशन का प्रोसेस है और इंडस्ट्रिअल कोर्ट्स वगैरह हैं। कोशिश इस बात की जाती है कि जहां तक हो सके, झगड़ा कंसीलिएशन के पास से ही खत्म हो जाय। यही नहीं कोशिश इस बात की भी की जाती है पहले से ही कि झगड़ा उठे ही न लेकिन अगर कोई झगड़ा हो तो वह पहले कंसीलियेशन के जरिये से ही उसका निपटारा कर देने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। इस साल कंसीलियेशन बोर्ड के सामने पिछले साल की अपेक्षा १,७८२ केसेज कम आये। पिछले साल १९५३ में उनकी तदाद ५,६५५ थी जब कि इस साल केवल ३,८७३ केसेज ही आये। इसी तरह एडजुडिकेशन के भी पिछले साल १,११२ केसेज थे और इस साल कुल ८३९ रहे। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो झगड़े हैं, वह आपस में ही मिट जाते हैं और इतनी नौबत नहीं आती है कि उनको कोर्ट्स के पास भेजा जाय। तो इस मशीनरी से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि झगड़े जो होते थे उनको कम करने यह एक अच्छा तरीका हमने निकाला है और इसके ऊपर विश्वास भी मिल मालिकों का और श्रमिकों का पैदा होता जा रहा है जिसकी कि बड़ी आवश्यकता थी। कुछ माननीय सदस्य हो सकता है इससे एग्री न करते हों लेकिन जहां तक फिगर्स हैं, यह मैं नहीं कहता कि पूरे तौरसे विश्वास आगया है, लेकिन फिर भी फिगर्स से यह पता चलता है कि विश्वास जरूर उनमें पैदा हुआ है। हमारी कंसीलिएशन मशीनरी इस तरह से बनी हुई है कि जगह-जगह पर उसके रीजनल आफिसर्स हैं जो जगह जगह जा-जाकर न सिर्फ इस बात की कोशिश करते हैं कि झगड़ा खत्म हो जाय बल्कि यह भी देखते हैं और इस बात का भी प्रयत्न करते हैं कि झगड़ा न होने पाये।

इसके बाद दो तीन बातें और इस विभाग के सिलसिले में कहना चाहता हूं। शाप्स ऐक्ट हमने बना रखा है। इस शाप्स ऐक्ट को लागू हुये कई वर्ष हो गये। उसके इन्तजाम में कुछ दिक्कतें थीं। अब कोशिश की जा रही है कि शाप्स ऐक्ट को और ज्यादा विस्तृत किया जाय और इसके साथ-साथ शाप ऐक्ट के मातहत जो शाप असिस्टेंट्स हैं और लेबर असिस्टेंट्स हैं उनका भी एक पूल बना दिया जाय जिससे कि ज्यादा तादाद में लोग ज्यादा काम करें। इससे यह सुविधा होगी कि जो मामले बहुत दिनों से पड़े रहते हैं वह सब तै हो जायेंगे।

इसके अलावा हमारे विभाग के जरिये से एफिश्येंसी की जांच करने के लिये जिसके बारे में बहुत सी शिकायतें आती हैं। कहा जाता है कि यहां पर नेशनलाइजेशन के लिये भी तथा स्टैंडर्डाइजेशन के लिये भी जरूरी है कि गवर्नमेंट को, श्रम विभाग को पता रहे कि एफिशेंसी का क्या स्टैंडर्ड है। कोई ऐसा टेस्ट होना चाहिये कि मशीन कितनी एफिश्येंटली वर्क करती है

[आचार्य जुगल किशोर]

और वर्कर कितना एफिश्यंट है। इस तरह का रिसर्च डिपार्टमेंट रहे और वह हाल ही में खोला गया है और उसके जरिये से हमारे विभाग को काफी सहायता मिलती है। बहुत से केसेज जो उनके पास आते हैं इस बात का निर्णय करने के लिये कि मजदूरों का काम ढीला है या नहीं, यह मशीनरी ठीक काम कर रही है या नहीं, उसके बारे में वहां जांच की जाती है।

तीसरी चीज जिसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि लेबर डिपार्टमेंट की जो इसके मातहत आर्गेनाइजेशन है वह काफी मजबूत हो गयी है। इस खयाल से कि ज्याद तादाद में उनके पास मामले आते हैं और वह ज्यादा कोशिश इस बात की करते हैं कि जो लाज वगैरा बने हैं, जैसा कि पब्लिक फैक्ट्री ऐक्ट है और इस तरह के कम्पेंसेशन ऐक्ट वगैरा हैं, उनके मनवाने में ज्यादा सख्ती से और जल्दी से उसको किया जाय। तो लेबर डिपार्टमेंट का एक यह भी मुख्य काम रहा है कि जो लाज गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं मजदूरों के सुभीते के लिये मिलों में ठीक तरह से काम हो, वहां पर उनके स्वास्थ्य के लिये जो इन्तजाम हो इसके बारे में जो निरीक्षण होता है, जो रिपोर्ट आती है और प्रासीक्युशन होता है उसके जरिये से कोशिश की जाती है कि जहां तक हो सके प्रासीक्युशन, अगर कोई ऐसे केसेज आते हैं, तो उसका हो ताकि दोबारा न किया जाय। इसमें शिकायतें माननीय सदस्यों की तरफ से यह रही है कि इसमें ढीलापन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का संगठन हम कर रहे हैं उससे आगे के लिये इतनी ज्यादा शिकायतें इसके संबंध में नहीं आयेंगी।

ये कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे माननीय सदस्यों से आपके जरिये से कहना था और मैं आशा करता हूं कि जब वह प्रश्न उठायेंगे, मैं उसका जवाब देने से मैं सफल हूंगा और उनको संतोष होगा।

श्री अध्यक्ष--श्री जगन्नाथ मल्ल जी भाषण बाद में शुरू करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

श्री बैजू राम ने शपथ ग्रहण की।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४७--श्रम और संख्या

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, जहां तक इस विभाग का सवाल है या सरकार ने जो अनुदान मांगा है और जो पिछले आंकड़े हैं उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस मद्द में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। १९५३में २३,७५,९२३ रुपया था, ५४-५५में २७,५२,२०० रुपया और इस साल ३६,४०,३०० रुपये का अनुदान मांगा गया है। अनुदान में तो बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है और जहां तक काम का सवाल है वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वही अब भी है। कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, इसके नये-नये विभाग खुलते चले जा रहे हैं।

सब से पहले मैं आपका ध्यान एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें ४६,५०० रुपये की मांग की गई है। यह करीब-करीब हर जिले में हैं और जहां तक उनके काम का सवाल है उससे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की ५ प्रतिशत जनता को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहा यह जाता है कि उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रांत के लोगों को काम दिलाया जाता है लेकिन हालत यह है कि जो लोग इसमें जाकर अपना नाम लिखाते हैं उनको काम नहीं मिलता है। जो विभाग या कारखाने हैं वह इसके भेजे हुये लोगों को नहीं लेते हैं, इसलिये यह बेकार सा हो रहा है। खैरियत बस इतनी ही है कि जितने लोग इसकी सर्विस में हैं उन लोगों को एम्पलायमेंट मिल रहा है। बाकी प्रांत की जनता की बेकारी का मसला हल हो उसके लिये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि इससे तो यही बेहतर होता कि सरकार जिलों में कमेटियां बना दे और दो चार क्लर्क दे। इससे सरकारी रूपये की बचत भी होगी और लिखा पढ़ी भी होती रहेगी और काम भी चलता रहेगा।

दूसरी जो मद है उसमें जितने भी फैक्ट्री इन्सपेक्टर्स इन्सपेक्शन के लिये रखे गये हैं उसमें सरकार ने ३,२३,५०० रुपये की मांग की है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो उनकी ड्यूटी है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सी मिलों में तनख्वाहें तक बाकी रहती हैं। मिल मालिक पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट को तोड़ते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई तगड़ा कदम नहीं उठाया जाता है और न ज्यादातर मिलों का चालान ही किया जाता है और न इस बात की कुछ व्यवस्था ही की जाती है कि मजदूरों को बाकी पैसा किस प्रकार से मिले। अभी मैं हाल का जिक्र बतलाता हूं कि पडरौना मिल में मजदूरों की ६ महीने की तनख्वाह बाकी थी, छै सात लाख रुपया बकाया था। मजदूरी का प्रश्न था। मजदूरों को इतनी तनख्वाह तो मिलती नहीं है कि कुछ बचत हो और आगे के लिये वह उससे अपना काम कर सकें, इस कारण से वह बहुत परेशान थे। इस चीज को लेकर उन्होंने प्रस्ताव पास किया और उनका एक डैपूटेशन वहां से यहां आया और इस संबंध में अधिकारियों से मिला। लेकिन उसका जवाब यह मिला कि मजदूरों की आदत पड़ गई है कि हल्ला मचायें और कोई वैसी बात नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह बात सुन कर कि एक तो उन को तनख्वाह नहीं मिली, खाने बगैर मरते हैं, कोई नयी मांग नहीं थी, कोई तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं थी और उस पर कह दिया गया कि हल्ला करने की आदत है। क्या करें, हल्ला न करें, हड़ताल न करें तो क्या करें? हमने भरसक प्रयत्न किया कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पैदा न हो, हड़ताल न हो और मामला सुलझ जाय लेकिन अन्त में मजदूरों ने मजबूर हो कर हड़ताल की नोटिस दी। दो दिन मिल बन्द रही उसके बाद फिर समझौता हुआ और मिल चलने लगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि इधर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वही समझौता हड़ताल करने के पहले किया जा सकता था और जो इतना नुकसान हुआ देश का, इंडस्ट्री का, मजदूरों का, वह न होता। उसमें हुआ क्या? हुआ यह कि कंसीलिएशन आफिस स एक खत आया कि इसको कंसीलियेशन बोर्ड में भेजो। बकाया मजदूरी का मामला, उसको कंसीलिएशन बोर्ड में भेजना मेरी समझ में नहीं आता। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और जो मिलें वक्त पर तनख्वाह नहीं देती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय और इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि मजदूरों को बिलकुल समय से मजदूरी मिल सके। जहां तक मजदूरों और मालिकों के झगड़े का संबंध है मैं आपको बताऊं जो सरकारी किताब में आंकड़े छपे हैं उनके हिसाब से कुल कंसीलियेशन बोर्ड में ३ हजार ८ सौ ७३ मामले आये, उसमें १ हजार ८ सौ में समझौता हुआ। बाकी २ हजार ८ सौ ६५ मुकदमे बचे। उसमें ६३१ मुकदमे एडजुडीकेशन में फैसला करने के लिये भेजे गये, बाकी २ हजार २ सौ ३४ मुकदमों में कोई समझौता नहीं हुआ। मजदूर अपनी मांग को ले कर आता है, यहां सरकार के अधिकारियों के पास आता है तो लिख देते हैं कि हम मुकदमा नहीं चलायेंगे। इस सदन में भी पिछले श्रम मंत्री जी ने कई बार वादा किया कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमे भेजे जायंगे लेकिन उसके ऊपर पालन नहीं हुआ। यह महज हमारी शिकायत

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

नहीं है जितने भी मजदूर संगठन में काम करने वाले हैं सब की इस किस्म की शिकायत है और बार-बार कहने पर कभी कह दिया जाता है कि केंद्र से कानून बन रहा है, कभी कुछ कह दिया जाता है जिससे मजदूर को बड़ी परेशानी होती है। इस परेशानी को सरकार को हल करना चाहिये। इतना ही नहीं मैं एक और जिक्र कर देना चाहता हूं। सहारनपुर में बहुत से एवार्ड हुये जिसका पालन करना जरूरी था। उसका पालन न करने के कारण हड़ताल हुई। सरकार को मजदूरों की मदद करनी चाहिये और मिल वालों पर मुकदमा चलाना चाहिये। जब कि ऐडजुडीकेशन हो चुका और जब कि कानून यह कहता है कि अगर मिल मालिक अवार्ड को न माने तो मिल मालिक पर मुकदमा चलाया जाय उस पर मुकदमा न चला कर मजदूर नेताओं को १०७ में पकड़ा गया। और उन पर यह मुकदमा चलाया गया कि तुम ने हड़ताल करने के लिये कहा या हड़ताल क्यों की ? यह पहला दृष्टांत है हमारे सूबे में जिसमें मजदूरों के ऊपर इस तरह से मुकदमा चलाया गया।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं जो कि लेबर वेलफेयर अफसरों के संबंध में है। सरकार ने एक कानून बनाया और उसके मातहत हर फैक्ट्री को जरूरी हो गया कि लेबर वेलफेयर आफिसर रखें जायं। जहां तक लेबर वेलफेयर आफिसरों का संबंध है वह लेबर की भलाई का कोई काम करते नहीं हैं। मिल मालिकों से तनख्वाह पाते हैं उन्हीं की तरफ से बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार एक ऐसा कानून बनाये कि इन लेबर अफसरों को सरकारी नौकरी में कर ले और उनकी तनख्वाह का पैसा जिस तरह से चाहे मिल मालिकों से वसूल कर ले। उनका कुछ दिन के बाद एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दे ताकि उनकी समझ में यह आये कि हम मिल मालिकों के नौकर नहीं हैं, सरकारी नौकर हैं, और सरकारी नौकर होने के नाते ठीक तरह से काम कर सकेंगे। तभी जा कर वह मजदूरों की भलाई का कुछ काम कर सकेंगे।

चौथा प्रश्न छटनी का है। बहुत हल्ला चलता है, मजदूर भी परेशान हैं। रशनलाइजेशन के नाम पर छटनी की बात सरकार सोच रही है। मैं आपको बताऊं कि अगर मिल मालिक को इतने मजदूरों की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने इतने मजदूरों को क्यों रखा और अगर रखा तो फिर छटनी का प्रश्न कहां पैदा होता है। खासतौर से चीनी मिलों के बारे में बताऊं कि पहले इन मिलों में तीन शिफ्ट चलती थीं। उसके बाद कनून बना तो फिर साढ़े तीन शिफ्ट चलने लगीं। जो ज्यादा मजदूर थे उनको एकोमोडेट कर लिया गया। तो इस बीच में छटनी का प्रश्न कैसे पैदा होता है मेरी समझ में नहीं आता। यह मिल मालिकों का बहाना है कि वह मजदूरों के छटनी के बहाने से मजदूरों की तनख्वाह का जो प्रश्न है उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं जिससे वह गरीब खाने के बगैर इसी तरह से मरते रहें।

जहाँ तक मजदूरों के मकान बनाने का प्रश्न है सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है। इसके लिये सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने काफी मकान मजदूरों के रहने के लिये बनाये हैं लेकिन फिर भी जितने बने हैं उतने काफी नहीं हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा मकान और बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

जहां तक मजदूरों के श्रमहितकारी केंद्र का प्रश्न है और उसमें जो काम हुआ है, श्रम मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि इस बात की ओर मिलमालिकों को ध्यान देना चाहिये और मजदूर या मजदूर नेताओं को ध्यान देना चाहिये। यह सब की बात है और इस पर जरूर दोनों लोगों को ध्यान देना चाहिये, सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिये। यह खुशी की बात है कि इस ओर कुछ काम किया गया है। इस ओर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा हो सके। इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

*श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपनी सरकार और माननीय श्रममंत्री को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रमिकों के संबंध में पिछले ७-८ वर्षों में कार्यवाही की है। उसमें अधिक प्रगति के साथ आगे कार्यवाही करने का एक नक्शा भी इस अनुदान के द्वारा हमको मिलता है। श्रीमन्, कोई भी इस उत्तर प्रदेश में रहने वाला श्रमिक यह नहीं भूल सकता कि हमारे सारे देश के अन्तर्गत तनख्वाह के संबंध में, छुट्टी के संबंध में, और भिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में मजदूरों की बातें उतनी सफलतापूर्वक नहीं मानी गयीं जितनी इस उत्तर प्रदेश में, चाहे वह श्रमिक जांच समिति के निर्णय के अनुसार हुई हो, चाहे वह औद्योगिक न्यायालय की वजह से हुई हो लेकिन यह बात मुझे आपके द्वारा सरकार से निश्चय ही कहना है कि पिछले साल डेढ़ साल के अन्तर्गत श्रमिकों के बीच होने वाले सरकारी कार्यों से एक सीधासादा ऐसा कुछ इस्टैब्लिश हो गया कि जो कुछ सन् ५२ तक हुआ या पहले हुआ उससे आगे विशेष कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया। मैं आपके द्वारा श्रम मंत्री को जहां गृह उद्योग योजना के लिये, श्रम कल्याण केंद्र की स्थापन के संबंध में और मजदूरों के मुकदमे और उनके न्यायालय और उनके फैसले और तय करने के संबंध में जहां मुबारकबाद देता हूं वहां मैं श्रम मंत्री जी का २,३ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ रूल्स बनाये हैं सन् १९५० में और वह रूल्स इस सरकार की तरफ से वितरित किये गये। उन रूल्स में ओवर-टाइम के संबंध में यह है कि यदि कोई मिल मालिक कम्पलसरी फैक्ट्रीज में छुट्टी के अलावा काम कराये तो उस छुट्टी के दिन के काम के लिये उसको दुगुना वेतन देना होगा और साथ ही एक दिन की छुट्टी भी उसको देनी होगी। रूल की इस भाषा को सारे प्रदेश के मिल मालिकों ने इस मायने में लिया है कि वह दो दिन का पैसा एक दिन के काम के लिये तो उनको दे देते हैं लेकिन जो कम्पलसरी आफ होता है उसका कोई पैसा उनको नहीं देते हैं और वह बिना पैसे के रहते हैं। नतीजा यह होता है कि मजदूर की छुट्टी कटने के बावजूद भी उसको एक ही दिन का पैसा मिलता है और उसके बदले में जो छुट्टी दी जाती है उसका पैसा काट लिया जाता है। इस तरह से जो काम उससे लिया जाता है उसका दूना पैसा उसको नहीं मिल पाता जैसी कि ऐक्ट की मंशा है। इस संबंध में राज्य मजदूर कांग्रेस की ओर से एक चिट्ठी श्रम मंत्री जी के विभाग को भेजी गयी थी, मैं उसका नम्बर भी बता सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि मजदूरों को जो सुविधा फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार मिली है उसको सरकार उन्हें दिलाने की कृपा करेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम होने के पश्चात् कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट्री ऐक्ट के संबंध में और ओवर टाइम के संबंध में कह रहा था। उसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री ऐक्ट की जो धारायें हैं वह कई मानों में मजदूरों के लिये मुश्किलात पैदा कर रही हैं। जहां-जहां मजदूर लोग उत्पादन के कार्यों में लगे हुये हैं वहां उनके ही साथ-साथ कुछ क्लर्क लोग भी काम करते हैं। एक जगह दोनों काम करते हैं लेकिन एक फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत आता है और दूसरा नहीं आता। क्लर्क और मजदूर दोनों ही एक ही बिल्डिंग के अन्दर काम करते हैं। एक काम करता है और दूसरा उनकी हाजिरी रखता है। लेकिन वह क्लर्क फैक्ट्री ऐक्ट में नहीं आता जो उस मजदूर का वेतन और भत्ता बनाता है वह फैक्ट्री ऐक्ट में नहीं आता। इसका नतीजा यह होता है कि फैक्ट्री ऐक्ट से हमारे बहुत से मजदूर महरूम रह जाते हैं। मैं यह जानता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार फैक्ट्री ऐक्ट के बारे में स्वयं कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं श्रम मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे केंद्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय को इस संबंध में यह सुझाव भेजें ताकि मजदूरों की यह जो असुविधा है वह दूर हो जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

इसके साथ ही साथ दो चार बातें और मजदूरों के संबंध में कहना चाहता हूं । मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में लेबर की अपील्स बहुत जल्द फैसल होती हैं लेकिन जो आंकड़े श्रम मंत्रालय के द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि सन् ५४ तक ४०० केसेज हमारे प्रदेश के उनके पास पड़े हुये हैं । मैंने इसके बारे में पहले भी कहा था कि इन मुकद्दमों को कम करने के लिये और जज मुकर्रर होने चाहिये । हमारे माननीय मंत्री जी इस संबंध में गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत करें और २-३ ऐडिशनल जज मुकर्रर करके एरियर को खत्म करा दें ।

इसके अतिरिक्त एक बात और है वह यह कि मजदूरों को अपने मालिकों के मुकाबिले में लड़ना पड़ता है और उसके सिलसिले में कुछ असंतोषजनक बातें हो रही हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मिलों के बड़े-बड़े मालिक अपनी ओर से हजारों रुपया देकर बड़े-बड़े वकीलों को रख लेते हैं । अगर वे उनकी ओर से पैरवी नहीं भी करते तो कम से कम वहां सीट पर तो जरूर बैठा देते हैं । उसका नतीजा यह होता है कि मजदूरों के छोटे-छोटे कार्यकर्ता उनका मुकाबिला करने में घबरा जाते हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक़ है कि वह किसी भी मुकदमे में पार्टी बने लेकिन सरकार अधिकतर उसी वक्त आती है जब कि कोर्ट से या तो उसके पास सम्मन आता है या उस केस में कोई बुनियादी क्वेश्चन होता है । माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में मजदूरों को सलाह देने के लिये हाईकोर्ट के एक वकील को मुकर्रर कर दिया गया था लेकिन वह प्रथा अब समाप्त हो गयी है । मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा श्रम मंत्रालय के विभाग से यह निवेदन करूंगा कि ८ रीजन्स में मजदूरों को राय देने के लिये सरकार की ओर से वकील रक्खे जायं ताकि मजदूरों की असुविधा दूर हो सके । मेरा निवेदन है अपने श्रम मंत्री जी से कि वे इस विषय पर भी विचार करें और यदि सम्भव हो सके तो मजदूरों की इस दिक्कत को दूर करें । इसके पश्चात् मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में मजदूरों की तनख्वाह बराबर गिर रही है । यह पुस्तिका जो विभाग की तरफ से निकली हुयी है उसके पृष्ठ ८५ पर देखें तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि सन् ४९ से सन् ५२ तक मजदूरों की तनख्वाह बहुत गिर गयी है । यह तखमीने से साफ मालूम होता है । मंहगाई बराबर गिरती जा रही है । जो फीगर मंहगाई का निकला है उसके हिसाब से मजदूरों को हाउसिंग के लिये ४ रु० ५ आना देना पड़ता है लेकिन जो सरकार के बने हुये क्वार्टर हैं उसके लिये आप स्वयं मजदूरों से १० रु० मासिक लेते हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि इनडेक्स फीगर जो इस नयी बुनियाद पर मासिक सूचना में निकाली जाय उसमें १० रु० मासिक किराया भत्ता के रूप में जरूर दिया जाय । इसके साथ साथ श्रीमन् मैं यह कहूंगा कि बोनस का प्रश्न इस प्रदेश में बहुत जटिल होता जा रहा है ।

लेबर ट्रिब्यूनल ने जो फैसला कानपुर उद्योग के सम्बन्ध में किया है उसने यह निश्चय कर दिया है कि किसी भी इंडस्ट्री के अन्दर जब तक कि ४०० परसेंट वहां प्राफिट न हो कोई भी मजदूर कभी बोनस नहीं पायेगा । मैं यह नहीं कह सकता कि लेबर ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया है वह उचित है या अनुचित फैसला है लेकिन जो फैसला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुये इस उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया कदम इस दिशा में उठाना होगा और सारे प्रदेश के बिजली, कपड़े, चीनी, कांच और ऐसी अन्य मिलों के मजदूरों के लिये बोनस की कोई निश्चित रूपरेखा तैयार करनी होगी । क्योंकि जितना भी वहां हिसाब लिखा हुआ होता है वह मालिकों के हाथ में रहता है और वहां पर जितनी भी बैलेंस शीट्स तैयार होती हैं वे गलत होती हैं । क्योंकि कोई भी कम्पनी जिसकी सालाना मुनाफे की आमदनी ३० हजार होगी उसे मजदूरों को कोई बोनस नहीं देना होगा । आप स्वयं इस पर विचार करें कि एक कम्पनी जिसके यहां १५० आदमी काम करते हों और जिसको कर्मचारियों के वेतन के रूप में एक लाख ७३ हजार रुपया देना पड़ता हो, उसको भी इतना मुनाफा नहीं हो सकता कि वह मजदूरों को बोनस दे सके । मैंने स्टैन्डिंग कमेटी में एक बार डाक्टर सम्पूर्णानन्द

जी से भी कहा था और अब मैं नये माननीय श्रम मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि वे इसकी तरफ एक कदम उठावें कि जहां तक हो सके हिसाब-किताब सही रखा जा सके और जहां तक मजदूरों को बोनस मिलना सम्भव हो, वह मिले। यहां के मजदूर आपको भूले नहीं हैं जबकि सन् ४७ में आपकी अध्यक्षता में लेबर इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी और उस समय मजदूरों के लिये आपने बहुत कुछ किया था। इसके सिवा हमारे उत्तर प्रदेश में मार्टिन बर्न कम्पनी भी अपने यहां के हिसाब-किताब रखने में बहुत धांधली करती है उसकी भी जांच होनी चाहिये। मार्टिन कम्पनी तो इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धाराओं का इन्टरप्रिटेशन भी अपने मन के मुताबिक लगाने का दावा करती है और इस तरह से वह कानून को तोड़ रही है। मेरा तो निवेदन है कि आप इस सूबे के अन्दर एक ऐसा लेबर कमीशन बनावें जो इन सब बातों की जांच करे और मजदूरों को जो तकलीफ होती है उसको दूर करने की कोशिश करे। इस बात को आपके सेक्रेटरी भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि मार्टिन कम्पनी के यहां कितनी धांधली है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और मैं इस साल फिर अपने नये श्रम मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपने ट्रेड यूनियन को जो सन्देश दिया है उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्रेड यूनियन आपके श्रम हितकारी कामों में हर तरह का सहयोग देने के लिये तैयार हैं और सहयोग देंगे। लेकिन आज दिक्कत यह है कि अगर मजदूर कोई ऐसा कार्य करने के लिये चन्दा इकट्ठा करना चाहे और उसके लिये मजदूरों से सलाह मशविरा करना चाहे तो वह ऐक्ट के अनुसार बिना मिल मालिक की अनुमति के इस कार्य को नहीं कर सकता। आप इस बात का प्रबंध कर दें कि अगर मजदूर श्रम हितकारी कार्यों के लिये हफ्ते में एक घंटे के लिये इकट्ठा होकर इस सम्बन्ध में कोई कार्य करना चाहें और उसके लिये चन्दा आदि इकट्ठा करना चाहें तो उसके लिये मिल मालिक उनको छुट्टी दे दें। अगर ऐसा आपने करा दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मजदूरों के अन्दर एक नया उत्साह और जोश पैदा होगा जिससे वे श्रमहितकारी कार्यों को कर सकेंगे और आपका श्रम हितकारी कार्यक्रम भी सफल होगा। अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों का एक अच्छा संगठन हो सके तो मेहरबानी करके इसके लिये एक ऐसा बुनियादी कदम उठाइये जिससे कि मजदूरों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को, जो पद उन्होंने ग्रहण किया है उसके लिये, बधाई देता हूं और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का मजदूर उनसे बहुत कुछ आशा रखता है और मुझे विश्वास है कि आप के समय में उस की वह आशायें पूरी होंगी।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो अभी श्रम विभाग के सम्बन्ध में मांग रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी तक मंत्री जी का ध्यान अधिकतर कारखानों के मजदूरों की ओर ही गया है और वहीं के मजदूरों की बात को उन्हों ने सुना है लेकिन हमारे प्रदेश में बड़ी भारी संख्या, शायद करोड़ों की तादाद होगी, खेतिहर मजदूरों की है। आज तक कोई खास योजना उनके हित के लिये हमारे प्रदेश में नहीं बनी है। अभी तक १२ जिलों में जहां पर सरकारी फार्म हैं केवल वहीं पर, मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू किया गया है, अभी शायद सरकार ने कुछ जिलों में और लागू किया है, यह खुशी है लेकिन वह भी वहीं कि जहां पर सरकारी फार्म हैं। मैं चाहता हूं कि यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट सारे सूबे में सरकारी, गैरसरकारी फार्मों पर लागू किया जाय। और जो मजदूरी मिनिमम वेजेज ऐक्ट में निर्धारित है वह उनको दी जाय क्योंकि आज खेतिहर मजदूरों की जो दशा हमारे सूबे में है वह किसी से छिपी नहीं है। उसकी आर्थिक सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक उन्नति जरूरी है कि उनको ऊंची दर मजदूरी की दिलाई जाय। आज देहात का मजदूर अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता हालांकि हमारे संविधान की धारा ४५ में यह है कि प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाय। जहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू किया गया है उसकी हमें खुशी है लेकिन हमारे देहात के जो गरीब मजदूर हैं वह न तो अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं और न उनके रहने के लिये ही मकान आदि का समुचित प्रबंध है, जिस तरह से कि कभी किसी

[श्री रामदास आर्य]

जमाने में लोग पेड़ों पर रहते थे और खोहों में रहते थे आज वैसे ही इन मजदूरों के रहने की दशा है, गो उस में कुछ सुधार हुआ है यह मैं मानने से इन्कार नहीं करता लेकिन हमें यह जरूर मानना होगा कि आज भी हमारे लाखों गरीब देहाती मजदूर पेड़ों के नीचे और सड़कों पर पड़े रहते हैं और ऐसी जगहों में रहते हैं जहां मनुष्य रहना पसन्द नहीं करता। उन बच्चों के खाने-पीने का भी इंतजाम ठीक नहीं है। देहात में उनको इस कदर कम मजदूरी मिलती है कि बाज वक्त तो उनके बच्चे आधा पेट रहते हैं बल्कि वह खुद भी खाना प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको खाने पहनने और रहने की चीजों की भारी परेशानी है। रहने के लिये उनके पास न तो समुचित स्थान है और न मकान है। जहां वह रहते हैं वहीं पर जानवर और ढोर भी रहते हैं और वहीं पर वह खुद और उनके मेहमान भी आकर रहते हैं। उनके लिये अब तक कौन सी व्यवस्था की गयी है? अगर कारखाने के मजदूरों के लिये कोई चीज की जाती है तो यह भी बहुत जरूरी है कि खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट सारे सूबे में लागू किया जाय और उन सब क्षेत्रों में उसको लागू किया जाय कि जहां ६१/४ एकड़ से अधिक भूमि के किसान लोग बहुत संख्या में रहते हैं वहां उनको हर प्रकार की सुविधायें दी जायं। जबकि हम अपने यहां कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं तो उनके खाने-पीने-रहने और पहनने का प्रबन्ध करना हमारा कर्त्तव्य है। हमारे मंत्री जी, श्रम मंत्री भी हैं और समाज कल्याण का कार्य भी उनके ही पास है इसलिये हमें श्रम की महत्ता या डिगनिटी आफ लेबर को बनाना चाहिये। आज मजदूरी करने वालों का सम्मान हमारे समाज में नहीं है। उनको हम समझते हैं कि यह तो मेहनत करते हैं। आज पढ़नेवालों का सम्मान है लेकिन जो अपने हाथों से काम करते हैं समाज में उनका सम्मान कम है। हमें उनको सम्मान दिलाना है, उनको आगे रखना है और वह सहूलियतें देनी हैं जो दूसरों को प्राप्त है। यह सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब उनकी आर्थिक समस्या सुलझ जाय। और उसके लिये यही एक तरीका है कि उनकी मजदूरी का निर्धारण किया जाय, उनके काम में सहूलियतें दी जायं। आज तो वह दिन रात काम में लगे रहते हैं और यहां तक कि त्योहारों तक पर छुट्टी नहीं मिलती और यहां तक कि जब वह बाहर बरातों में जायेंगे तो उनकी वह तनख्वाह काट ली जाती है। अव्वल तो मिलती ही कितनी है लेकिन फिर भी उसमें से काट ली जाती है। तो जब तक हम उनकी इन दिक्कतों को हल नहीं कर पाते हैं तब तक हम पूर्णरूप से नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्णतया कल्याणकारी राज्य है। यह सही है कि हमने कदम उठाया है लेकिन इसको हम तभी सफल समझेंगे जबकि हमारा समाज समानता के पथ पर चलने लगे। यह उसी वक्त हो सकता है जबकि खास तौर से कोई योजना खेतिहर मजदूरों की हमारे सामने आयेगी। उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये, उनकी बौद्धिक दशा को सुधारने के लिये कोई हल हम निकाल लेंगे तभी हम समझेंगे कि हमारा काम अब शुरू हो गया है और हमारे मजदूर अब संतुष्ट हो सकेंगे। हम तो आशा रखते हैं कि वह दिन आयेगा और मजदूर भी आशा रखते हैं कि कांग्रेस है, हमको सुविधा मिलेगी। और हमें आशा है कि वह दिन आयेगा और उनको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उनको कोई शिकायत हमारे राज्य से है। हम तो गांधी जी के उसूलों को माननेवाले हैं। उनके उसूल गिरे हुओं को, गरीब मजदूरों को और अपने अधिकारों से वंचित रखे जानेवालों के लिये सब कुछ सहायता करने का था और उनको सम्पन्न बनाने का था। मैं आशा रखता हूं कि यह समानता लाने का प्रयोग अमल में आयेगा और एक योजना के साथ आयेगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि श्रम और समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें इस प्रांत के पीड़ित, शोषित और दलित वर्ग की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना उचित समझता हूं कि अब तक श्रम विभाग का कार्य केवल शहरी श्रमिकों तक ही सीमित रहा है और जो कुछ भी कार्य सरकार करा पायी है वह केवल मिल मजदूरों के क्षेत्र में ही किया गया है। तो मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान देहातों

में फैले हुये उन खेतिहर मजदूरों की ओर ले जाना चाहता हूं जिनकी ओर अबतक हमारी सरकार ने न ध्यान दिया है और न उनके विषय में कुछ सोचा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन १९४८ में हमारी प्रांतीय सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाया और उसके द्वारा मिलों के मजदूरों को सुविधायें दीं और साथ ही पूर्वी जिलों में जिनकी संख्या १२ है उनमें खेतिहर मजदूरों के लिये वह अधिनियम लागू किया। लेकिन जहां तक इस विभाग से सहायता बांटने का प्रश्न है उसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सहायता में भी खेतिहर मजदूरों के लिये हमारे सामने कोई प्रकाश नहीं डाला गया और यदि मैंने भूल की है तो माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग से पूछकर मुझे बताने की कृपा करेंगे कि उन १२ जिलों में कितने लोगों का चालान किया गया कम मजदूरी देने के लिये और यह मैं इसलिये कहता हूं कि एक बार नहीं अनेक बार हमारे विरोधी दल के सदस्यों की ओर से यह बात कही गयी है कि खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है और वह बहुत परेशान हैं। यहां तक कहा गया है, मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे उन जिलों में जाने का इत्तफाक नहीं हुआ, कि वहां के मजदूर आज अन्न के अभाव में गोबर का निकाला हुआ अन्न खाते हैं और इस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक ओर देश को आजाद हुये सात वर्ष बीत चुके हैं और दूसरी ओर एक स्वतंत्र देश के नागरिक गोबर से निकाला हुआ अन्न खा कर अपना जीवन यापन करें। यह इस देश के सभी नागरिकों के लिये एक लज्जा की बात हो जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान केन्द्रीय सरकार की एक कमेटी की रिपोर्ट की तरफ, जो खेतिहर मजदूरों की दशा की जांच के लिये सन् १९५०-५१ में बैठाई गयी थी, दिलाना चाहता हूं। यह ठीक है जैसा कि उस कमेटी की रिपोर्ट से विदित होता है कि इस प्रांत के खेतिहर मजदूरों की दशा इस देश के दूसरे प्रांतों की अपेक्षा कुछ अच्छी है लेकिन फिर भी यदि माननीय मंत्री महोदय ने उस रिपोर्ट को देखा होगा तो सबसे पहले मैं उन खेतिहर मजदूरों की संख्या पर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रदेश की आबादी का १४.३ हैं। यह मामूली सी संख्या खेतिहर मजदूरों की नहीं है। यह बात ठीक है कि इस संख्या में करीब ५.७ वह लोग भी आ जाते हैं कि जो थोड़ी बहुत पूंजी रखते हैं लेकिन उनके पास भूमि भी नहीं के बराबर है। मेरे पास समय नहीं है वरना मैं उस रिपोर्ट के आधार पर बताने का प्रयत्न करता कि उन्हें कितने दिन काम मिलता है और कितने दिन वह अपनी खेती पर काम करते हैं। इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार से उस रिपोर्ट की कुछ प्रतियां मंगा कर इस सदन के माननीय सदस्यों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें जिससे इस सदन के माननीय सदस्यों के हृदय में उनकी दशा को देख कर कुछ प्यार और मोहब्बत और उनके क्षेत्र में काम करने की भावना जागृत हो.....

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--दिया क्या जाय ?

श्री महीलाल--मैं आज उनकी जो समस्यायें हैं उनकी तरफ कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज उनके खाने की समस्या ही नहीं बल्कि उनके पास रहने के लिये भूमि नहीं है, वह जो कुछ मेहनत करते हैं उस मेहनत को पाने के लिये भी सही प्रकार से उनके लिये कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। उनकी दशा आज देश में और विशेषकर गिरे हुये ग्रामों में जो सब से ज्यादा गिरा हुआ वर्ग है उसमें है। माननीय बलवन्त सिंह जी मुझ से पूछ रहे हैं कि हम उनके लिये क्या देना चाहते हैं। उनके लिये मेरे को कुछ बताने से पहले पूज्य बिनोबा भावे जी ने बतला दिया है। उनके लिये एक ही इलाज है कि धन और धरती का बटवारा हो और वह होना चाहिये। यदि वह जल्द से जल्द नहीं होता तो जब तक वह न हो उस समय तक के लिये सरकार को उनके बच्चों की शिक्षा के लिये और उनके लिये कोई न्याय व्यवस्था, तथा घरों की व्यवस्था करनी चाहिये। और मैं यह कहता हूं कि चाहे मैं होऊं या चौधरी बलवन्त सिंह जी हों अगर वह और मैं खेती पर काम नहीं करते हैं तो उन्हें और मुझे खेती रखने का हक नहीं होना चाहिये, वह खेती उन खेतिहर मजदूरों को पहुंचनी चाहिये। (सदन में तालियां) मैं तो यह समझता था कि उन्होंने बिनोबा भावे का नारा बहुत दिनों पहले सुन लिया होगा, लेकिन मैंने देखा कि वह अभी

[श्री महीलाल]

तक उस नारे को सुन नहीं पाये हैं । उनका क्या इलाज है वह मुझसे पूछ रहे हैं । तो उस समय तक जब तक कि हम पूज्य बिनोबा भावे के प्रोग्राम को पूरा न कर पायें, उनके लिये रहने को घरों की व्यवस्था करायें और जो चकबंदी की व्यवस्था सरकार कर रही है उसमें अगर सरकार जोर डाले तो यह काम बड़ी आसानी से हो सकता है और जो अभी तक उनकी आबादी का मसला हल नहीं हो सका है वह हल हो सकता है । इसके अलावा जो निम्नतम वेतन अधिनियम हमने पास किया वह बड़े फार्मों पर लागू किया है । वह हमारे सभी खेतिहर मजदूरों के लिये, सभी जिलों में चाहे छोटी काश्त हो या बड़ी हो, सब पर लागू होना चाहिये और लागू हो कर ऐसे न रह जाय जैसे १२ जिलों में रह गया है । उसकी देख रेख के लिये पूर्ण व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये । जिससे सही तरीके में अपनी मेहनत का मुआवजा पा सकें । इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मैं यह खेतिहर मजदूरों के हित में नहीं कह रहा हूं, देश के हित में कह रहा हूं । आज खेतिहर मजदूर के ८-८ साल के बच्चे मेहनत करते हैं, स्त्रियां करती हैं, लेकिन फिर भी पेट भर भोजन नहीं पाते हैं । तो आखिर यह हमारा इतना बड़ा वर्ग जो श्रमिक वर्ग है, जिसकी उन्नति पर देश की उन्नति निर्भर करती है, जिसके स्वास्थ्य पर देश का स्वास्थ्य निर्भर करता है, अगर वही कमजोर रहा तो हमारा देश अवश्य कमजोर रहेगा । मैं आशा करता हूं कि हमारे मौजूदा मंत्री महोदय का ध्यान शीघ्र से शीघ्र इस १४ प्रतिशत जनता की ओर जायगा और उनकी जो दुर्दशा हमारे समाज में है उसके उत्थान के लिये वह एक नया कदम जल्द से जल्द उठायेंगे ।

श्री गंग प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया मैं आप को इसके लिये धन्यवाद देता हूं । उत्तर प्रदेश में दो तरह के मजदूर हैं । एक तो वे जो कि कमपेक्ट एरिया में (थोड़ी सी जगह में) मिलों के पास मिलों में मजदूरी करते हैं और दूसरे वे जो उत्तर प्रदेश में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक किसानों के साथ मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं । जहां तक मिलों के मजदूरों का सम्बन्ध है हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने अपनी आर्थिक सीमा के अन्दर, भौतिक बाधाओं के होते हुये जितना वे कर सकते थे उन्हें इनकी बहुत मदद करने की कोशिश की है । गोकि और भी मदद करने की आवश्यकता है । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

लेकिन जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है जो कि बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में फैले हुये हैं, सुबह से शाम तक मशक्कत करते हैं और उन्हीं की मशक्कत से गवर्नमेंट के खजाने में रेवेन्यू की सूरत में रुपया आता है । किसान जिसके यहां वे काम करते हैं, उनके बाल बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन बेचारे जो दूसरों का पेट भरते हैं उन्हीं के बाल बच्चे पेट पर पत्थर बांध का रात को भूखे सो जाते हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे देखें कि आज इनको समान अधिकार तो हासिल है किन्तु उनकी हैसियत कैसी है । मैं पूर्वी जिले का रहने वाला हूं, बलिया का, हमारा पेशा खास तौर से किसानी और खेती है । हमारे यहां हर एक किसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके पास कुछ मजदूर रहते हैं, खेती करने के लिये, हलवाहे के और चरवाहे के रूप में, रहते हैं । वे सुबह से शाम तक चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का हो, चाहे जाड़े का मौसम हो, काम करते हैं और मशक्कत से काम करते हैं और उनकी मेहनत की बिना पर किसान अपने बाल-बच्चों का पेट भरता है । लेकिन उनको मजदूरी क्या मिलती है । सचमुच अगर आप के सामने उस मजदूरी को पेश करूं, रखूं तो आप को भी बड़ा दुख होगा । सेर भर कच्चा सत्तू जिसको कि आप आधा सेर पक्का सत्तू कह सकते हैं और एक लोटा सीरे का रस जिसको कि आप मोलेसेस कहते हैं वे पाते हैं । दिन भर काम करने के बाद इतनी मजदूरी उसको मिलती है और वह इतनी ही मजदूरी पर सुबह से शाम तक काम करते हैं और किसान के लिए गल्ला पैदा करते हैं । किसान साल भर के लिए उनको एक बीघा और ४ कट्ठे जमीन देता है और किस प्रकार की जमीन देता है सब को

बात है कि वह जमीन जिस पर कि वह किसान खुद खेती नहीं करना चाहता । अगर इनकी औसत मजदूरी हम लगा लें, जो कि इस जमीन से उनके पास गल्ले की सूरत में आती है तो हमारा ख्याल है कि बमुश्किल चौदह रुपया या पन्द्रह रुपया महीना पड़ेगा । चौदह रुपये, पन्द्रह रुपये महीने पर इतनी मंहगाई के जमाने में कैसे एक आदमी अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है जब कि उसके पास कम से कम दो तीन बच्चे और एक औरत हो। आज उनकी एक बहुत ही अबतर हालत है। कमाते हैं वह लेकिन अपनी कमाई का हिस्सा खा नहीं पाते। सरकारी खजाने में उनकी मशक्कत का फल पैसे के रूप में आता है लेकिन सरकार अब तक उनकी तरफ कोई भी काम नहीं कर सकी है। जो कुछ वह एक बीघा चार कट्ठे में कमा पाता है, किसान ले लेता है । किसान किसके यहां कि वह मजदूरी करता है, वह उसे कुछ अग्रिम रुपये देता है, और अगर तीन देता है तो उसको तेरह बना देता है, जब खलिहान में गल्ला आता है, तो इसके पहले कि वह खलिहान का गल्ला उस मजदूर के घर जाय, वह किसान उस गल्ले को अपने घर उठवा ले जाता है अपने रुपये के एवज में। यह हालत होती है हमारे खेतिहर मजदूरों की । एक दूसरी जो दिक्कत आज पैदा हो रही है या यों कहिये कि जो खाज पर कोढ़ निकलता जा रहा है वह है हमारे ट्रैक्टर्स के प्रचलन के कारण । ट्रैक्टर के लिये यहां से जिलों को एक धनराशि दी जा रही है, जिले-जिले में ट्रैक्टर के लिये तकाबियां बांटी जा रही हैं, बड़े-बड़े किसान लोग ट्रैक्टर लेते हैं और इन खेतिहर मजदूरों को जब चाहते हैं अपने काम पर से हटा देते हैं। वे किसान जिनके पास कि ट्रैक्टर नहीं है उनके यहां भी जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों को कब और किस वक्त अपने यहां से वह हटा देंगे, इसका किसी को पता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि खेतिहर मजदूरों की हालत बड़ी ही खराब है। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं, यह सही बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की जहां तक माली हालत है, वह पहले से कुछ बढ़ी है उन्हीं के मशक्कत से, लेकिन हमारे खेतिहर मजदूरों को उस बढ़ी हुई हालत के मुआवजे में किसी भी माने में कुछ भी नहीं मिला है। जब तक सरकार इसकी तरफ खासतौर से तवज्जह नहीं करती है तब तक हमारा खयाल है कि हमारे इन खेतिहर मजदूरों की हैसियत आगे नहीं बढ़ सकती। आज यह जरूरी है कि वह इस तरफ ध्यान दे। आप ने निम्नतम मजदूरी का कानून तो पास किया लेकिन वह कानून वैसा ही रहा जैसा कि कभी शारदा बिल पास हुआ था। उसकी हैसियत आज कुछ भी नहीं है। मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो कानून बनाया गया है और जो १२ जिलों में लागू है उसको कार्यान्वित करने के लिये हमारी सरकार सचेष्ट हो और इस कानून का दायरा १२ जिलों के अन्दर ही न रख कर इसे उत्तर प्रदेश में फैलाया जाय । इसके साथ-साथ एक सुझाव यह मैं और देना चाहता हूं कि लैंडलेस Agricultural लेबर का एक विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय और उसको इस हित में पास किया जाय कि ये खेतिहर मजदूर जो कृषि करते हैं मगर कृषि का मुआवजा पा नहीं सकते, उसको पा सकें और वह भी एक इन्सान की हैसियत से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें । दूसरी बात ट्रैक्टर के मुताल्लिक मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक ट्रैक्टर के फायदे हैं, नुक्सान हैं, सामने हैं। ट्रैक्टरों के प्रचलन से खेतिहर मजदूर दिन-प्रतिदिन अपने काम से हटाये जा रहे हैं । ट्रैक्टर के खिलाफ़ एक एंटी-ट्रैक्टर मूवमेंट यहां भी चलाना चाहिये ताकि हमारे मजदूरों को उनके काम से इनके कारण हटाया न जा सके, मजदूरों को मजदूरी मिल सके और काम में लगने का मौका रह सके। उत्तर प्रदेश में भूमि को जो स्थिति है उसको देखने से यह साबित हो चुका है कि यहां ट्रैक्टर कारगर नहीं हो सकता। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी तकावी ट्रैक्टर के रूप में दी जाती है वह न दी जाय। अगर कहीं virgin स्वाइल (पर्तीभूमि) हो तो सरकार उसे खुद अपनी ओर से जोते।

श्री जगन्नाथ मल्ल--एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि जिस वक्त माननीय सदस्य बोल रहे थे, और उन्होंने यह कहा कि बलिया का रहने वाला हूं। तब एक माननीय

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

सदस्य ने उनको "बलियाटिक" कहा। मैं समझता हूं कि यह अनुचित और अनपार्लियामेंटरी है। मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—ऐसा तो नहीं कहा होगा।

एक सदस्य—शायद यह कहा था कि यह तो शक्ल से जाहिर है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे इस बात की आशा थी कि अवाड़ी कांग्रेस में समाजवादी क़िस्म के समाज के निर्माण के साथ-साथ और उसके संकल्प करने के साथ-साथ श्रम विभाग के संगठन में क्रान्तकारी परिवर्तन होगा। किसी भी देश में जहां इस बात की आशा की जाती है कि समाजवादी समाज का निर्माण होगा वहां इस प्रकार का लेबर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता जिस प्रकार का यू० पी० में है। यहां का ढांचा ऐजुडिकेशन का और कांसिलिएशन का वैसा ही है जैसा कैपिटलिस्ट मुल्कों, पूंजीवादी देशों में होता है, या ऐसे देश में होता है जो सोशलिज्म में पूरे तौर से विश्वास नहीं करते, जो स्टेटिसको में विश्वास करते हैं, ठीक वही ढांचा आज उत्तर प्रदेश में है। तो जो बजट प्रस्तुत है इसमें हमें ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखाई देती कि अब श्रम मंत्रालय को एक क्रांतिकारी तरीके से चलाया जायगा, जो कि आज मुकदमेंबाजी की भूल-भुलैया में मजदूरों को डाल दिया गया है और सरकार उसे परेशानी दे रही है ऐसी नीति बदल जायगी, लेकिन यह आशा व्यर्थ साबित हुई। आप देखें, श्रीमन्, कि आज यह अवश्य बात सही है कि शायद हड़तालों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन यह संख्या की कमी जो कि हमारी रिपोर्ट में दिखाई देती है, वास्तविक स्थिति की परिचायक नहीं है। यह एक आन्तरिक विस्फोट का परिचायक है जो कि आज मजदूर वर्ग के अन्दर माननीय मंत्री जी और श्रम विभाग स्वयं देख सकते हैं। इसको मुकदमें बाजी से य. यह कह कर के कि यह ऐजुडिकेशन में चला गया, कांसिलिएशन में चला गया, सरकार दबाती है लेकिन अगर स्थिति को सुधारा नहीं गया, कलेक्टिव बारगेनिंग का जो प्रिंसिपिल है जो होना चाहिये, उसके अनुसार नीति निर्धारित नहीं की गयी तो स्थिति बिगड़ने की बहुत संभावना है। आज आप देखें कि बैठकी की संख्या बढ़ गयी है, छटनी की संख्या बढ़ गयी है और बन्दी की भी संख्या बढ़ गयी है। बैठकियों के कारण इस साल १०,१५,००० मेन-डेज लास्ट हुए, आदमियों के काम करने के दिन बरबाद हुए, जब कि सन् १९५२–५३ में कुल साढ़े पांच लाख दिन बरबाद हुए थे। इसी प्रकार छटनी की संख्या भी इस रिपोर्ट के अनुसार जो दी गयी है, बढ़ गयी है और २२४८ मजदूरों की छटनी १९५४ में हुई, जब कि १९५३ में १७०० की छटनी हुई थी। बैठकी की संख्या में तो बहुत ही वृद्धि हुई है। सन् १९५२ में केवल ५९ बैठकियां हुईं और सन् १९५४ में १२६ हुईं। जब कि सन् १९५१ में केवल साढ़े आठ हजार मजदूर बैठकी से प्रभावित हुये थे, सन् १९५४ में साढ़े अठारह हजार हुये हैं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बैठकी, छटनी इत्यादि या तला-बन्दी जो बढ़ रही है इससे मजदूरों में जो परेशानी और अविश्वास बढ़ गया है, जो रोजी प्राप्त करने का विश्वास घटता चला जा रहा है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। बहुत सी जगह मंहगाई भत्ते का संबंध कास्ट आफ इंडेक्स से है। आप ने देखा होगा कि पिछले एक साल में २०–२० रुपया जो कानपुर में मंहगाई भत्ता मिलता था वह कम हो गया है क्योंकि प्राइस इंडेक्स कम हो गया है। इसलिये मंहगाई भत्ता भी कम हो गया है जहां मजदूरों के डी० ए० में कमी हुई है वहां जिस चीज को वह पैदा करते हैं उसमें कमी नहीं हुई है यानी कास्ट आफ प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं हुई है जिस चीज को वह पैदा करते हैं उसकी कीमत में भी कमी नहीं हुई है। लेकिन जो उनको डी० ए० मिलता है उसमें कमी हो गई है। यह एक बुनियादी समस्या है और अब मौका आ गया है कि सरकार को तय करना चाहिये कि इस मंहगाई के भत्ते के संबंध में उनकी क्या नीति हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब माननीय गिरी जी ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार मजदूरों की तरफ तो ध्यान देती है लेकिन अपने मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। आज अलग अलग सरकारी विभागों के मजदूरों के संबंध में अलग-अलग पालिसी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपने मजदूरों के लिये अलग पालिसी है, पी० डब्लू डी० डिपार्टमेंट की अपने मजदूरों के लिये अलग पालिसी है। जब तक माननीय श्रम मंत्री जी केवल व्यक्तिगत कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये नहीं बल्कि सरकारी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये भी व्यवस्था नहीं करते हैं, इस विभागीकरण की नीति को वह अपने हाथ में नहीं लेते हैं और जब तक मजदूरों में यह भेद चलता रहेगा तब तक वह घातक रहेगा। इसलिये सरकार का इधर ध्यान जाना चाहिये और सरकारी विभागों के मजदूरों के लिये भी लेबर संबंधी कानून लागू होने चाहिये, उनको भी वही सहूलियतें मिलनी चाहिये जो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को मिलती हैं। आज मजदूरों को छै-छै महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी जी इस बात को भली-भांति जानते हैं। एक तरफ तो आज मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आज तक इस ऐक्ट को लागू करने की कोई मशीनरी नहीं बन पायी है। पिछले साल श्रम मंत्री जी ने बतलाया था कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है। फार्मों में मजदूरों को मजदूरी ठीक तरह से नहीं मिलती है लेकिन एक भी केस नहीं चला है। श्रीमन्, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस ऐक्ट के अनुसार सभी फार्मवाले मजदूरी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आप को कहीं भी नहीं मिलेगा कि किसी फार्मवाले पर या बड़े काश्तकार पर कोई भी ऐक्शन लिया गया हो।

दूसरी तरफ आप ऐडजूडिकेशन को लीजिये। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। एवार्ड कर दिये गये लेकिन वह लागू नहीं हुये। १९५३-५४ में ११६ छोटे एवार्ड्स लागू नहीं किये गये और इसी तरह से २६ बड़े एवार्ड्स लागू नहीं किये गये। आखिर देखिये कि फायदा क्या है कि मजदूर यूनियनें हजारों रुपये खर्च करके एवार्ड्स प्राप्त करें लेकिन उनको मनवाया न जा सके। सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक बिलकुल नहीं गया है। एवार्ड्स इम्प्लीमेंट हो सकें इस सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। पिछले दो साल की लेबर रिपोर्ट को आप देखिये कि केवल २८ मामले ऐसे हैं जिनमें साल भर के प्रयत्न के बाद सरकार मजदूरों को मजदूरी दिलवा पायी है। इस तरह से मिलमालिकों का तो एक रवैया बन गया है। वह जानते हैं कि अगर मजदूर कोई मांग पेश करते हैं तो पहले वह कांसीलियेटरी बोर्ड में जायगी, फिर एडजूडिकेशन में जायगी और फिर ट्रिब्यूनल में जायगी, वहां लड़ लेंगे। इसलिये वह उनकी मांगों को ठुकरा देते हैं। अगर ऐवार्ड भी हो जाता है तब भी लागू नहीं हो पाता है।

इसी सम्बन्ध में आदरणीय सदन के समक्ष काशीपुर मिल का एक नमूना प्रस्तुत करता हूं। तीन साल के परिश्रम के बाद भी यूनियन अभी तक रिकगनाइज नहीं हो पाई है। छोटे-छोटे मामलों में तो मिल मालिक लेबर आफिसर से कह देते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि एडजूडिकेशन में मामला चला जायगा तो वहां देख लेंगे। पिछले तीन साल में जैसा कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा है कि १६१० केसेज ऐसे थे जो ऐडजूडिकेशन के लिये नहीं भेजे गये थे। १९५३ में २ हजार ६ सौ ९३ केसेज और १९५४ में १ हजार ९ सौ १२ केसेज ऐसे थे जो कि एडजुडीकेशन में नहीं गये। अब श्रीमन्, आप बतलाइये कि इतने हजारों मामले जिनके बारे में मजदूर यह समझता है, मजदूर यूनियन यह समझती हैं कि हमारा मामला तय हो रहा है, वह इंतजार में रहती हैं लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। न कांसीलिएशन होता है, न एडजुडीकेशन होता है। और इससे पुराने कई मामले पड़े हुये हैं। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह जरा वी० वी० गिरी का दृष्टिकोण सामने रखें। वह प्रशासन से प्रभावित न हों बल्कि प्रशासन को प्रभावित करें। अगर वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

करना चाहते हैं तो इस श्रम मंत्रालय के दृष्टिकोण को बदलें और लेबर कमिश्नर और जितने भी कमिश्नर हैं उनको ऐसी हिदायत दें जिससे मिलमालिकों को दबाने में, उनकी शोषण वृत्ति को कुंठित करने में अधिक से अधिक काम हो। मुकदमेंबाजी लेबर अपीलेट ट्रीबुनल और बोर्ड वगैरह सब भंग हो जाने चाहिये, कलेक्टिव बारगेनिंग का पुराना मामला रहना चाहिये।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस बजट पर अपना विचार प्रकट करूं, मैं अपने नये श्रम मंत्री जी को इस कठिन कार्यभार को सम्हालने के लिये बधाई देता हूं, लेकिन साथ-साथ मैं माननीय श्रम मंत्री जी को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, जब कि वह श्रम मंत्री नहीं थे उस समय में, जो कि हुई थीं, उनकी अध्यक्षता में।

पहली बात तो यह है कि जो बहुगुणा जी ने एलेक्ट्रिक सप्लाई की बाबत बताया उससे पीछे वाली बात है, वह यह है कि स्वर्गीय निबकर के मरने के बाद आप उस कमेटी के अध्यक्ष हुए थे। आप ने कठिन परिश्रम किया और एक रिपोर्ट तैयार की। वह रिपोर्ट १९५१ में सरकार को दे भी दी गई। लेकिन आज तक मेरे जैसे मजदूर कार्यकर्ता क्या, माननीय सदस्यों को भी देखने को नहीं मिली होगी कि उस रिपोर्ट में है क्या। मैं प्रार्थना करूंगा कि उस रिपोर्ट को शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करायें और जो कुछ सिफारिशें उन्होंने उस समय की हैं उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की कृपा करें। हो सकता है कि विभाग उनको धोखे में डाले और यह कहे कि वह चीजें पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन जब तक हमारे सामने वह रिपोर्ट नहीं है उनमें से क्या कार्यरूप में परिणत किया गया, और क्या नहीं किया गया, हम नहीं कह सकते।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रान्त का मजदूर आन्दोलन आज एक अजीब दिशा की तरफ जा रहा है। उस दिशा की तरफ अभी भाई नारायणदत्त जी ने इशारा किया। मैं भी चाहता हूं कि मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं। वह यह है कि चिनगारी दबी हुई है राख से, पता नहीं कब वह चिनगारी फूट निकले। मैं चाहता हूं कि उस चिनगारी को ऐसे ढंग से शान्त करें जिससे प्रजातंत्री कांग्रेस का प्रस्ताव भी कार्य रूप में परिणत हो और आपकी नीति इस ढंग से कार्य रूप में आये कि लोग इस कार्य की प्रशंसा करें। पहली बात मैं आप के सामने यह बतलाना चाहता हूं और माननीय सदस्यों ने भी आज खेतिहर मजदूरों की बातें कही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग समझते हैं कि हम शहर के दो एक रहने वालों ने इस सरकार को शहर के अन्दर एक डिबिया में बन्द कर लिया है और शहर के मजदूरों की ही भलाई चाहते हैं। क्या यह बात सच है? नहीं यह गलत है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर खेतिहर मजदूर सुखी है, उस का पेट भरा है, अगर खेतिहर मजदूर अच्छे ढंग से ग्राम में रह रहा है, तो वह गांव छोड़ कर शहर की तरफ कभी नहीं आयेगा और जब वह नहीं आयेगा तो हम शहर के मजदूरों का जीवन, उनकी रोजी, उनका रहन सहन सुरक्षित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि देहात के मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। पर उसके दो स्थान हैं। एक तो श्रम विभाग और दूसरा उद्योग विभाग। अगर मैं यह कहूं कि उद्योग विभाग ने इस दिशा की ओर कोई अच्छा कदम नहीं उठाया तो यह गलत न होगा। लेकिन उस पर अधिक कहने का यह मौका नहीं है। क्योंकि इस समय यहां पर उद्योग विभाग का कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भाई इसमें दिलचस्पी रखते हों वह जिस दिन उद्योग विभाग का अनुदान आये उस दिन इस सवाल को उठाएं। देहातों के अन्दर छोटी-छोटी मशीनों को ले जाना, उद्योग धंधों का चलाना, और मजदूरों को काम देना इन चीजों पर बहस करें, इस काम को करायें। दूसरा प्रश्न हमारे सामने शहर के मजदूरों का है। शहर के मजदूरों के लिये तीन चीजों की जरूरत होती है। नौकरी की सुरक्षा, वेतन और रहने के लिये स्थान। जहां तक नौकरी

की सुरक्षा का सम्बन्ध है रेशनलाइजेशन आया तो उसने सुरक्षा को तोड़ दिया है। रेशनलाइजेशन पर इसमें कोई शक नहीं है कि काफी दिनों से विचार हो रहा है। अगर मैं बहुत दूर चला जाऊं तो जो आज राष्ट्रपति हैं लेबर इन्क्वायरी कमेटी में उनके जमाने १९४८ से यह प्रश्न हमारे सामने है। इस पर कभी कभी विचार किया जाता है। विचार तब होता है जब मिलमालिक मिल में रेशनलाइजेशन को लागू कर देते हैं और सैकड़ों और हजारों की तादाद में मजदूरों को बेकार करने लगते हैं। तब सरकार करवट लेती है और सोचती है कि कुछ करने की जरूरत है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय कानपुर में रेशनलाइजेशन की भरमार है और मजदूर निकाले जा रहे हैं, मजदूरों को बेकार किया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। उनका एक विभाग है कार्यकुशलता विभाग, वास्तव में इस विभाग की आवश्यकता थी लेकिन उस विभाग की आवश्यकता तब थी जब उसके अन्दर कुछ नियम बनें हों। वह विभाग केवल देख सकता है, घटा या बढ़ा नहीं सकता है। फाइल पर केवल रिपोर्ट रख देता है। ट्रेड डिस्पूट ऐक्ट सेक्शन ३ की आज्ञा के अनुसार आप यह आज्ञा दें कि मिल मालिक कोई कार्य नहीं कर सकता है। जब तक कि कार्य कुशलता विभाग कोई विशेष निर्णय न दे दे। अगर वह ऐसा न करें तो उनके साथ सख्ती का बर्ताव करे तो सुविधा लोगों को मिल सकती है।

दूसरा प्रश्न आता है श्रम हितकारी केन्द्र का। श्रम हितकारी केन्द्र बहुत जरूरी है। हमको उपदेश दिया गया कि ट्रेड यूनियन को यह काम करना चाहिये। इस प्रान्त में ५८१ ट्रेड यूनियन हैं जिनमें ४४६ जीवित हैं जिन्होंने अपना हिसाब किताब भेजा है। १४५ खत्म हो गई हैं। २७८ ट्रेड यूनियन्स ऐसी हैं जिनकी संख्या सदस्यों की केवल २५० से कम है। केवल १५८ संख्या रहती है जिनसे हम आशा करते हैं कि वह श्रमहितकारी कार्य कर सकती हैं। मैं कहता हूं कि नहीं कर सकतीं। अब प्रश्न उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसकी जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता की तो है ही पर सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार ने ऐसा रवइया अख्तयार किया है कि जिससे ट्रेड यूनियन का रुख मुकदमेबाजी की तरफ गया। आप एक केस को ले लीजिये। मुकदमेबाजी उस वक्त होती है जब मिल मालिक कोई रद्दोबदल करता है चाहे तो उसने वेजेज से ज्यादा काम लिया हो या थोड़ी मजदूरी दी तो उसके बाद लोग अदालत में जाते हैं। अदालत में जाने के बाद कांसिलियेशन में गया तो वहां पर २ महीने लग जाते हैं और इससे कम में फैसला नहीं होता है। फिर इसके बाद एडजुडिकेशन में गये तो वहां पर भी ६ महीने से कम नहीं लगते हैं। फिर ट्रिब्युनल में गये तो वहां पर दो वर्ष लग जाते हैं और अगर कहीं मिल मालिक ने रिट दाखिल कर दी तो फिर वहां पर भी दो वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है। इसका नतीजा यह होता है कि मुकदमों का एक जाल सा बिछा हुआ है। लीडरों की भी भरमार है और ट्रेड यूनियन की भी भरमार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूनियन अपनी शक्ति लगायें तो आप को इम्पलायर से कलेक्टिव बारगेनिंग कराना होगा और अगर वह बारगेनिंग नहीं मानते हैं तो फिर आप को सेक्शन ३ के अनुसार अधिकार मिला हुआ है उसके अनुसार आपका डिपार्टमेंट कार्यवाही कर सकता है। इस तरह से काम चल सकता है। हमारे जो फैसले होते हैं उनमें वह मकसद पूरा नहीं होता है। इस तरह से कई कारखाने जो बेकार पड़े हुये हैं उनके ऊपर इसको कार्यरूप में परिणित नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें और इनका उद्धार करें। इसके बाद बोनस का सवाल आता है। एक स्टैन्डर्डाइजेशन का सवाल है। आपने ३० रुपया बेसिक पे नियुक्त की है। दूसरी जगह भी कुली के लिये ३० रुपया आप देते हैं तो फिर मिल का स्वीपर मजदूर जिसको २४ रुपया, २८ रुपया और ३६ रुपया मिलता है वे यह सोचते हैं कि वे कारीगर का काम क्यों करें जब उनको केवल २० रुपया तनख्वाह मिलती है। इसलिये आपको दूसरे स्थानों पर भी स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा जिससे उसका लाभ सब लोगों को मिल सके।

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

इसके बाद मंहगाई का सवाल आता है। सरकार ने यह माना है कि गाडगिल कमेटी के अनुसार मंहगाई का आधा हिस्सा तनख्वाह में शरीक कर दिया जाय और आपने भी अपने विभागीय कर्मचारियों के लिये जो १०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले हैं, ऐसा किया है। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपको यहीं रुक जाना नहीं है। इसको आप आगे भी खेतिहर मजदूर और फैक्ट्री के मजदूरों पर भी लागू करें। इसके लिये आप कान्फ्रेन्सेज और मीटिंग्स के चक्कर में न पड़ें। स्वयं दोनों फरीकों को बुला कर वहां पर अपना निर्णय दे दें। अगर आप कांफ्रेन्सेज के चक्कर में पड़े तो यह मामला तय होने वाला नहीं है।

इसके बाद बोनस का सवाल आता है। दिसम्बर से लेकर मार्च अप्रैल तक बोनस का प्रश्न चलता है। आपने इस प्रश्न को चीनी के कारखानों में हल कर लिया है और उसी प्रकार से आप को टैक्स्टाइल और इलेक्ट्रिसिटी के कारखानों के बारे में भी सोचना होगा। इसके लिये कुछ सिद्धान्त मेरे दिमाग में भी हैं। मैं चाहता हूं कि उनको आप के सामने रख दूं लेकिन उनको रखने में समय चला जायगा लेकिन अगर मैं उनको नहीं रखूंगा तो कार्यरूप में कैसे परिणत होंगे। बोनस के बारे में यह आपको तय कर देना चाहिये कि जिसकी जितनी पूंजी है उस पर आप उसको ब्याज के रूप में कितना देना चाहते हैं। जो सामान आता है उसके लिये भी आपको कोई तरीका अख्तियार करना चाहिये उसमें सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अडीटर मुकर्रर कर दें जो नियमों को देख कर जांच करें इससे बोनस का मसला बहुत हद तक हल हो जायगा। इसके बाद आप देखें कि आपके विभाग की ओर से एक फैक्ट्री इंसपेक्टर रक्खा जाता है और उसके ऊपर आप का काफी खर्चा होता है लेकिन जो इंसपेक्शन होता है वह केवल इंसपेक्शन के लिये ही होता है। मैं यह चाहता हूं कि वह कम बार जाय लेकिन जब वह जाय तो अच्छी तरह से देख भाल करे।

अभी दो तीन महीने हुए एक प्रचार रहा है, कि मंहगाई कम हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि मंहगाई कम हुई लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके कारण क़रीब १२ लाख रुपया मिल मालिकों की जेब में चला गया जब कि चीजें कुछ भी सस्ती नहीं हुईं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इन आंकड़ों का जो उनके पास आते हैं, प्रचार करें, जब आप दुनियां भर के काम अपने विभाग में करते हैं तो एक समिति या लेबर कमिश्नर को यह भी अधिकार दे दें कि वे ऐसी परिस्थितियों में इसके बारे में प्रेस कान्फ्रेन्स करें और लोगों को उसके द्वारा बतायें कि कितनी मंहगाई कम हो गई है, या कितनी ज्यादा हो गई है ताकि मजदूरों को ठीक ठीक बातों का ज्ञान हो सके। अब तो प्रेस ऐक्ट भी आ रहा है और उसके द्वारा वे भी ट्रेड यूनियन के अन्दर आ जायेंगे लेकिन मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट ठीक से तभी लागू हो सकता है जब आप उसको सुधार कर लागू करेंगे। अभी तक कायदा यह है कि ७ आदमी बैठ कर ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। इसलिये प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से पूछ कर प्रान्तीय ट्रेड यूनियन ऐक्ट बनाना चाहिये और उसमें आप यह रखें कि वह किस आधार पर बनेंगे और कैसे वर्क होगा। मैं समझता हूं कि हमारे सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इसके बाद खेतिहर मजदूरों का प्रश्न आता है। इसके बारे में एक ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सन् १९४८ में पास किया था और उसके अनुसार वेजेज बोर्ड बना दिये गये थे लेकिन दो वर्ष से वह सो रहा है, एक भी उसकी मीटिंग नहीं हुई और अभी तक २६ रुपया मय मंहगाई के रक्खा हुआ है जब कि २६ रुपया से ज्यादा ही दूसरे लोग उनको देते हैं। तिवारी जी ने पूछा कि उनके कितने केसेज आये। लेकिन वह कहां से आयेंगे जब कि उनको बाहर उससे भी अधिक मिल जाता है। मैं इसके बारे में सरकार से कहूंगा कि आप जो रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है और यह जरूरी

है कि बोर्ड बैठे और उनके वेजेज रिवाइज करे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे वेजेज बोर्ड को कुम्भकर्णी निद्रा से जगावें और यह कहें कि आगे बढ़ो। कानपुर में एक त्रिदल सम्मेलन की बात इस रिपोर्ट में है लेकिन कानपुर में मैं समझता हूं कि सन् ५१ से कोई भी मीटिंग नहीं हुई। हालांकि इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने से कोई लाभ नहीं है। आप चाहे काम कम कीजिये लेकिन जितना भी कीजिये उतना ठोस कीजिये ताकि उससे मजदूरों को असन्तोष न हो।

इसके बाद मकानों का प्रश्न आता है। आपने मकान बनाये, बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि पंडित जवाहर लाल जी ने जिस गन्दे हाते को गिरा देने के लिये कहा था उस गन्दे हाते के मजदूरों को निकाल कर जब उन मकानों में ले जाया गया तो कहा गया था कि आधा किराया तो डेवलपमेंट बोर्ड देगा और आधा किराया मजदूर देंगे लेकिन आप देखेंगे कि ६ महीने के बाद उनसे कहा जायगा कि मकान खाली करो या १० रुपया महीना किराया दो। एक बड़ा ही सुन्दर चित्र इस पुस्तिका में दिखलाया गया है जिसमें ठेले पर मजदूरों का सामान जा रहा है लेकिन आप याद रखें कि एक दो महीने के बाद ही अखबारों में आप सुनेंगे कि उनका सामान फेंक दिया गया और गदहे भी उसको उठाने के लिये नहीं मिले। तो मैं सोचता हूं कि मकानों का जो किराया रखा गया है वह बहुत अधिक है और आप का ऐक्ट जो सामने है, मेरी प्रार्थना है कि उसके अन्दर मकानों के किराये के लिये कोई न कोई कमी का इन्तजाम अवश्य होना चाहिये और मैं चाहता हूं कि इसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जाय।

इसके बाद श्रमहितकारी कार्य की बात है। आचार्य जी, श्रम हितकारी कार्य करेंगे, यह अच्छा है। लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं और आगे और अधिक खर्च करें, ठीक है लेकिन जब पेट में खाना न हो, तन पर कपड़े न हों और बेकारी हो तो न नाच पसन्द आयेगा, न गाना पसन्द आयेगा, न रेडियो सुनना पसन्द आयेगा और न वहां जाना पसन्द आयेगा। इसलिये कृपा करके आप पहले बेकारी को दूर करने का प्रयत्न कीजिये। आज मिल के बेकार मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, कारखाने बन्द होते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि आज दो लाख स्पिंडिल्स बेकार पड़े हैं और १२०० करघे बेकार पड़े हैं। एक तरफ तो बेकारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ इतने करघे बेकार पड़े हुये हैं। तो माननीय श्रम मंत्री जी कृपया इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि आखिर क्या कारण है कि इतने करघे बन्द हैं, और उस प्रश्न के ऊपर विचार करें। माननीय मंत्री जी मुझे क्षमा करें कि एक तरफ तो मुनाफे की बात की जाती है कि मुनाफे में से मजदूरों को बोनस आदि मिलने चाहिये, उनके रहने के लिये मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये और दूसरी तरफ ६ तारीख को एक आर्डर निकला कि जे० के० उलेन मिल के मजदूरों की मंहगाई ३० प्रतिशत कम कर दी गयी। क्यों साहब, जब नियम यह है कि जो चीज होगी सब पर लागू होगी तो फिर उस मजदूर वर्ग के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जाता है? क्या वहां के मजदूरों की दशा अच्छी है? जब कि नियम यह है और अध्यक्ष महोदय जब तमाम चीजें रीतिरिवाज से होती हैं तो क्या वजह है बहुत से कारखाने वाले उसको नहीं मानते हैं। जैसे बी० आई० सी० वाले हैं उनका तमाम कारोबार है, चमड़े का भी है, काटन का भी है, उलेन का भी है और उनका जो लाभ तमाम उनकी मुखतलिफ फैक्टरियों में होता है तो वह सब में बांट दिया जाता है लेकिन जे० के० ग्रुप्स वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं, एक मिल में अगर लाभ नहीं होता तो कभी वह वहां मुनाफा नहीं बांटते, एक मिल में जो मंहगाई है वह दूसरे में नहीं है। वह जानते हैं कि जो चाहे जा कर सरकार से काम करा लेंगे, एक नोटिफिकेशन के साथ मंहगाई वह खत्म करा देते हैं, या कम करा देते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि तमाम जो लेबर के कार्यकर्ता हैं या ट्रेड यूनियन वगैरा के लोग हैं उनकी बदनामी होती है और बड़ी मुसीबत का सामना उनको करना पड़ता है। यदि

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

यह सरकार लेबर में शान्ति चाहती है तो कृपा करके इन मसलों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और वह ऐसे कदम उठावे कि जिसके यह तमाम मसले तय हों और एक व्यवस्था और शान्ति लेबर में स्थापित हो सके।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि लाल बत्ती जिस उदारता के साथ अवस्थी जी के लिये जली रही वही उदारता कृपया आप मेरे साथ भी बरतें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि किसी विषय से किसी का विशेष सम्बन्ध हो तो कुछ समय अधिक दिया जा सकता है।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, आज का जो अनुदान है श्रम विभाग का यदि सम्मानित सदस्य उस पर अच्छी तरह से विचार करें तो हमारे दिमाग में यह बात अच्छी तरह से साफ हो जायगी कि सरकार किस तरह का नक्शा और ढांचा बनाना चाहती है समाजवादी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी २ वाक्यों से अवश्य ही परिचित होगा एक वाक्य तो यह है कि "From every man according to his capacity and to every man according to his need" यानी हर मनुष्य से जितनी उसकी क्षमता हो उतना काम लो और उसकी आवश्यकता हो उस को पूरा करो। दूसरा वाक्य है कि "From every man according to his capacity and to every man according to his work"। फ़ारियर ने जो एक प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री था सब से पहले यह फारमूला निकाला था कि "हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम तो लीजिये लेकिन उस क्षमता से जितने काम का सम्पादन हो उसके मुताबिक उसको मजदूरी भी दी जाय।" मैं आज जानना चाहूंगा कि समाजवादी समाज बनाने वाले उन लोगों से जो समाजवादी सिद्धांत पर चलने की कल्पना करते हैं। समाजवादी साहित्य के जो यह दो प्रमुख वाक्य हैं उनके अनुसार क्या यह सरकार चल रही है, क्या वह सिद्धांत यहां अपनाया जा रहा है? जाने दीजिये तमाम कमेटियों की रिपोर्टों को और तमाम कन्सिलिएशन और ट्रिब्यूनल्स की बातों को लेकिन आप देखिये कि आज भी लेबर के साथ कितनी आपकी अथारिटीज की ज्यादतियां, अत्याचार और धांधलियां हो रही हैं श्रम विभाग को अगर देखा जाय तो उसकी कहानी तो बहुत लम्बी है और अगर उसके एक-एक कार्य को गिनाया जाय तो मैं समझता हूं कि सारा समय इसी में समाप्त हो जायगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य जो बार-बार विनोबा जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि अगर विनोबा जी का सिद्धान्त श्री गेंदा सिंह मानें तो सब बात हल हो सकती है। लेकिन यह बड़ी लज्जा की बात है कि जिस दल की सरकार है वह स्वतः तो कानून नहीं बनाती और हिचकती है और शरण लेती है विनोबा जी की। अव्वल तो उसको उनकी शरण लेना कहां तक ठीक है यह भी विचारणीय विषय है, मगर वह कहते हैं कि श्रम की महत्ता को समझो और गांधी जी ने भी श्रम की महत्ता की बात कही है। तो श्रम महत्ता को वर्तमान सरकार श्रम विभाग के किस आदेश द्वारा मानने जा रही है यह मैं जानना चाहता हूं। बहुत सी बातें माननीय अवस्थी जी ने, बहुत सी बातें बहुगुणा जी ने, और हमारे दल के जगन्नाथ मल्ल और नारायण दत्त जी ने कह दी और उन बातों को कह कर अब मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना निश्चय है कि कानपुर के उपनिर्वाचन में हमारे सदन के ट्रेजरी बेंचेज के बहुत से सम्मानित सदस्यों को राख के भीतर चिनगारी सुलगती हुई दिखलायी दी है। बहुत अच्छा हुआ दिखलाई तो दी। आज कानपुर के मजदूरों के मकान की क्या दशा है, मैं तो यह बताना चाहता हूं कि जो कानपुर में लेबर क्वार्टर्स बने हुये हैं उनको जब एक बार देखने गया तो वहां एक स्कूल चलता था। उस स्कूल में वहां के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजदूरों के विद्यार्थी पढ़ते थे। किस निर्दयता से उनको वहां से हटाया गया और किस जुल्म के साथ उनको पढ़ने से रोका गया यदि वह कहानी कही जाय तो आप खुद नहीं समझ पायेंगे कि यह सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रही है या अकल्याणकारी राज्य बनाने पर तुली हुई है। एक बात की प्रसन्नता मुझे अवश्य है कि आज के श्रम मंत्री गृह मंत्री नहीं हैं लेकिन वह प्रसन्नता तो अभी शाब्दिक है। जब तक कि यह बात कार्यरूप में परिणत नहीं होगी तब तक उस प्रसन्नता से कोई मतलब हल होता नहीं।

देवरिया में पंजाब मिल में चार मजदूर पिछले एक हफ्ते से भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---आप ने उनको भड़का दिया होगा।

श्री राजनारायण---ठीक है, अगर ट्रेजरी बेंचेज के सम्मानित सदस्य यह जानने लगे हैं कि हमारे भड़काने से लोग भड़कते हैं तभी कल्याण भी होगा। तो श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इसलिये भूख हड़ताल कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है वहां के मिल मालिकों से जो सुविधा वे चाहते हैं और जो उनके पिट्ठुओं को मिलती है वह उनको नहीं देते हैं, इस पालिसी के विरोध में वे भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं श्रम मंत्री जी से कि वहां क्यों नहीं कुछ करते।

इसके बाद बनारस की काटन मिल को लीजिये। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में केवल एक ही काटन मिल बनारस में है। वह मिल कितने दिनों से बन्द है। क्यों बन्द है? कितने मजदूरों का पैसा बाक़ी है? कितने मजदूर बेकार हैं? क्या यही सोशलिस्टिक पैटर्न की श्रम नीति है? मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने श्रम विभाग को सम्हाला तो उन्होंने क्या बनारस के काटन मिल के मजदूरों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया। साल भर से ज्यादा हुआ और मुझे अब मालूम हुआ है कि कानपुर के कोई बड़े मिल मालिक शायद अब उस मिल को खरीदने वाले हैं और अब वह उसको खरीद कर चलावेंगे। कई बार मैंने सम्पूर्णानन्द जी से जब वे श्रम मंत्री थे उनकी सेवा में निवेदन किया था कि जब कोआपरेटिव बेसिस पर मजदूर तैयार थे तो क्यों नहीं उनके जरिये से उसको चलाया गया। आप देखेंगे श्रीमन, कि काटन मिल के मजदूरों ने एक आदर्श प्रतिष्ठित किया कि करीब तीन चार महीने तक उन्होंने अपने प्रबन्ध में मिल को लेकर चलाया और अन्त में जब उन्होंने अपने प्रबन्ध में कपड़ा बना कर भेजा दूकानों पर तब मिल मालिकों ने उन दूकानदारों को रोका कि तुम इनके कपड़े को न लिया करो क्यों कि अगर तुम इनका कपड़ा लेते जाओगे तो इनको पैसा मिलता जायगा और उससे ये कोयला और रूई खरीदते जायेंगे और एक आदर्श उपस्थित कर देंगे। श्रीमन्, यह लाल बत्ती का क्रम उसी तरह चलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर देना है और मैं विवश हूं।

श्री राजनारायण---वह बाद को भी बोल सकते हैं श्रीमन् और उसके लिये एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---उसके लिये मैं विवश हूं।

श्री राजनारायण---तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आचार्य जुगुल किशोर जो सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाने में शायद अघाते नहीं होंगे और आज कल वे भाषण भी बहुत देते हैं समाज कल्याण के लिये, वह तो बहुत अच्छा है मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि रैशनलाइजेशन की स्कीम क्या है जिस रैशनलाइजेशन की स्कीम को लेकर कानपुर के मजदूरों में इतने विक्षोभ की भावना है, जिस रैशनलाइजेशन के नारे ने सारे प्रान्त के मजदूरों में विक्षोभ की लहर पैदा कर दी है आज उसकी चर्चा आपको करनी

[श्री राजनारायण]

चाहिये थी, कि वह स्कीम दफना दी गई या नहीं। तीन बार पब्लिक स्टेटमेंट मैंने दिया, उस समय के माननीय श्रम मंत्री को मैंने चैलेन्ज किया, कि जो उनकी रैशनलाइजेशन की स्कीम थी उससे किस का फायदा था। क्या मजदूरों का फायदा था? उनकी मजदूरी बढ़ती थी? या जो कपड़े के खरीदने वाले थे उनको कपड़ा सस्ता मिलता था या जो मजदूर छंटनी होते उसमें जो मजदूरी की क़रीब १ करोड़ के बबत होती वह सब मिल मालिकों के पेट में जाती? कोई जवाब नहीं आया। मैं समझता हूं कि सरकार की जो रैशनलाइजेशन की स्कीम है वह बहुत ही प्रतिक्रिया वादी है। केवल मजदूरों की छटनी का नाम ही इस सरकार ने रैशनलाइजेशन स्कीम दे रखा है। न तो वहां के मैटीरियल में, न मेन में न वहां के मैनेजमेंट में कहीं कोई रैशनलाइजेशन नहीं। अरे, मैनेजमेंट में रेशनलाइजेशन करो, वहां का जो मैटीरियल हो उसमें रैशनलाइजेशन करो, जो मनी हो उसमें रैशनलाइजेशन करो तब फिर मजदूरों में भी रैशनलाइजेशन करो और देखो कि वह हम मानने के लिये तैयार हैं या नहीं। मगर हर तरफ से छंटनी की बात करनी कि मजदूर निकाला जाय और मिल मालिक को कुछ न कुछ सहूलियत हो, यह बात नहीं होनी चाहिये। मैंने स्वयं सामान्य वाद-विवाद के अवसर पर कहा था कि जो मजदूरों के लिये लेबर वेलफेयर आफिसर्स की नियुक्तियां हो रही हैं मिलों में वह किस के वेलफेयर के लिये हैं। मुझे तो निजी जानकारी है कि बहुत से लेबर वेलफेयर आफ़िसर्स मिल मालिकों का हिसाब किताब बनाते हैं, जब मुकदमें होते हैं तो उनके मुकदमों की पैरवी के लिये आते हैं और जिस अफसर के जरिये मिल मालिकों को मजदूरों का भला होता दिखाई देता है हमारे मिल मालिक उसको वहां रहने नहीं देते। वह लेबर कमिश्नर को लिखेंगे कि इनका ट्रान्सफर फलां जगह कर दिया जाय और मैं तो आपको बता दूं कि मैं किसी सरकारी कर्मचारी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि .....

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य एक मिनट के अन्दर समाप्त कर दें।

श्री राजनारायण--अच्छी बात है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो अपने प्रभुओं के भ्रकुटी विलास को देखते हैं। भ्रकुटी किधर टेढ़ी होती है और उसको देख कर वह चलना चाहते हैं। उनको अपनी नौकरी बचानी है, चलानी है और इसलिये वह ऐसा करते हैं, लेकिन यदि ट्रेजरी बेन्चेज के सम्मानित सदस्य केवल वाद-विवाद के लिये विवाद करें तो दूसरी बात है लेकिन वह जब समाजवाद शब्द का प्रयोग करें तो उनको समझ लेना चाहिये कि जो समाजवाद का प्रथम स्टेज का फारमूला है कि जैसा मैंने कहा: "According to capacity and according to work" आज इस फारमूले से करोड़ों कोस यह सरकार है। यह सरकार इस लाइन से आज टेढ़ी जा रही है और इस सरकार के लिये आज समाजवादी पैटर्न का नाम लेना स्वाभाविक नहीं दीखता। मैं, श्रीमन्, चाहता हूं कि हमारे श्रम मंत्री महोदय अच्छी तरह से अपनी श्रमनीति को देखें और श्रमनीति को देख कर उसमें जो वितंडावाद है, उसमें जो विरोधाभास है और उसमें जो श्रमिकों पर चोट पहुंचाने की बात है, जो इस प्रकार के कानून हैं, जो प्रतिबन्ध हैं, जो चेक्स हैं वह चेक्स हर समय मिल मालिकों के सुभीते में काम में लाये जाते हैं और मजदूरों का उनसे हनन किया जाता है, उनके हितों का हनन किया जाता है, उसको ठीक करने का प्रयत्न करें। मेरा श्रम मंत्री से विनम्र निवेदन है कि जब उन्होंने इस विभाग को सम्हाला है तो उसमें दक्षता का परिचय दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन सम्मानित सदस्यों ने इस ग्रान्ट पर और मेरे कट मोशन पर अपना मत प्रकट किया है, मैंने उनको बड़े गौर से सुना और मैं समझता हूं कि जो कुछ सवाल उठाये गये और मैंने जो कुछ भी कहा उसकी

सभी लोगों ने करीब-करीब ताईद भी की है। जैसा कि अवस्थी जी ने कहा कि इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कोई बन रही है और वह आने वाली है इसको सरकार प्रकाशित करायेगी, लागू करायेगी। तो मैं, श्रीमन्, यह जानता हूं कि जब कोई मसला खड़ा होता है तो यह सरकार, जैसा कि हमेंशा से आता रहा है कि उस मसले को दबाने के लिये एक इन्क्वायरी कमेटी बना देती है और इन्क्वायरी कमेटी बना कर उस पर हजारों रुपया खर्च किया जाता है और फिर जब उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है तो उसकी चन्द चीजों को लागू कर के, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है।

यह खाली श्रम ही में नहीं होता बल्कि करीब-करीब हर एक डिपार्टमेंट में इस किस्म की प्रथा प्रचलित हो गयी है। तो या तो उस कमेटी के जो सुझाव हैं उसको लागू करना हो तब तो ठीक है नहीं तो अगर यही हश्र होना है कि उसको रद्दी की टोकरी में जाना है तो सरकार को धन का अपव्यय करने की जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार सरकार मजदूरों में शान्ति स्थापित करने में के लिये ट्राईपारटाइट कांफ्रेंस बुलाती है, वहां सब लोग जाते हैं, नाश्ता होता है, दावतें होती हैं और उसके बाद जो कुछ भी ट्राईपारटाइट का फ़ैसला हो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तो इस तरह का तमाशा करने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि किस तरह से इसका फ़ैसला हो सकेगा। खाली सान्त्वना देने से मजदूर अब रुकने वाले नहीं हैं। जो सरकार कहती है कि हड़ताल में कमी हो गई तो मैं बताऊं कि मजदूर शान्त हैं, जैसा कि सरकार कहती है, लेकिन वह शान्ति नहीं है, । तूफ़ान उठने के पहले जो शान्ति होती है यह शान्ति इसी प्रकार की है। तमाम मजदूरों के दिल में ज्वाला भड़क रही है और वह भड़केगी इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिये। कुछ और बातें मैं सरकार की सेवा में कह दूं, वह यह है कि अपीलेट ट्राइब्युनल का जिक्र है, वहां मुकदमों के होने में जरूर देरी होती है, लेकिन उन मुकद्दमों की पैरवी करने कलिये जो मजदूर जाते हैं, अपीलेट ट्राइब्युनल उनको सवेतन छुट्टी दिलाता है। लेकिन हमारी सरकार की तरफ़ से जो भी नियम बने हुये हैं कंसीलियेशन बोर्ड या ऐजुडीकेशन के उसमें मजदूर को छुट्टी नहीं मिलती है। कई मर्तबा सरकार से निवेदन किया गया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, छुट्टी नहीं मिलती है, वे जाते हैं, तनख्वाह कटती है और जो पैरवी करने वाला है वह मुसीबत में पड़ता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि जो मजदूर जाता है वह अपनी पैरवी करने के लिये तो जाता नहीं, वह तो तमाम इंडस्ट्री के हित के लिये जाता है। इसलिये सवेतन छुट्टी मिलना जरूरी है। और जो यह कहा गया कि हड़ताल रुक गई है, सरकार ने बहुत अच्छा मजदूरों के लिये कुछ कर दिया इस वजह से हड़ताल रुकी हुई है, इसके रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है और वह यह कि सरकार ने अपने नेताओं से मजदूरों में काफी फूट पैदा करा दी है। सरकार कुछ लेबर नेताओं को पालती है, उनको हर तरह से सुविधा दे कर उनको नेता बनाती है और उनको मजदूरों की छाती पर जबरदस्ती बैठा दिया है, जब कि मजदूरों ने उनको बहुमत से हरा कर किनारे कर दिया है।

कानपुर में तीन ट्रेड यूनियन्स थीं और वहां के सब जितने भी ट्रेड यूनियन्स के वर्कर थे वे सब एक जगह इकट्ठा हुए और सब ने मिल कर एक ट्रेड यूनियन बनायी, लेकिन सरकार के कुछ नेताओं ने एक दूसरी ट्रेड यूनियन खड़ी कर दी। तो यह सरकार की नीति है और सरकार अपनी नीति से इन नेताओं द्वारा मजदूरों में फूट पैदा कराने का काम लेती है। तो इस तरह से सरकार को मजदूरों के कल्याण की बात सोचनी चाहिये और ऐसी बात करनी चाहिये जिससे मजदूरों में संगठन हो, मजदूरों में एकता आवे और इस तरह की फूट पैदा न करने की कोशिश करे सरकार, तो बहुत अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह मेरे कटमोशन का समर्थन करे।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ भाषण माननीय सदस्यों के मैंने सुने उनमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में मेरे लिये शायद सम्भव न हो कि मैं सब का जवाब दे सकूं। कुछ सुझाव हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं और जिस हद तक तक वह व्यावहारिक हैं उनको कार्यान्वित किया जायगा। जहां तक आलोचनायें हैं उनको मैंने दो-तीन हिस्सों में बांट दिया है और उसी के आधार पर मैं जो कुछ भी उत्तर दे सकता हूं थोडे समय में, वह देने की कोशिश करूंगा। माननीय सदस्य बुरा न मानें, अगर उनके किसी प्वाइंट का मैं जवाब न दे सकूं तो कोई उपेक्षा नहीं होगी, परन्तु समय के अभाव से मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा।

खास तौर से इस वाद-विवाद के दौरान में ऐग्रिकल्चरल लेबरर, मजदूरों, के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है। उसके बारे में यह कहा गया है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट अभी तक लागू सारे प्रान्त में नहीं हुआ। मुझे याद है ४–५ दिन हुये मैंने ही एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि, सिवाय नैनीताल, गढ़वाल और अल्मोड़ा के, सारे प्रान्त में यह लागू हो गया है। कुछ जिलों में पूरे तौर से और कुछ जिलों में ५० एकड़ से ऊपर फार्म वालों के ऊपर और ३०–३१ मार्च तक इसका नोटिफिकेशन होगा और सब जगह यह लागू हो जायगा। जहां तक इसके इनफोर्समेंट की बात है यह भी सही नहीं है कि कोई प्रासिक्यूशन नहीं हुआ है। जहां तक कि रिपोर्ट में दिया हुआ है, पांच छः केसेज प्रासिक्युशन के हुए हैं। मैं मानता हूं कि यह बहुत ज्यादा केसेज नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर प्रासीक्यूशन जरूर होना चाहिये था। क्योंकि जो वेजेज लागू हैं, २६ रुपये के, उससे ज्यादा ही उस जिलों में जहां तक हमारी इत्तला है, मिलता है और अगर कोई ऐसा केस आता है जिसके बारे में यह मालूम पड़ा कि वहां पर लागू नहीं किया जाता तो वहां पर जरूर कार्रवाई की जाती है और की जायगी। इसके सम्बन्ध में डिपार्टमेंट की तरफ से इन्सपेक्टर्स भी नियुक्त किये गये हैं और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा उनकी तादाद भी बढ़ायी जायगी। जहां तक उनकी आर्थिक स्थिति का ताल्लुक है मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि उनकी दशा खराब है। उनकी हालत को सुधारने के लिये, उनका वेतन सुधारने लिये, समाज और राष्ट्र का भी कर्तव्य है, इसको हम मानते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमें व्यावहारिक रूप से भी देखना पड़ता है कि किस हद तक हम एक चीज को मनवा सकते हैं। किस हद तक साधन हमारे बढ़े हुए हैं और परिस्थिति ऐसी है जिसमें हम मनवा सकते हैं। ऐक्ट के बनाने का मतलब यह नहीं है कि फौरन् ही लागू किया जाय। जब तक हमको यह न मालूम हो, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, कि उसको लागू करने के लिये उसके पास साधन और परिस्थिति भी है, आज परिस्थिति पहले से खराब तो नहीं हो जायगी या सुधरेगी, तब वह लागू किया जाता है। इन सब बातों का ख्याल करके गवर्नमेंट की तरफ से यह विश्वास दिलाता हूं कि हम चाहते हैं कि ऐग्रिकल्चरल लेबरर की हालत सुधरे। उनके लिये सुविधायें हों। ऐग्रिकल्चरल लेबरर गांव में ही रहें, शहरों में न आयें और जो आयें उनके लिये जो किया जा सकता है उतना करने की गवर्नमेंट कोशश करेगी। इस सम्बन्ध में मैं इतना कह कर के इस समय समाप्त करता हूं।

दूसरी बात कही गयी है एन्फोर्समेंट आफ़ फैक्टरी लाज के बारे में, कि उनकी पाबन्दियां काफी सख्ती से नहीं की जातीं। मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में इसका जिक्र किया था और मैंने यह भी तो देखा कि हमारे फ़ैक्टरी लाज की पाबन्दियां इतनी ज्यादा सख्ती से होती हैं कि अब यह शिकायत होती है कि ज्यादा सख्ती से पाबन्दी होती है। इस सम्बन्ध में स्वयं विभाग की तरफ से ढीलापन नहीं होगा कि श्रमिकों के जो अधिकार हैं, जो उनकी शिकायत है मिल मालिकों के खिलाफ उनमें ऐक्शन न लिया जाय। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है बहुत से प्रासिक्यूशंस होते हैं। साधारण तरीके से हम देखते हैं कि क्रिमिनल लाज में डकैती होती है, चोरी होती है और उनके भी मुकदमें कचेहरियों में सबूत के न होने से पूरे नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के केसेज छूट जाते हैं। मैंने यह कहा कि पूल सिस्टम अब हो गया है और ज्यादा

तादाद में इंसपेक्टर्स रखे गये हैं। डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को अधिकार है, वह इन्सपेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि फैक्टरी लाज की पूरे तरीके से पाबन्दी करायी जाय और अगर उसकी ब्रीच होती है तो उसके बारे में जो कुछ भी गवर्नमेंट को बोर्ड में जा कर प्रासिक्यूशन करने का तरीका है वह किया जाय। तो हम भी इसमें सचेष्ट हैं कि जहां तक हो सके फैक्ट्री लाज की पूरी पाबन्दी करायी जाय।

कंसीलिएशन मशीनरी के बारे में भी कुछ शिकायतें आयी हैं। फिगर्स से मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में दिये थे कि इस साल कुछ कम केसेज कंसीलिएशन बोर्ड में आये हैं और कुछ केसेज को फिर करने की आवश्यकता पड़ी है एडजुडिकेशन को या इंडस्ट्रिअल बोर्ड को। तो इसका मतलब यह है कि जहां तक हो सकता है कंसीलिएशन कमेटी, कंसीलिएशन अफिसर वगैरह ही इन मामलों का फैसला कर देते हैं और आगे उनके जाने की नौबत ही नहीं आती। एक बात यह कही गई, शायद माननीय अवस्थी जी ने कहा था कि दो महीने लगते हैं कंसीलिएशन बोर्ड में, लेकिन जहां तक मुझे खबर मिली है १६ दिन इसमें लगते हैं और ट्रिब्यूनल में भी बजाय छः महीने के तीन महीने लगते हैं। यह एवरेज है। मुमकिन है कि किसी किसी में ५ महीने लग गये हों किसी में कुछ ज्यादा लगे हों, लेकिन एवरेज तीन महीने का ही है। तो जहां फिगर्स का ताल्लुक है उनसे यही मालूम पड़ता है जैसा कि मैंने बताया कि १६ दिन में कंसीलिएशन बोर्ड में और तीन महीने में ट्रिब्यूनल में केसेज तय हो जाते हैं। यह मैं मानता हूं कि हो सकता है कि ट्रिब्यूनल के पास बहुत से केसेज हों और इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उसमें संशोधन किया जाय या कोई कार्यवाही ऐसी की जाय जिससे कि जल्द से जल्द वह केसेज निपटा दिये जायं।

तीसरी बात जो रखी गयी है वह वेलफेयर एक्टिविटीज के बारे में है। यह तो मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है और ट्रेड यूनियन की तरफ से इसमें सहयोग का आश्वासन भी मिला है और इम्प्लायर्स का रिप्रेजेंटेटिव तो कोई यहां है नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि एम्प्लायर्स भी इस बात की कोशिश करेंगे कि वह भी वेलफेयर की एक्टिविटीज में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ट्रेड यूनियनस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी, इसलिये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी ही, लेकिन ट्रेड यूनियन के लिये, उसी की मजबूती के लिये, उसी को बल देने के लिये यह जरूरी है कि वह कुछ सेवायें भी उनकी करती रहें। उनके अधिकारों की रक्षा की बात तो वह करती ही है, उनकी जो और दिक्कतें हैं उनको भी हल करती रहेंगी तो उनको और भी बल मिलेगा और इससे देश में संतोष और कल्याण भी फैलेगा। मकानों के बारे में जिक्र किया गया है। वेलफेयर एक्टिविटीज के सिलसिले में मकानों का मैंने भी जिक्र किया था अपने भाषण में और हजारों मकान बनाये गये हैं उसके बारे में कह देना चाहता हूं जहां तक कि किराये की बात है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से वह रुपया मिला है और कुछ शर्तों पर मिला है, उसका आधा रुपया हमको लौटाना पड़ेगा और बहुत सी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट ने उसके सम्बन्ध में स्वयं अपने ऊपर ली है, उसके मेंटिनेंस के सम्बन्ध में और कुछ रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो वह गवर्नमेंट के लिये नामुमकिन हो जायगा कि अगर किराया कुछ कम किया जाय तो वह उन मकानों को चला सकेगा या आगे भी मकानों की जो योजना होगी उसको स्वीकार करने के लिये गवर्नमेंट तैयार होगी। तो इन दिक्कतों को देखते हुये इस समय किराया कम करना संभव नहीं है। मैं यह मानता हूं कि दस रुपया किराया कुछ व्यक्तियों के लिये ज्यादा मालूम पड़ता हो और इसके बारे में जिक्र किया गया डी० एफ० ए० के बारे में कहा गया। तो अभी इतनी कम मकान बने हैं और इतने कम लोग उसमें गये हैं कि अभी इस पर कुछ नहीं सोचा जा सकता। अगर कुछ और ज्यादा किराये की रकम बढ़े, और लोग उसमें जायं तो इस बात का भी ख्याल किया जायगा कि डी० एफ० ए० का इंडेक्स बनाने का सवाल लिया जाय।

[आचार्य जुगुल किशोर]

कुछ और सवाल हैं जो अभी उठाये गये हैं हमारे माननीय राजनारायण जी की तरफ से कि हमारा क्या लक्ष्य है और और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा कि हम तो बिलकुल उससे बहुत दूर भाग रहे हैं। मुमकिन है कि इसका कोई भी जवाब मैं उनको दूं और जवाब कितने ही बार दिये भी गये हैं, लेकिन उनसे उनको तो तसल्ली शायद नहीं दी होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि हमारे सामने भी यह लक्ष्य है, हमारे तरीके जरूर भिन्न हैं। हम समझते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुये और देशों की जो परिस्थिति हमने देखी है, और देशों में यह चीजें हुई हैं, उनको देखते हुये, हम यह समझते हैं कि जिन साधनों को हमने अख्तियार किया है, जिन तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हींसे समाज कल्याण हो सकता है और कल्याणमय समाज स्थापित हो सकता है।

इसका जिक्र, जब समाज कल्याण का अनुदान आयेगा, उस समय मैं करूंगा कि बहुत सम्भव है उसके बारे में मुझे कुछ कहना पड़े और माननीय सदस्य भी सुझाव देंगे और उस विचार किया जायगा। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम श्रमिकों के लिये और गरीबों के लिये, चाहे वह खेतिहर मजदूर हों चाहे श्रमिक हों, उनके प्रति हमारा ध्यान है, हमारी कोशिश है कि हम उनकी हालत को सुधारें। जहां हम पंच वर्षीय योजना बनाते हैं, तो वह इसी दृष्टि से बनाते हैं कि प्रदेश की जनता की दशा में सुधार हो। इन पांच वर्षों के भीतर जिस हालत में कि हमने अपने प्रदेश को पाया था उसमें जो हमने सुधार किया है उसमें हमें काफी सफलता मिली है उसके सम्बन्ध में समझता हूं कि हमारे सदस्यगण इतना तो मानते ही होंगे कि हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन हमें इससे तसल्ली नहीं है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि कुछ अर्से के बाद जो हालत आज है वह सुधर जायगी और हम कल्याण मय समाज के प्रति अग्रसर होते रहेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं कि माननीय प्रस्तावकर्ता अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८-श्रम और संख्या (लेखा शीर्षक-४७-विविध विभाग) के अन्तर्गत ३६,४०,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--समाज कल्याण

श्रम मंत्री (आचार्य जुगुल किशोर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय, की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४० -समाज कल्याण (लेखा शीर्षक ५७-विविध) के अन्तर्गत १९,९६,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रदेश ने अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में एक कदम उठाया है और हमने इस आशा से उठाया है कि हम समझते हैं कि अब समय आगया है कि इस तरह के विभाग को खोलकर हम समाज कल्याण की ओर अग्रसर हों जिसका कि हमने पंच वर्षीय योजना में और अपने संविधान में जिक्र किया है।

यह सवाल पूछा जा सकता है कि जब हमारे सब कार्यों का लक्ष्य है कि हम समाज कल्याण करें तो फिर इस नये विभाग के खोलने की क्या आवश्यकता है। इसके उत्तर में, यद्यपि मुझे खुशी है कि सभी ने इसका स्वागत किया है, हमारे सदस्यों ने, बाहर की जनता ने और प्रेस ने

भी ऐसे विभाग खोलने के लिये। इसके सिलसिले में हमने प्रेस कांफ्रेंस के द्वारा और विज्ञप्ति के द्वारा चर्चा की है और सदन में समाज कल्याण के सम्बन्ध में छपी हुयी पुस्तक माननीय सदस्यों को बांट दी गयी है, जो मुझे आशा है कि सभी सदस्यों को मिल गयी होगी। इससे मालूम पड़ेगा, जैसा कि मैं कहना चाहता हूं यह बतलाया है कि हमारा लक्ष्य इस समाज कल्याण विभाग को खोलने का यह है कि जो कार्य आज अन्य विभागों द्वारा हो रहे थे उनको इस कल्याण विभाग द्वारा लेकर उनका सामंजस्य किया जाय क्योंकि आज तो अलग अलग विभाग अपने अपने दायरे के भीतर अलग-अलग काम कर रहे हैं। इसलिये हमारी गवर्नमेंट की इच्छा हुयी कि इस तरह का एक विभाग खोलकर इन सब कार्यों को जो कल्याण विभाग के अंदर आते हैं, सिवाय उनके जो सुव्यवस्थित हों, उनका प्रबंध इसके अन्दर हो तो एक तो इस विभाग को कायम करने का उद्देश्य यह है।

दूसरा बड़ा उद्देश्य इस विभाग को स्थापित करने का यह है कि आज प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार की गैर सरकारी संस्थायें सीमित दिशा में सामाजिक कार्य कर रही हैं, उनकी बहुत सी कठिनाइयों हैं, उनके पास धनाभाव है, कार्यकर्ताओं का अभाव है और सबसे बड़ा जो अभाव है वह प्लान का है। इस विभाग का कार्य होगा कि उन संस्थाओं के लिये एक योजना बनायी जाय जिससे उनमें कोआर्डिनेशन हो सके और काम सुचारु रूप से चल सके और ज्यादा फायदा पहुंच सके। इस ख्याल से यह विभाग खोला गया है। उन संस्थाओं की दिक्कतें समझने की कोशिश करें, उनकी कमजोरियों दूर करने की कोशिश करें, कुछ कानून बनाने की कोशिश करें जिससे कानून के जरिये जो कमजोरियां दूर की जा सकती हैं उन को दूर किया जाय। उनको धन और कानून की सहायता देकर आगे बढ़ायें और उनके सहयोग से समाज कल्याण करें।

तीसरा उद्देश्य जिसको मैं सबसे प्रमुख समझता हूं और सबसे अधिक महत्व देता हूं वह यह है कि जब तक समाज में इस तरह की भावना पैदा नहीं होगी, जिस तरह का हम समाज बनाना चाहते हैं, समाज के रहने वाले, अपने साथियों के साथ जो पीड़ित और दुखी हैं उनके प्रति सहानुभूति और सहयोग, उनके दुख को दूर करने के लिये प्रयत्न करें, तब तक समाज का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कितनी ही कोशिश क्यों न हो। अगर सरकार की तरफ से वह चीजें होती हैं तो जनता को जो प्रेरणा होनी चाहिये, जो ऐसे कामों में सहानुभूति प्रगट करने की भावना होनी चाहिये वह नहीं मिलती। हम जिस तरह का समाज चाहते हैं उसमें हर एक व्यक्ति का कर्त्तव्य है जो उससे कमजोर है, दुखी और पीड़ित है उसकी मदद करे। इस तरह की भावना जब तक समाज में नहीं पैदा होती है, हम डेमोक्रैटिक आधार पर कल्याणमय समाज नहीं कायम कर सकते हैं। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, कानून बना सकती है, और कानून के जरिये धन इकट्ठा कर सकती है। लेकिन उससे जनता में जो भावना होनी चाहिये, जनता को जो काम करने की प्रणाली सीखनी चाहिये और एक सद्भावना होनी चाहिये वह पैदा नहीं होती। तो देश में जिस तरह का हम समाज चाहते हैं, जिस तरह के समाज की कल्पना बापू जी किया करते थे और जिसको कार्यान्वित करने के लिये आज हम लोग यहां बैठे हैं, इसी भावना को लेकर हम चाहते हैं कि समाज में इस तरह की मनोवृत्ति और वातावरण पैदा करें, इस तरह की व्यवस्था रखें, जिससे समाज के आदमी पीड़ितों और दुखियों के प्रति अपना कर्त्तव्य करें।

आप देखते हैं सड़कों पर जगह-जगह पर हमारे ऐसे भिखारी पड़े रहते हैं, जो लंगड़े हैं, अपंग हैं लेकिन आज उनको भीख मांगने के अलावा कोई सहारा नहीं है। क्या समाज का यह कर्त्तव्य नहीं है कि ऐसे भिखारियों की समाज सेवा न करे, या केवल यह कह देना कि यह गवर्नमेंट का फर्ज है, हमारा फर्ज नहीं है, क्या आप समझते हैं कि इससे समाज का क्या नैतिक स्तर बढ़ सकता है? क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा उद्देश्य है यानी हम समाज में कल्याणमय भावना पैदा करें। समाज का हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति प्रगट करे। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हों जो समाज के पीड़ित और दूसरे

[आचार्य जुगुल किशोर]

दुखी आदमियों के दुख दूर करने की कोशिश करें। इस तरह की व्यवस्था करने के लिये समाज का कल्याण का कार्य होगा। जो हमारे सामने कुछ कार्यक्रम है, जिसको हम चाहते हैं, यों तो मैंने जैसा कहा, गवर्नमेंट की तरफ से अलग-अलग विभागों से कुछ कार्य हो रहा है, आज उस कार्य को इस विभाग के नीचे लाकर वह भी कार्य करें और उसके अलावा और भी कई काम करने की जरूरत है। खास तौर से मैंने कहा भिखारियों की समस्या है, सड़कों पर फिरते हैं। उनके लिये कोई आश्रय नहीं, हम चाहते हैं कि उनके लिये आश्रम बनायें जहां पर वह रह सकें और जितना काम वह कर सकते हैं उतना काम उनसे लिया जाय ताकि वह स्वाभिमानी बने रहें और उनको नैतिक जीवन व्यतीत करने का मौका मिले। इसी तरह से हमारे यहां जिनको हम अनाथ बच्चे कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी संस्थाओं के लिये अनाथ शब्द इस्तेमाल करूं--ऐसे बच्चे जिनका कोई देखने वाला नहीं है उनके लिये ऐसे आश्रम का इन्तजाम किया जाय कि जहां पर वह ऊंची से ऊंची शिक्षा पा सकें न कि उनको भीख मांगना सिखलाया जाय। उनको इस चीज को महसूस ही न करने दिया जाय कि वे अनाथ हैं। समाज उनकी देखभाल करने वाला हो। जो उनके पड़ोस के रहने वाले हैं, उस मुहल्ले के रहने वाले हैं वह इसका अनुभव करें कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके लिये व्यवस्था करें जिससे उनकी शिक्षा हो सके। इसी तरह से जो बच्चे अन्धे हो जाते हैं और गूंगे और बहरे जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिये अच्छा से अच्छा इन्तजाम किया जाय। अमेरिका में ऐसे बच्चों के लिये ऊंची शिक्षा दी जाती है। ऐसे तरीकों की जांच की गयी है जिससे उनकी जिन्दगी का पुनर्निर्माण हो सके।

इसी प्रकार से हमारी बहुत सी बहनें हैं जो असहाय होती हैं, उनको कोई मदद देने वाला नहीं होता है। उनके लिये इस प्रकार की ट्रेनिंग उनके लिये ऐसी शिक्षा देकर, उनके लिये एक नया रास्ता, एक नैतिक रास्ता बतलाया जा सकता है जिससे उनका जीवन समाज के लिये कल्याणकारी हो सकता है। इसके अलावा यह काम भी इस समाज कल्याण विभाग का होगा कि जो कार्य हमारे प्रदेश में हो रहा है उसकी वह मालूमात करे और इसका संग्रह करे। उसके लिये अगर कानून की जरूरत होगी तो कानून बनाने की कोशिश की जायगी। आज जो धर्मादा के नाम धन इकट्ठा होता है उसका प्रबन्ध किस प्रकार हो इस कार्य को भी यह विभाग करेगा। मुझे आशा है कि न केवल हमारे इस सदन के माननीय सदस्य गण परन्तु जनता भी इस कार्य को पूरी तरह से प्रोत्साहन देकर इसको आगे बढ़ाने में हाथ बटायेगी। मैं आपके सामने इस मांग को पेश करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय समाज कल्याण मंत्री की ओर से जो अनुदान उपस्थित किया गया है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव विवाद और सुझाव के लिये पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह आशंका थी कि सदन में किसी तरफ से यह आपत्ति उठायी जा सकती है कि यह सोशल वेलफेयर बोर्ड कोलियो क्यों बना। किन्तु अगर कोई आपत्ति की जा सकती है तो यह की जा सकती है कि यह पहले से क्यों नहीं बनाया गया और हम इस विभाग का स्वागत करते हैं। जहां माननीय मंत्री जी को इस बात का गौरव है कि उनके प्रदेश में एक नया रास्ता निकाला गया है और एक नयी जिम्मेदारी समाज कल्याण मंत्री के ऊपर आयी है तो यदि नया कार्य उन्होंने सफलता पूर्वक नहीं सम्हाला तो देश के सामने कोई नमूना वह पेश नहीं कर सकेंगे। इस समाज कल्याण विभाग का विषय एक व्यापक विषय है और सभी राष्ट्रों ने इस प्रमुख प्रश्न को स्वीकार किया है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसके महत्व को समझा है। बड़े ऊंचे पैमाने पर हरएक मुल्क दूसरे मुल्क को विशेषज्ञ भेजते हैं और उनके सेमिनार (व्याख्यान मालायें) भी होते हैं और इस समस्या का हल निकाला जाता है। अगर माननीय सदस्य इसका अध्ययन करें तो काफी रोशनी उनको मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ऐसा विषय है कितना भी कार्य, जो समाज कल्याण का हो, किया जाय उस सब से सम्बन्ध रखता है और वह सारा इसमें सम्मिलित

है। लेकिन मैं स्पष्टतः बतला देना चाहता हूं कि वास्तव में समाज का कल्याण तभी होगा जब कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार सही अर्थ में हमारी आर्थिक समस्या सुलझाये। हमारी मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या का कोई हल अगर नहीं पाया गया तो हमारी तमाम योजना सद्भावना रहते भी सफल नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, समस्या विभिन्न प्रकार की हैं लेकिन मेरी राय यह है कि हमारे प्रदेश के सामने तीन महान् समाज कल्याण के कार्य हैं। पहली वेश्यायें दूसरी भिखारी और तीसरी रिक्शा चलाने वाले। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद भी उन कार्यों को नहीं कर सके तो यह महान् कलंक की बात होगी। मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी वेश्याओं की समस्या तथा भिखारियों की समस्या को चाहे देर में दूर करें, लेकिन रिक्शा चलाने वालों की समस्या को मंत्री जी अवश्य ही जल्दी दूर करेंगे और प्रदेश भर में इस अमानुषीय कार्य पर रोक लगा दी जायगी। सरकार को केन्द्रीय सरकार से २९ करोड़ रुपये की सहायता मिलने वाली है अगले वर्ष में और मैं आशा करता हूं कि उस रुपये से सरकार इन तीन समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान देगी। मुझे खुशी है कि श्रम कल्याण का कार्य जो कि अब तक निगलेक्टेड था वह अब शुरू हो गया है। ४९–५० में माननीय जगन प्रसाद रावत जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बठी थी और ४९ के आखिर में उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। उस कमेटी के सुझावों के अनुसार एक बोर्ड की स्थापना भी की गयी थी लेकिन और कोई कदम ६ साल हो जाने के बाद भी नहीं उठाया गया है। आशा है माननीय मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। जो बोर्ड बना हुआ है उसके बारे में भी मैं नहीं कह सकता कि उसकी क़ानूनी हैसियत क्या है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वह दान देने वाला एक बोर्ड हो गया है जिसके द्वारा संस्थाओं को दान दिया जाता है जो गैर सरकारी आदमियों की संस्थायें हैं। उन संस्थाओं ने भी कोई खास काम नहीं किया है जैसीकि गैर सरकारी संस्थाओं से आशा की जाती है। उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार सरकार एक विधेयक हमारे सामने भेजे। कुछ दिन हुये केंद्रीय सरकार ने एक सुझाव प्रांतीय सरकार के पास भेजा था कि जो विधवा आश्रम या अनाथालय के हैं उन को सरकार निश्चित शर्तों के अनुसार लाइसेंस की व्यवस्था के साथ चलने की इजाजत दे ताकि उनके अन्दर जो अनर्थ होता है वह न होने पाये। स्त्रियों का विक्रय न हो, लेकिन कई वर्षों के बाद भी उनको लाइसेंस देने के सम्बन्ध में कोई विधेयक नहीं आया, मैं समझता हूं कि उस बोर्ड को भी सुव्यवस्थित कर देना चाहिये। कमिश्नरी या जिला के आधार पर कमेटियां बना देनी चाहिये, ऐसा सुझाव था। लेकिन रिपोर्ट के ६ वर्ष के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। केवल सरकार ने एक गैर कानूनी बोर्ड बना दिया है।

अब भिखारियों की जो समस्या है, उसमें तीन प्रकार के भिखारी आते हैं। बाल भिखारी, लूले, लंगड़े और कोढ़ी। कोढ़ियों के लिये सरकार ने म्युनिसिपल ऐक्ट में एक संशोधन पेश कर दिया कि वे कोढ़ियों के लिये आश्रम खोल सकते हैं। हमारे प्रदेश में यह एक समस्या है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आजकल हमारे देश में इसका अधिकतर कार्य गैरसरकारी संस्थायें करती हैं, सरकार भी की तरफ से एक भी आश्रम नहीं खोला गया है। बाल भिखारियों और, लूले, लगड़े लोगों के लिये आप क्या कर रहे हैं, मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सका जब कि आज ६ साल हो गये और अभी तक यह मामला सरकार के विचाराधीन ही है। आज हमारे प्रदेश में समाज कल्याण का कार्य अधिकतर बाहरी एजेन्सियां ही करती हैं। यह कार्य बाहरी एजेंसियों द्वारा सफल भी हो सकता है, इस पर आचार्य जी भी मुझसे सहमत हैं। इस समय में कैमिस्ट्री की एक बात बताना चाहता हूं। वह यह कि रसायन शास्त्र में एक कैटेलिटिकल एजेन्ट होता है। वह कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन केवल अपनी मौजूदगी से केमीकल को एक्शन को (रसायन क्रिया) को एक्सेलरेट (तीव्र) कर देता है। इससे मेरी मंशा यह है कि सरकार भी उसी कैटेलिटिक एजेन्ट की भांति कार्य करे। वह अपनी प्रेरणा और आर्थिक सहायता से उन जन-कल्याण संस्थाओं की सहायता करे तथा उनको जनता की अधिक से अधिक सेवा करने को प्रेरित करे। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार केवल दान देने वाली एक संस्था हो जाय। जैसे कि

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

और धनी मानी लोग दान देते हैं उसी प्रकार से यह भी एक दान देने वाली संस्था हो जाय और उसके कार्य की यहीं इति हो जाय। धन के साथ ही साथ सरकार को उन संस्थाओं को परामर्श और प्रोत्साहन भी देना चाहिये। सौभाग्य से हमारे आचार्य जी एस्टिमेट कमेटी के भी प्रधान रह चुके हैं और उन्होंने इस बात को देखा है कि सरकारी विभागों की जहनियत यह होती है कि एक सेट बंधा हुआ है सेक्रेटेरियट से लेकर नीचे तक, कि डाइरेक्टोरेट वगैरह सब शुरू कर देते हैं चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो। इसमें मैंने देखा है कि एक डाइरेक्टोरेट खोलने का प्रस्ताव है। डाइरेक्टोरेट खोले जाने की आवश्यकता को मैं अस्वीकार नहीं करता हूं, उसकी आवश्यकता हो सकती है लेकिन नियोजन विभाग में बहुत से सरकारी कर्मचारी जो बढ़े हुये हैं, अगर नियोजन विभाग के अधिकारियों से काम लें और सेक्रेटेरियट के स्तर पर कोई सेक्रेटरी वगैरह न रख कर, डाइरेक्टर आदि न रख कर इस कार्य को कराने के प्रश्न पर आचार्य जी गौर करें तो मैं समझता हूं कि यह काम चल सकता है। ऐसे तो आज भी बहुत से डाइरेक्टोरेट आदि चल ही रहे हैं।

इसमें एक जगह है कि सरकार कोई महिला मंगल योजना चला रही है लेकिन उससे लोगों को बहुत असन्तोष है। ६,६ महीने तक वहां की ग्राम सेविकाओं को तनख्वाह नहीं मिलती; साल साल भर तक लोगों का टी०ए० नहीं मिलता है, इसलिये सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। एक और गैर सरकारी संस्था का जिक्र इस रिपोर्ट में है और वह है महिला सहायक संघ, जो श्रीमती लीलावती मुंशी की अध्यक्षता में बनी हुयी है। पिछले साल भी उसको एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया था और साढ़े ५ लाख का अनुदान इस साल भी उसे देने का सरकार के सामने प्रस्ताव है। इतनी बड़ी रकम पता नहीं कि पिछले साल एक लाख की कैसे खर्च हुयी और कितना जनता के चन्दे से प्राप्त हुआ और कौन-कौन कार्यवाहियां हुयी। १९ लाख के ग्रांट में साढ़े ५ लाख रुपया फिर सरकार उनको देने जा रही है तो सदन को कम से कम यह हक होना चाहिये जानने का कि किस तरह से यह रुपया साढ़े ५ लाख खर्च होगा। या केवल राज्यपाल की धर्मपत्नी होने के नाते ही उनको साढ़े ५ लाख दिया जा रहा है? और महिला कल्याण योजना कोई है, इसका तो संकेत मात्र इसमें है लेकिन वह योजना क्या है, एक प्लान के तौर पर वह इस सदन के सामने पेश होना चाहिये। तो अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन देते हुये कि समाज कल्याण के पोर्टफोलियो से हमें प्रसन्नता है और जो बहुत दिनों से पिछड़ी हुयी जरूरत थी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और उस पर ध्यान देना सरकार अपना कर्त्तव्य समझती है तो हमें आशा है कि सरकार एक ऐसा नमूना पेश करेगी जो हमारे देश के दूसरे प्रदेशों के लिये भी प्रेरणा दे सके।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रान्त के मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने प्रदेश में एक नया विभाग कायम करके एक नया कदम उठाया है जिससे कि देश के दूसरे प्रदेशों के लिये भी एक मिसाल कायम हुयी। अब मुझे तीन बातें जो अक्सर अखरती हैं उन पर आता हूं। एक तो यह है कि विदेश में अपने यहां के किसी आदमी को बाहरी शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजना, दूसरा यह कि नये-नये विभाग कायम करना और तीसरी बात है विदेशों से सहायता लेना। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन तीन बातों से बचने की कृपा करें। मगर बदकिस्मती से बजट के पहले ही साल में ये तीनों ही चीजें मुझे देखने को मिलीं। हमारे यहां दाइयों की बेहद कमी है और आज हमारे यहां ग्राम-सेविकायें भी नहीं मिलती हैं। उसके बाद दो देवियां हैं, मैं कह नहीं सकता कि वे पुरुष ही हैं, उनको बाहर अमेरिका या जापान में पढ़ने के लिये भेजा जा रहा है। जिस देश में ग्राम-सेविकायें न मिलती हों, दाइयां न मिलती हों, उसको चाहिये कि दाइयों और ग्राम-विकाओं के लिये वह जगह-जगह सेंटर कायम करे जिससे कि भारी से भारी संख्या में हम उनको प्राप्त कर सकें। इसके बावजूद भी किन्हीं दो देवियों को पढ़ने के लिये जापान भेजने की बात कहां तक संगत होगी, यह बात सोचने की है। हमारे यहां की देवी या कोई भाई विशेष जब बाहर से पढ़कर आते हैं तो एक अजीब तरह का उनका दिमाग हो जाता है और वे विदेशों का ही गुणगान करने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर वगैरह की शिक्षा अमेरिका से लेकर जो

भाई यहां पर आये, उन्होंने अपने प्रांत के लिये क्या काम किया है ? तो आप देखेंगे कि वह बिलकुल शून्य है। तो इस तरह की जो यह कार्यवाही हो रही है इस से हमारे प्रदेश को लाभ न होगा। कुछ रुपया आप को फोर्ड फाउन्डेशन से मिलेगा, मैं तो इस प्रकार से रुपये को लेकर उपयोग में लाने की बात को एक गिरावट समझता हूं, चाहे वह दान की शक्ल में ही आ रहा हो, लेकिन राजकीय स्तर पर इस तरह से दान लेना, या उससे अपने काम को चलाना यह सब देश के लिये भारी गिरावट की बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान रखे कि हमें विदेशों से सहायता लेकर अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करना नहीं है बल्कि हमें आहिस्ता-आहिस्ता अपने में ही से इवाल्व करना है और हमें हर दिशा में अपने ही पैरों पर खड़ा होना है।

तीसरी बात जिस की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इसमें कोशिश की गयी है कि छोटे-छोटे काम, जो हमारे विभाग पहले से मौजूद हैं उनके जरिये से हो सकते हैं उनके लिये अलग संगठन बनाने की कोशिश की गयी है। तरुण संस्थायें नौजवानों के लिये कायम की जायं और अखाड़े कायम किये जायं, मैं समझता हूं कि पहले से ही प्रान्तीय रक्षक दल मौजूद हैं, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, उसके गांव-गांव में आदमी हैं, हल्का सरदार हैं वह सब काम कर सकते हैं उनसे इस प्रकार के तमाम काम लिये जा सकते हैं। अगर उनसे काम नहीं लिया जाता है और नया विभाग कायम किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वही मिसाल होगी जैसे कि किसी राजा साहब को एक तोता पसन्द आ गया, उसके सिखलाने के लिये एक डिपार्टमेंट कायम किया गया और फिर महकमा कायम हुआ लेकिन आखिर में नतीजा यह हुआ कि तोता तो मरा हुआ पाया गया और डिपार्टमेंट वैसे ही कायम था। इस तरह से नये विभागों को कायम करने में तमाम रुपया खर्च न किया जाय। यह न होवे कि पैसा तो तमाम खर्च हो जाय और जिस जनता के लिये वह खर्च किया जाय उसको लाभ न पहुंचे। अभी केन्द्रीय सरकार की ओर से यहां एक योजना समाज कल्याण की बनी है उसका आधा रुपया केन्द्रीय सरकार देती है और एक चौथाई हमारी सरकार देती है। तो बजाय इसके हम अपनी अलग-अलग संस्था कायम करें हमें चाहिये कि हम समाज कल्याण योजना के द्वारा ही महिलाओं से भी काम लें। अब यह हो रहा है कि समाज कल्याण योजना अलग चल रही है, महिला मंगल योजना अलग चल रही है। अगर यही काम हम केन्द्रीय सरकार की जो समाज कल्याण योजना है उसके सुपुर्द कर देते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे काम में काफी आसानी हो जायगी क्योंकि हम को तो उसमें केवल चौथाई ही रुपया देना पड़ता है और महिला मंगल योजना में हमें पूरा रुपया देना पड़ता है। इसलिये बजाय इसके कि हम महिला मंगल योजना के द्वारा स्त्रियों के लाभ के काम करें हमें चाहिये कि समाज कल्याण को ही सहायता देने का प्रयत्न करें और समाज कल्याण में जो दिक्कतें हो रही हैं उनको रफा करें। जैसा कि मैंने बताया कि जो दाइयां या नर्सेज हैं और जो नीचे के स्तर की सेविकायें हैं उनका अभाव है और वह नहीं मिलती हैं, अगर हम उन की ट्रेनिंग संस्थायें कायम करें तो बहुत काम चल सकता है। जैसा कि अभी कहा गया है और हमारे भाइयों ने बताया कि रुपया इस तरह से दिया जा रहा है कि आदमी की शक्ल देखी और अनुदान दे दिया। अभी तो यह चीज शुरू ही हुयी है अगर इसको अभी से शुरू में ही न रोका गया तो मैं समझता हूं कि आगे चलकर और अधिक दिक्कत हो सकती है। मैं समझता हूं कि स्त्रियों के लिये ९ लाख या ७ लाख रुपया रक्खा गया है, अगर आप यह रुपया अलग से रखते हैं तो नतीजा यह होगा कि डिपार्टमेंट भी बन जायगा और रुपया भी सब खर्च हो जायगा लेकिन जिन के लिये रुपया रखा गया है वह उन्हीं के काम में न आ सकेगा। इसलिये जरूरी है कि इन तमाम चीजों को हम कनसालिडेट करें और ज्यादा योजनायें अलग-अलग न बनावें और एक ही संस्था बनाकर उसी से तमाम काम करावें और उसमें कोशिश यह करें कि ज्यादा से ज्यादा जो ऐसी स्त्रियां हैं जो कि काम करना चाहती हैं उनको इकट्ठा कर के इस काम में लगावें तो आप देखेंगे कि इस से बहुत जल्द काम होगा और बड़ा अच्छा काम होगा। यही मेरे सुझाव हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर विचार करें।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया है। इसके पश्चात् अब मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हू कि जो अनुदान भवन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह बहुत उत्तम है और उसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस गूढ़ विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके विषय में किसी माननीय सदस्य ने अब तक कोई प्रकाश नहीं डाला। यह अत्यन्त दुख की बात है कि हमारे सामने एक समाज है वह इतनी गिरी हुयी अवस्था में है जिसके कारण समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा है और वह वेश्यावृत्ति। मैं उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं, चाहे वह वेश्यायें देहात की हों और चाहे शहर की हों। इसकी रोकथाम के लिये सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किताबों में जो बात लिखी हुयी हैं उनकी चर्चा तो पैम्फलेट के द्वारा होगी ही लेकिन इस कार्य को अपने हाथ में लेना परमावश्यक है। पश्चिमी जिलों में मैंने यह भी सुना है कि वहां पर लड़कियां बेंची जाती हैं। तो जहां पर ऐसी कुप्रथायें हैं वहां पर समाज का और देश का कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इसलिये उनसे प्रार्थना करूंगा कि जहां भी ऐसी कुप्रथायें हैं उनके रोकने के लिये सख्त से सख्त कदम उनको उठाना चाहिये। सन् १९४७ में एक अस्पृश्यता निवारण ऐक्ट बना था लेकिन वह कानून बनकर किताब में पड़ा हुआ है। बहुत से कानून ऐसे बने हुये हैं जो किताबों के अन्दर हैं, रद्दी की टोकरी में अब तक पड़े हुये हैं और कार्यरूप में परिणत नहीं होते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो भी कानून बने उनको कार्यरूप में परिणत करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। यह सही है कि समाज में आज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य मनुष्य से घृणा करता है, उससे छुआछूत बरतता है। आज समाज का नैतिक स्तर इसी कारण गिर रहा है और प्रगति के पथ पर नहीं जा रहा है। ऐसी परम्परा इस देश में अब नहीं रहनी चाहिये और माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी तरफ वे खासतौर से कदम उठावें। कानून के भरोसे पर ही न रहें। किसी सरकार को और किसी मनुष्य को केवल कानून के भरोसे पर नहीं रहना चाहिये। माननीय मंत्री जी हमेशा इस बात के लिये प्रयत्नशील रहे हैं और सौभाग्यवश यह विभाग अब उनके हाथ में आया है।

इसके बाद मैं यह भी चाहता हूं कि जहां महिला मंगल योजना है वहां उनको मर्द मंगल योजना भी खोलनी चाहिये। क्योंकि नारियों में ही सारी बुराइयां नहीं होती। जहांतक उनकी बुराइयों का सम्बन्ध है मैंने वेश्यावृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन वेश्याओं की तरह एक मंडली मनुष्यों की भी है जिनकी तरफ मुझे आपका ध्यान खींचना है। यह एक बहुत बड़ी कुप्रथा समाज में जारी है और जहां से मैं बोल रहा हूं वह लखनऊ है, इस शहर में यह मंडली बहुत है, तो इस कुप्रथा की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिससे समाज के किसी अंग में बुराई न रहे।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान समाज की और बुराइयों की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके कारण बुराइयां फैल रही हैं। यह जो गरीबी और अमीरी का सवाल है वह माननीय मंत्री जी से बहुत ज्यादा संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने पहले वाले अनुदान में इस पर प्रकाश डाला था कि मैं देहातों में गरीबी और अमीरी के प्रश्न पर ज्यादा ध्यान दूंगा। तो यदि माननीय मंत्री गरीबी और अमीरी का प्रश्न हल करेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज का वास्तव में कल्याण होगा और जो विभिन्नता पायी जाती है वह दूर हो जायगी। अगर मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर जायगा तो इस देश में भुखमरी और गरीबी नहीं रह जायगी और नीचे और ऊंचे दरजे के लोगों में जो नीच-ऊंच की भावना है वह दूर हो जायगी। अंत में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि यह विभाग आपके हाथ में है तो गरीबों का भला होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि वह इस ओर ध्यान देंगे।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण का बजट हमारे इस सदन में पेश है। इससे पहले जब हमारी सरकार ने यह विभाग

नियुक्त किया और हमारे माननीय मंत्री जी इस मद पर नियुक्त किये गये उसको जानकर ही मुझे बड़ी खुशी हुयी कि सरकार का ध्यान इस ओर गया तो कि वह समाज के कल्याण के लिये कदम आगे बढायें। समाज कल्याण विभाग की ओर से एक पुस्तक हमें यहां बांटी गयी जिसको देखने से बहुत सी चीजों की जानकारी हुयी कि हमारे प्रांत के अन्दर कई संस्थायें अलग-अलग तरह से समाज की सेवा करने में लगी हैं। यह भी देखा कि नारी मंगल योजना हमारे प्रांत में स्त्रियों के कल्याण का काम कर रही है। दूसरी संस्थायें भी कार्य कर रही हैं। सरकार की ओर से भी और कई ओर से इस तरह से समाज के कल्याण के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तो अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि अगर सचमुच में आप समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो सरकार का रुपया जो कई रूप से खर्च हो रहा है उसको एक जगह संगठित करके आप समाज के कल्याण करने की ओर अग्रसर होइये। तभी हम और आप मिल कर और देश के सभी रहने वाले मिल कर समाज का कल्याण कर पायेंगे। अगर अलग-अलग विभाग खोल कर अलग-अलग तरह से हम रुपये को खर्च करते हुये समाज का कल्याण करना चाहें तो याद रखिये कि हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी सुन कर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका ध्यान इस ओर भी है कि हमारे प्रदेश में जो भीख मांगने वाले हैं उनको भीख मांगने से रोका जाय और उन्हें इकट्ठा करके उनकी समस्यायें हल की जायं, बड़ी प्रसन्नता हुयी। अभी मेरे जिले में कुछ आंकड़े इकट्ठा करने की एक समाज ने कोशिश की। यह प्रयास किया गया कि किस-किस प्रकार के भिखारी हमारे जिले के अन्दर भीख मांगते हैं। मुझे जो आंकड़े इकट्ठा हुये उनको देख कर और उनकी स्कीम देख कर हैरानी हुयी। कुछ ऐसे भिखारी मिले जो देखने में अपाहिज और दुखी थे लेकिन उनको कुछ गुन्डे वहां रोज भीख मांगने के लिये बैठा जाते थे और जो दिन भर की कमाई होती थी वह गुन्डे उसको इकट्ठा करके ले जाते थे और उन भिखारियों को उनकी जीविका के लिये सड़ा-गला भोजन दे दिया जाता था। इसी तरह से दूसरी श्रेणी जो भिखमंगों की मेरे [illegible] में आयी वह यह थी कि जिनका व्यापार ही भीख मांगना था और वे अपने परिवारों को भीख के बल पर ही पालते थे। भिखमंगों की समस्या अगर हमारी सरकार हल कर देगी तो मैं समझता हूं कि समाज का एक बहुत बड़ा कल्याण और उपकार होगा।

इसी प्रकार से कोढ़ियों की समस्या है और यह हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है। कुष्ट पीड़ितों से मारी जनता पर ही नहीं हमारी सेहत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मिठाई की दूकानों के सामने कोढ़ी खड़े हो कर भीख मांगते हैं और उन्हीं मिठाई की दूकानों पर से हमारे छोटे-छोटे बच्चे मिठाई खरीद कर खाते हैं। तो आगे हम उस रोग को अपने प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। अगर मेरी सरकार जल्द से जल्द इस ओर ध्यान नहीं देगी तो मेरा यह विश्वास होता जा रहा है कि जिस प्रकार से मेरे प्रदेश में कुष्ठ की बीमारी फैलती जा रही है उसको देखते हुये अगर कोई कदम उचित नहीं उठाया तो यह रोग बहुत ज्यादा फैल जायगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचती हूं कि समाज कल्याण के लिये आप सब संस्थाओं को, सब दरवाजों को बन्द करके केवल एक ही दरवाजा खोलिये जिस दरवाजे से आप कल्याण कर सकें। स्त्री का अगर कल्याण करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप दाइयों की ट्रेनिंग दिलाइये, दाइयां तैयार करायें क्योंकि देहातों में ५० फीसदी, मेरा मतलब जितने आदमी हैं उतनी ही स्त्रियां रहती हैं उनके रोग शैया पर लेटते वक्त, प्रसूत होने के कारण ट्रेन्ड दाई तो क्या मामूली दाई तक नहीं मिलती हैं। इसलिये अगर स्त्री जाति का कल्याण करना चाहते हैं तो सबसे पहले कदम दाइयों की ट्रेनिंग देकर उन्हें गांवों में भेजने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने मंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं क्योंकि उन्होंने एक ठोस कदम आगे उठाया है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हाउस का समय २५ मिनट और बढ़ा दिया जाय क्योंकि यह नया विभाग बनाया जा रहा है तो इस पर अच्छी तरह से विवाद हो।

श्री उपाध्यक्ष---बजट के लिये एसा नहीं हो सकता। इस अनुदान का समय समाप्त हो गया इसलिये मेरे अधिकार की बात नहीं है।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम पुकारा)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मेरी जानकारी जहां तक है बजट अनुदान के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्तावक का भाषण अंतिम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आप अगर नियम १९५ (३) देखें तो मालूम हो जायगा आपको कि मंत्री महोदय को दो भाषण देने का अधिकार है। अगर वह न देना चाहें तो मजबूर नहीं किया जा सकता। अंतिम भाषण उनका होना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि वे भाषण देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---उनको उत्तर देने का समय फिर देना पड़ेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---हो सकता है कि न देना पड़े।

आचार्य जुगुल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी की आग्रह है कि मैं पहले कुछ कहूं। इससे पहले कि वे अपने विचार आपके सामने रखें। उनके भाषण को मैंने बड़े और से सुना और अन्य भाषण जो यहां पर हुये उनको भी गौर से सुना। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहां के माननीय सदस्यगणों ने इस विभाग का स्वागत किया और जो सुझाव रखे हैं उनके ऊपर यह विभाग और मैं पूरी तौर से ध्यान देंगे। दो तीन बातें ऐसी कही गयीं जिनके बारे में मेरा फर्ज है कि मैं स्पष्टीकरण कर दूं। यह कहा गया कि इस विभाग को इस वक्त अब खोलने का क्या उद्देश्य है, पहले क्यों नहीं खोला गया। इसका जवाब यही है कि अब खुल गया अच्छी बात है, पहले खुल जाता तो और भी अच्छी बात थी। इसका उद्देश्य है प्लानिंग और को-आर्डिनेशन। जो आज कार्य हो रहे हैं चाहे हमारे सरकारी विभाग के द्वारा या गैरसरकारी संस्थाओं के द्वारा, उसमें एक प्लान होना चाहिये कि किस समस्या को हमें हल करना चाहिये, किस समस्या को प्रायरिटी दे करके उसको हल करना चाहिये और उसकी व्यवस्था के लिये कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उसके लिये योजना बनाना और उनको प्रोत्साहन देना ताकि उस काम को वे गैरसरकारी जरिये से कर सकें, यही इस विभाग का उद्देश्य है। जैसा मैं अपने प्रारंभिक भाषण में कह चुका हूं कि इस विभाग का उद्देश्य सबसे बड़ा होगा और उसकी कामयाबी इसी बात से नापी जायगी कि किस हद तक गैर सरकारी रिसोर्सेज को, उनके सहयोग को हम इकट्ठा कर सके हैं, उनको हम ला सके हैं और काम में लगा सके हैं। गवर्नमेंट के पास चाहे कितने ही साधन क्यों न हो, कितना हो रुपया इसमें खर्च क्यों न हो, मैं तब तक संतुष्ट नहीं हूंगा जब तक हम जनता का सहयोग न प्राप्त करें और जनता में प्रेरणा इस तरह की न करें कि उनका फर्ज है कि इस समाज की जो कठिनाइयां हैं, कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिये वह भी आगे बढ़ कर काम करें। इस ख्याल से इस कल्याण विभाग का काम जैसा कि मैंने कहा ऐडमिनिस्ट्रेशन करना, प्लान करना और ऐसी संस्थाओं को प्रस्तुत करना, उनके लिये कार्यों की आवश्यकता हो तो कार्यों के लिये ट्रेनिंग देना आदि है जिससे कि वह इस कार्य को कर सकें। क्योंकि जैसा कि मैं समझता हूं जब तक समाज में यह भावना पैदा नहीं होती है कि हमें अपनी समस्याओं को हल करना चाहिये और खासतौर से ऐसी समस्यायें जिनको समाज ही हल कर सकता है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार इसको करेगी तो करेगी नहीं तो हमारा कोई फर्ज नहीं है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता।

कुछ ऐसी समस्यायें देश में होती हैं जिसका मूल वहां होता है जो कि गरीब हैं, लंगड़े हैं, लुंजे हैं। अगर उनकी हम ठीक ढंग से सहायता करें तभी काम हो सकता है। यह हर एक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह उस पीड़ित आदमी की सहायता हर प्रकार से करे और देश में हर एक व्यक्ति को इस तरह का काम मिल सकता है। कोई न कोई व्यक्ति गरीब से गरीब ऐसा जरूर है जिसको सहायता की आवश्यकता है, उसके पास जरूर ऐसा आदमी आ सकता है जो उससे सहायता चाहता है। वह उसकी मदद करे और सहायता करे, हर एक व्यक्ति में एक सामाजिक भावना पैदा हो कि हमारा कर्त्तव्य, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है और जो हम कल्याणमय समाज कायम करना चाहते हैं, तभी वह कायम कर सकेंगे। इस उद्देश्य से मैंने यह चीजें सदन के सामने रखी थीं। अभी महिला योजना के बारे में, कल्याण योजना के बारे में जिक्र आया। उनके सुधार की योजना चल रही है और भी इस तरह की योजना अन्य संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही हैं। महिला सहायक संघ था और संस्थायें इस तरह की योजनाओं को चला रही हैं। हम तो चाहते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या में उनके सुधार की योजनाओं को चलाया जा सके, वह चलाने की कोशिश की जाय। इसमें कोई नुकसान नहीं है कि एक विभाग से अगर कोई योजना चल रही हो, कोई काम चल रहा हो और दूसरा कोई भी उसको करना चाहे, तो वह भी करे। इस विभाग का कार्य होगा कि अगर इस तरह का कार्य महिलाओं के करने का है तो उसको किया जाय। उस महिला मंगल संघ का कार्य, महिलाओं की सुविधा के लिये, उनकी सेवा के लिये, उनको सामाजिक ज्ञान देने के लिये, उनकी स्वयं की शिक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा के लिये मुझे उपयुक्त सलाह देने और इस सिलसिले में कार्य करने का है। ऐसी महिलायें जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनका कि अगर कोई इन्तजाम न हुआ तो वह किसी खराब रास्ते पर जा सकती हैं, उनका विशेष रूप से इन्तजाम करना है। जैसा कि अभी-अभी जिक्र हुआ है कि जो वेश्याओं की तादाद बढ़ती जा रही है, उसका एक बड़ा भारी कारण यह भी है कि ऐसी हमारी बहुत सी बहनें हैं जो कि मजबूर होकर इस पेशे को अख्तियार करती हैं। तो इसलिये महिला मंगल संघ के अलावा और भी जितनी संस्थायें चल सकें उनका हम स्वागत करेंगे और उनकी हम मदद करेंगे। यह काम खासकर जो ऐसी महिलायें होंगी जिनका कि अभी जिक्र किया है उनके लिये होगा। अन्य कार्यों के बारे में मैं कह चुका हूं और ज्यादा कहने के लिये समय भी नहीं रह गया है। इतना ही कहकर मैं फिर अनुरोध करता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसे वह वापस लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। सिर्फ एक बात के बारे में माननीय मंत्री जी ने नहीं बतलाया। महिला सहायक संघ को जो साढ़े पांच लाख रुपया इसमें रखा गया है, वह किस लिये दिया जा रहा है, यह मैं जानना चाहता था। अगर मंत्री जी आज नहीं बता सकते तो किसी अन्य अवसर पर वह उसे बताने की कृपा करेंगे। पिछले साल भी एक लाख रुपया दिया गया था और इस साल फिर साढ़े पांच लाख रुपये की रकम रखी गयी है। तो यह किस काम के लिये उनको दिया जा रहा है, यह अगर माननीय मंत्री जी बता देते तो अच्छा था। मगर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं क्योंकि यह तो ऐसे कार्य हैं कि जिन का हर एक स्वागत करेगा।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—समाज कल्याण (लेखा शीर्षक ५७—विविध) के अन्तर्गत १९,९६,३०० रुपयें की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी क्या कुछ कहना चाहते हैं ?

आचार्य जुगुल किशोर--मुझे अब कुछ नहीं कहना है । माननीय त्रिपाठी जी ने जो जिक्र किया है उसके सिलसिले में मुझे इतना कहना है कि जो साढ़े पांच लाख रुपये का जिक्र वह कर रहे हैं कि वह बजट में है, वह टोकेन के रूप में रखा गया है क्योंकि जिस वक्त यह विभाग आया उस वक्त बजट बन रहा था और उस वक्त स्कीमें बनाकर नहीं रखी जा सकती थीं । इसलिये यह रुपया टोकेन के रूप में इसमें रखा है । जैसा कि मैंने कहा था हमारी कोशिश तो यह होगी कि हम जनता की सहायता लेकर के इस कार्य को चलायें लेकिन तब भी इस विभाग को चलाने के लिये, इस कार्य के लिये यह रुपया टोकेन के रूप में रखा है । मुझे आशा है कि आगे जब मैं सप्लीमेंटरी के जरिये इस काम के लिये और रुपयों की मांग करूंगा तो आप उसे स्वीकार करेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
४ मार्च, १९५५ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

साभिनन्दन प्रेषित--

इन्फार्मेशन ब्यूरो,

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, १५ जनवरी, १९५५

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य ।

स्वतंत्र भारत के विधान ने हमारे सम्मुख जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है । प्रथम पंच वर्षीय विकास योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न विषयक आत्मनिर्भरता का प्रधान लक्ष्य तीन वर्षों के ही सीमित समय में प्राप्त कर लेने के उपरान्त अब हमारा ध्यान देश की उन आवश्यकताओं की ओर जाना स्वाभाविक ही है जिनकी पूर्ति से राष्ट्र का जीवन सर्वांगपूर्ण तथा सुखी और समृद्ध होगा । इन्हीं बहुविधि आवश्यकताओं का समन्वित रूप "जनता का सामाजिक कल्याण" शीर्षक संज्ञा में सन्निहित होगा ।

जनता के सामाजिक हित लाभ के लिये सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलनों तथा अन्य कतिपय क्षेत्रों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि केन्द्र में तथा विभिन्न राज्यों में भी समाज कल्याण मंत्रालय संघटित किये जायं । प्रथम पंच वर्षीय योजना में भी इस बात पर जोर डाला गया है कि सरकार तथा इस प्रकार की अन्य संस्थायें समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ग्रहण करने की चेष्टा करें ।

अतएव, उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के हेतु इस प्रकार के मंत्रालय की स्थापना कर दी है ।

सरकार का विचार है कि राज्य भर की सामाजिक संस्थाओं और उनके कार्य कलाप की व्यापक जांच करने के लिये एक समिति संघटित की जाय जिससे कि जांच पड़ताल कर लेने के बाद इन संस्थाओं को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आवश्यक सहायता दी जाय और साथ ही उनका मार्ग प्रदर्शन भी किया जा सके । इससे समाज कल्याण के कार्यों के लिये एक अनुकूल वायुमंडल तैयार होगा, सर्व साधारण में अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी जिससे कि वे राज्य द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं में अपना हिस्सा ले सकें और साथ ही जनता को समाज हित के कार्यों में सन्नद्ध होने की प्रेरणा प्राप्त होगी । सुसंघटित स्तर पर सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये जनमत तैयार होगा और जनता का अधिकाधिक सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया जायगा ।

समाज कल्याण के लिये एक संचालन कार्यालय या डाइरेक्टोरेट की स्थापना की जायगी जिसका पहला कर्त्तव्य होगा सरकार के विभिन्न विभागों की समाज हितकारी गतिविधियां तथा गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से किये जाने वाले कार्यों में सामंजस्य पैदा करना । यह संचालन कार्यालय सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये समाज विज्ञान के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा, जिसकी सेवाओं का सदुपयोग सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थायें समानरूप से कर सकेंगी ।

संचालन कार्यालय की ओर से समाज हित के समस्त नियमों और कानूनों का सर्वेक्षण करके इस बात का पता लगाया जायगा कि ये कानून आज दिन के समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं । कार्यालय इस बात पर विवेकपूर्ण बुद्धि से कड़ी निगाह रखेगा कि समाज कल्याण की प्रज्वलित समस्याओं से संबंधित कानूनों, उदाहरणार्थ बाल धूम्रपान अधिनियम, सामाजिक असमर्थता निवारण अधिनियम, इत्यादि का पालन दृढ़तापूर्वक होता है । इन कानूनों

का कड़ाई से पालन हो, इसके लिये आवश्यक उपायों और साधनों का निर्देश किया जायेगा। सामाजिक कुरीतियों की समुचित और प्रभावपूर्ण समाप्ति के उद्देश्य से जहां आवश्यक होगा वहां नये कानून भी बनाये जायेंगे।

राज्य की जनता के सामाजिक कल्याण से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में सरकार को परामर्श देने के लिये राज्य समाज कल्याण मंडल संगठित किया जायगा जिसमें न केवल विभिन्न क्षेत्रों के ही वरन् सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की भिन्न श्रेणियों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित किये जायेंगे। उपयुक्त समय से मंडल की क्षेत्रीय समितियां भी नियुक्त की जायंगी।

नये विभाग की ओर से जो क्षेत्रीय कार्य होगा उसके अन्तर्गत सामाजिक कुरीतियों एवं असमर्थताओं के विरुद्ध प्रबल जनमत तैयार करना तथा समस्त नागरिकों के लिये उनके न्याय अधिकारों का स्वायन्त्त कराना सम्मिलित है। इस विभाग की ओर से सार्वजनिक दातव्य संस्थाओं को सहायता तथा उनके संगठन को प्रोत्साहन दिया जायगा। ऐसी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जायगी, इस दिशा में अन्य उपाय भी काम में लाये जायेंगे और साथ ही उन दातव्य संस्थाओं की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जायगी जिनमें सार्वजनिक धन का जरा भी गोलमाल पाया जायगा।

अनाथालयों तथा विधवाश्रमों के प्रसार और उनके कार्यों के नियंत्रण, बालापराध की समस्याओं के समाधान, संगठित दुराचरणों और अनैतिक स्त्री-विक्रय तथा इस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे भिक्षावृत्ति निराश्रित और पतित महिलाओं इत्यादि पर इस विभाग का ध्यान विशेष रूप से केन्द्रीभूत होगा। युवकों, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण में यह विभाग सदैव सचेष्ट होगा और दुर्बलों तथा साधन विहीनों का क्रमशः पुनस्संस्थापन इसका उद्देश्य होगा।

आरम्भ में विभाग के प्रमुख उद्देश्य होंगे, "प्रचार" जिसमें सामाजिक शिक्षण की व्यापक समस्यायें सन्निहित हैं, "सामंजस्य" जिसका आशय होगा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के किये गये सामाजिक कार्यों को इस दृष्टि से सम्बद्ध करना कि उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके और "दृढ़ीकरण" जिससे समाज सेवाओं का सम्यक् संचालन तथा उन उपकरणों का अनवरत निर्वाह सुनिश्चित हो सके जिनसे अतीत में समाज को लाभ हुआ है और भविष्य में भी जिनसे समाज का लाभ होता रहेगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०२ पर)

LIST OF MAIN DEMANDS OF THE KANPUR TANNERY AND LEATHER WORKERS' UNION, KANPUR REFERRED TO IN ASSEMBLY QUESTION NO. 35 ASKED FOR THE 3RD FRIDAY BY SRI JHARKHANDE RAI, M.L.A.

1. We demand, further, of you that an Enquiry Committee be instituted, composed of the representatives from the Government, employers and the workers enjoying confidence of the workers immediately to investigate the present position of the capital in the industry, the trends in the profits of the same, anti-national activities of the British-owned Cooper Allen Co., as well as the living and the working conditions of the workers.

This committee be requested beforehand to finish its labours within three months.

2. Pending the institution of such a Committee, the Nimbkar Committee Recommendations, at least its recommendation to fix Rs. 30 as the minimum basic wages, should be implemented immediately to provide much needed interim relief to the workers in leather and tanning industry.

3. (1) A revision in the existing wage-rates is urgently needed. A minimum basic wage of Rs.35 be fixed for the industry as a whole.

(2) The present D. F. A. rates are too inadequate and do not neutralize the increased cost of living. These rates should be revised so as the cost of living be fully neutralised and compensated.

(3) At least 50% of the D. F. A. should be consolidated with the minimum basic wage of Rs.35 per month.

(4) Retrenchment Relief and the Retrenchment Gratuity be fixed at the rate of one month's consolidated wages for each year of service rendered.

(5) Extension of the Employee's Provident Fund Scheme to all the tanneries of Kanpur.

(6) Each un-employed worker be given at least Re.1 per day as relief for the period of unemployment.

(7) The bonus should be declared as deferred wages to be paid annually at the end of each year at the rate of 4 annas per Rupee.

(8) Abolition of the system of employment of labour through contractors.

(9) If this cannot be done, then the labour employed by the contractor be treated at the same level as any employed worker governed by the Factories Act.

(10) Full and unrestricted credit facilities be accorded to the small national units by the Banks.

(11) Distribution of the raw hides and other necessary material according to the needs and the capacity of small national units.

(12) Machinery to set up for the sale of the finished goods of the raw hides.

(13) Ensuring of production of cheap goods.

(14) An open and full enquiry should be conducted into the anti-national activities of Cooper Allen Co., and the export of huge profits be banned.

(15) Workers' cheap quarters should be constructed at Jajmau, and the rent in the Matayya Purwa be reduced.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३२७ एल० ए०—१९५५—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा